खण्ड-308, अंक-8
गुरूवार, 13 आषाढ़, शक संवत् 1896
(4 जुलाई, 1974 ई0)

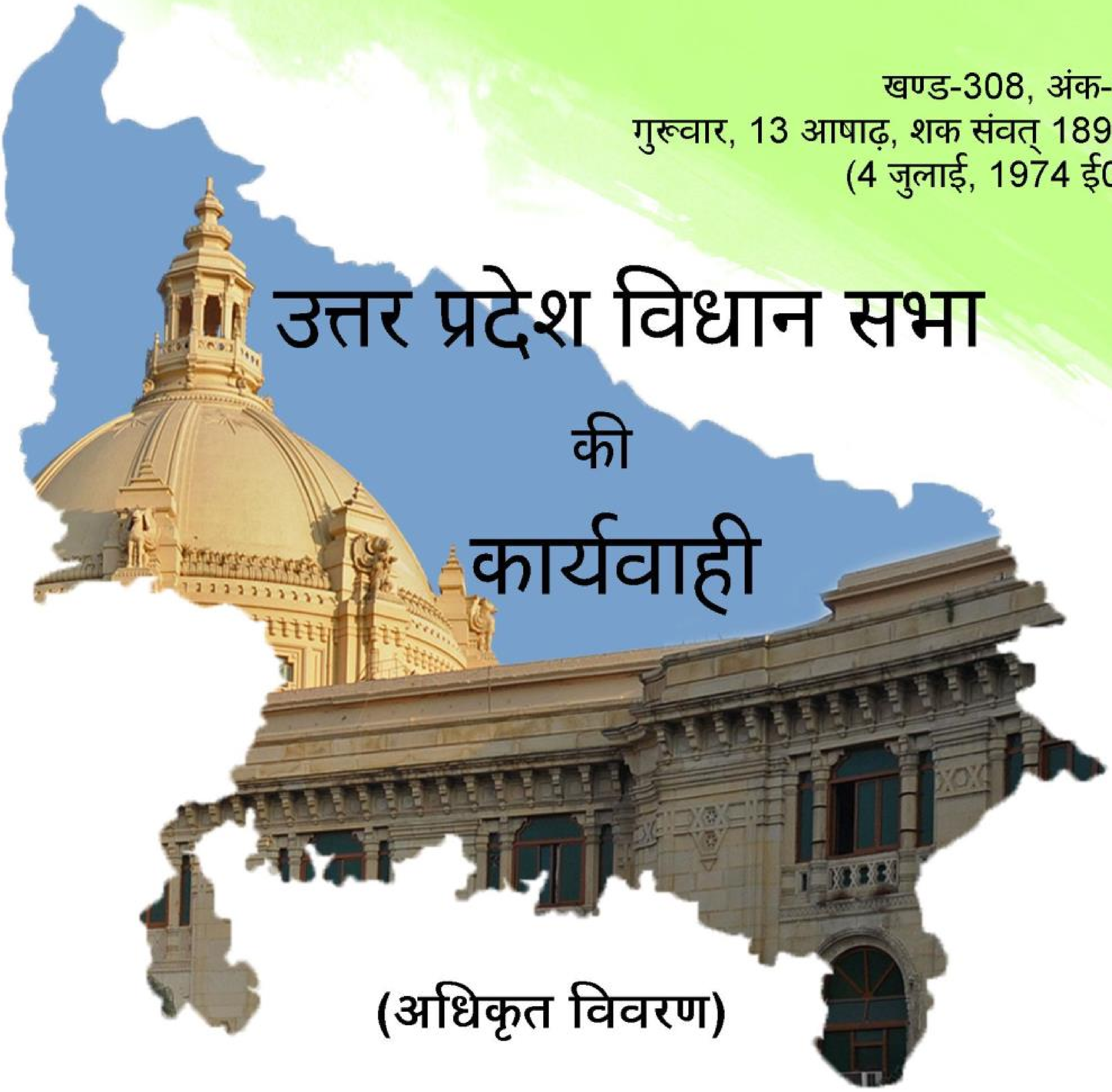

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 308 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 4 जुलाई, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---389

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री उर्फ जिमी मियां (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ब्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का0 मु0 मुहीउद्दीन, श्री
काली चरन यादव, श्री
काशीनाथ मेहरोत्रा, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाशपति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी बिशारद, श्रीमती

गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह नेगी, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छदा लाल, चौधरी
जंगबहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जवाहर प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डा०
जुगल किशोर यादव, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री

अध्यक्ष पदेन सभा

नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निभय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह बाबू, श्री
प्रभु नारायण , श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांकेलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद , श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनोराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शक्कू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूलचन्द राजपूत, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)

रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री (जिला गाजीपुर)
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रफीउल्ला, श्री
रमापन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र प्रसाद, चौधरी
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्द, श्री (एडवोकेट)
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण पान्डेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
बीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री

वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पान्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिव चरन लाल, श्री
शिव नाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव संपत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
संत सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन, सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

विधान परिषद सचिवालय

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 4 जुलाई, 1974

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

बाबा सिकन्दर शाह की मजार, जिला फर्रुखाबाद का टूट जाना

**1—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद), श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद), श्री अब्दुल रहमान खां नशतर (जिला कानपुर), श्री मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां (जिला एटा), श्री मानपाल सिंह तथा श्री लटूरी सिंह (जिला एटा)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के सौरिख कस्बे में इसी जून के महीने से बाबा सिकन्दराशाह के मजार को कुछ व्यक्तियों ने नाजायज ढंग से खुदवा कर फिकवा दिया, जिससे वहां तनाव पूर्ण वातावरण पैदा हो गया है ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और क्या सरकार इसकी खुली जांच करवायेगी एवं दोषी व्यक्तियों के प्रति यथाशीघ्र कार्यवाही करेगी ?

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पाण्डय)—

फर्रुखाबाद जिले के कस्बा सौरिख में स्थित बाबा सिकन्दर शाह के मजार को जून के महीने में कुछ व्यक्तियों द्वारा नाजायज ढंग से खोदकर फेंक दिये जाने की कोई सूचना पुलिस को नहीं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के अनुसार 15-5-74 को एक नीम के पेड़ के नीचे गिर जान के फलस्वरूप उक्त मजार टूट गया। मजार को बनाने के प्रश्न पर कुछ तनाव पैदा हो गया था जिसकी सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये धारा 107/117 जा० फौ० के अन्तर्गत कार्यवाही की। मजार के मामले को कस्बा सौरिख के दोनों पक्षों ने क्षेत्र के प्रतिष्ठित आदमियों की सहायता से सुलझा लिया है और अब किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं शेष है।

श्री अनवार जमील—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 15-5-74 की जो सूचना है वह किसने दी और रजामंदी में किस-किस व्यक्ति के दस्तखत हैं ? क्या इसे वह सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डय—

मान्यवर, जो 15-5-74 वाली सूचना है उसकी रिपोर्ट 16 की है, कोई एक सब्बार-शाह हैं, उन्होंने इस किस्म की चीज लिखाई है कि बाजार में पुराने थाने के पास सैय्यद बाबा की मजार के पास एक दरख्त नीम का था जो कि कल 15-5-74 को तूफान में गिर गया जिसे उक्त राम भरोसे कटवा रहा है और कहता है कि पेड़ हमारा है जब मैंने मना किया तो कहा मेरे दरवाजे पर पेड़ खड़ा है पेड़ मेरा है। मैं कटवाऊंगा और मुझे अपशब्द कहे और गवाहान के सामने मुझे धमकी दी और परेशान किया है।

श्री अनवार जमील—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो समझौते की बात कही गयी है, उसमें किनके नाम हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां—

मेरी इत्तिला यह है कि जो उसके करीब के मुसलमान थे, उनको पकड़ कर 'एस० डी० एम०, एस० ओ० और एस० पी० ने बन्द किया और वहां पर जनसंघ के एक विधायक भी मौजूद थे, उनको जबरदस्ती पकड़कर कमरे में बन्द किया और उनसे जबरदस्ती समझौते पर दस्तखत कराए कि मजार को 10 कदम हटकर बनाया जायगा, तो क्या मंत्री जी बताएंगे कि यह सही है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, पुलिस ने दोनों तरफ के 8–8 आदमियों का 107/117 में चालान किया, फिर पुलिस को जबरदस्ती फसला कराने में क्या लाभ था, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। माननीय सदस्य की इत्तिला निराधार है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

इसमें एक महत्वपर्ण बात यह है कि जब सूचना दी गई थी कि पेड़ भी तोड़ा गया और मजार भी तोड़ी, हटाई गई, तो पुलिस ने केवल उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जिनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई थी, दुतरफा कार्यवाही कैसे हुई ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, मजार के टूट जाने और उसको बनवाने के बारे में राम भरोसे जो व्यक्ति था उसका झगड़ा था जो कहता था पेड़ मेरा है और लकड़ी बेचना चाहता था और मुसलमान लोग चाहते थे कि हम बनवायेंगे। इस पर दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई और जब गर्मी हुई तो पुलिस ने कार्यवाही की क्योंकि दोनों पक्ष के लोग उसमें शामिल थे और लोग शामिल थे तो प्रिवेन्टिव सेक्शन में इसकी कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। तो 107/117 की कार्यवाही, जो प्रिवेन्टिव सेक्शन हैं, करनी पड़ेगी।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

चूंकि मेरा नाम लिया गया है इसी उत्तर से संबंधित।

श्री अध्यक्ष—

अभी देते हैं आपको।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो समझौता हुआ है जैसा कि पहले प्रश्न पूछा गया था उस समझौते पर किस-किस के हस्ताक्षर हुए थे और दूसरे यह बता दें कि समझौत के बाद ऐग्रीव्ड पार्टी की तरफ से कोई समझौते के खिलाफ प्रार्थना-पत्र दिया गया? यदि हां तो क्या ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, समझौता किन-किन लोगों के माध्यम से हुआ उसकी लिस्ट मेरे पास नहीं है। मेरे पास यह सूचना है कि समझौते के बाद से कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी—

मान्यवर, चूंकि मेरा नाम लिया गया है यह कहना सरासर गलत है कि किसी प्रकार दबाववश समझौता हुआ। वास्तविकता यह है कि वह मजार सार्वजनिक नहीं थी। एक व्यक्तिगत भूमि पर वह मजार थी जो नीम का पेड़ गिरने के साथ..

श्री अध्यक्ष---

आपका नाम लिया था ?

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी---

मेरा नाम लिया गया था। जो जनसंघ विधायक कहा गया है, मैं उस क्षेत्र का विधायक हूं।

श्री अध्यक्ष---

अगर आपका नाम नहीं लिया गया, आप कहते हैं कि आपका नाम लिया गया..

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

अगर यह वहां के विधायक हैं... ।

श्री अध्यक्ष---

आप वकालत न करें ।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी---

मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकारी अभिलेखों में उस मजार का कोई जिक्र कहीं पर है, और है तो कब से है ? वास्तविकता यह है कि वहां पर जबरदस्ती दबाकर...।

श्री अध्यक्ष---

मजार के बारे में कोई सूचना है आपके पास ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

इसका कोई अभी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन कहा जाता है कि यह मजार सौ साल से ऊपर का पुराना है ।

बटाला इन्जीनियरिंग वर्क्स, लखनऊ में फ्लाई ह्वील टूटने से दो श्रमिकों की मृत्यु

**2---श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) तथा श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 24 जून, 1974 को लखनऊ में ऐशबाग स्थित एक रोलिंग मिल की फ्लाई ह्वील टूट जाने के कारण 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई तथा अनेक व्यक्ति घायल हुये ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा घटनाग्रस्त व्यक्तियों को अब तक क्या सहायता दी गई ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

जी हां, लखनऊ में वाटरवर्क्स रोड, ऐशबाग में स्थित बटाला इंजीनियरिंग वर्क्स में 24 जून, 1974 को फ्लाई ह्वील टूट जाने के कारण एक दुर्घटना हुयी जिसमें दो श्रमिकों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गयी, एक अन्य श्रमिक दुर्घटना से आतंकित होकर बेहोश हो गया तथा एक अन्य श्रमिक को ईंटों के गिरने से चोट आयी । दोनों घायलों को अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के उपरान्त डिस्चार्ज कर दिया गया ।

यह दुर्घटना रोलिंग मिल के चालू फ्लाई ह्वील के रिम के आकस्मात् टूट जाने के कारण हुयी । जांच के फलस्वरूप ज्ञात हुआ कि घटना के समय रोलिंग मिल खाली चलाई जा रही थी जिसके कारण फ्लाई ह्वील में अत्यधिक सेन्ट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न हुआ और उसका रिम टूट गया । टूट कर निकले हुये टुकड़े दो व्यक्तियों को लगे जिससे उनकी मृत्यु हो गयी ।

दखलकार द्वारा मृतकों के वारिसों को अन्तिम क्रियाकर्म संस्कार हेतु तीन-तीन सौ रुपये दे दिये गये हैं। इस कारखाने पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ई० एस० आई०) लागू होता है जिसके अन्तर्गत मृतकों के परिवार को क्षतिपूर्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में विधिवत् कार्यवाही की जा रही है । इसके अलावा इसी सदन में हमने कहा था कि अकुपायर ने तीन सौ रुपये के अलावा 22 सौ रुपये एक-एक परिवार को देने की घोषणा की थी वह भी तत्काल कार्यवाही हो रही है । वह भी शीघ्र देने की व्यवस्था हो रही है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

फैक्टरी नियमों के अन्तर्गत इस बात का प्राविधान है कि कोई भी फ्लाई ह्वील खुली नहीं रहनी चाहिये, मैं यह जानकारी देते हुये जानना चाहता हूं कि जो फ्लाई ह्वील टूटी थी वह ढकी हुयी थी या नहीं और जो इंस्पेक्टर इस फैक्ट्री के लिये नियुक्त था उसने इस फैक्ट्री का निरीक्षण कब किया था और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, जहां तक मुझे जानकारी है वह यह है कि इस फैक्ट्री का निरीक्षण 1970 में किसी समय हुआ था ।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह मिल खाली क्यों चलाई जा रही थी ? इसका क्या कारण था ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, ऐसा था कि मशीन में कुछ खराबी आ गई थी और वह टेस्टिंग के लिये खाली चलाई जा रही थी ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस घटना के बाद फैक्ट्री इन्स्पेक्टर ने इंक्वायरी की और उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, दोनों इंस्पेक्टरों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने 24 तारीख को और चीफ इंस्पेक्टर ने 25 तारीख को किया ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, कुछ अनियमिततायें निरीक्षण में पाई गई जैसे फ्लाइंग ह्वील अनकवर्ड था ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मिल मालिक के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई या नहीं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, उसके खिलाफ फैक्ट्री ऐक्ट में कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा मैटीरियल इकट्ठा कर रहे है ।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मंत्री जी ने जैसा कि बताया कि फ्लाई ह्वील अनकवर्ड था, इसलिये कम्पेंसेशन के अलावा मालिकान के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, उसके खिलाफ कार्यवाही कर रहे है । 200-300 रुपये कम्पेंसेशन दिया जा चुका है और 2,200 रुपया और देने का सवाल है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मुख्य अनियमिततायें क्या थीं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, छोटी-मोटी अनियमिततायें रहीं । फ्लाई ह्वील प्रापरली मेनटेन्ड नहीं था । लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसमें नोट होना चाहिये जो नहीं था । बाकी अटेन्डेंस रजिस्टर बगैरा के बारे में थीं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मंत्री जी मामूली अनियमितता समझते है लेकिन हम खास समझते है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मुख्य बात मैंने यह बताई कि फ्लाई ह्वील में गार्ड नहीं था । बाकी माइनर इरेगुलेरिटीज थीं और फ्लाइंग ह्वील कवर्ड नहीं था ।

श्री शिवचरन लाल (जिला आगरा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो फ्लाई ह्वील टूटा है वह पुराना था या नया ? यदि पुराना था तो उसकी क्या लिमिट थी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि फैक्ट्री के वर्किंग आवर क्या थे ? तथा यह घटना वर्किंग आवर में घटी या बाद में ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जहां तक हमारी जानकारी है वर्किंग आवर तो थे, परन्तु यह मशीन खराब थी । फ्लाई ह्वील जो था वह खाली चल रहा था ।

कुंवर श्री पाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि टेस्टिंग के समय उसकी स्पीड इतनी ज्यादा कर दी गयी जिससे यह घटना हुई ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

इस किस्म की सूचना नहीं है । मशीन खाली चल रही थी इसलिये यह एक्सीडेन्ट हुआ ।

डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय पाण्डेय जी उत्तर बहुत जल्दी-जल्दी देते है, धीरे-धीरे दिया करें ।

श्री राज मंगल पांडेय—

अध्यक्ष जी से कहिये कोई क्लास खोले ।

उन्नाव शहर की सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा वितरित आटे में कीड़े

**3—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव शहर में मास जून, 1974 में जो आटा सस्ते गल्ले की दूकानों में वितरण हेतु दिया गया है वह सड़ा हुआ है और उसमें कीड़े हैं जिसके कारण वह खाने योग्य नहीं है ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में अबिलम्ब क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राज मंगल पांडेय—

माह जून, 1974 में उन्नाव शहर में जो आटा सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरण हेतु दिया गया उसके तथ्य यह है कि माह मई, 1974 में मेसर्स हरक चन्द्र फ्लावर मिल, सीतापुर से श्री उदय भान सिंह, मैनेजर, उन्नाव केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार, उन्नाव द्वारा 24-5-1974, 29-5-74 तथा 31-5-74 की हर तिथि पर 222 बोरे होल मिल आटा उठाया गया। इनमें से 24-5-74 तथा 29-5-74 की प्राप्त आटे में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई । जो 222 बोरे आटा दिनांक 31-5-74 को लिया गया था वह माह जून के दूसरे सप्ताह में शहर के सस्ते गल्ले की दुकानों को दिया गया । इनमें से कुछ बोरों में आटा के खराब होने की शिकायतें हुई । दिनांक 27-6-74 को आटे के खराब होने के सम्बन्ध में जसे ही जिला अधिकारी, उन्नाव से शिकायत की गई वैसे ही उन्होंने उसी दिन जिला पूर्ति कार्यालय के निरीक्षकों से समस्त सस्ते गल्ले की दुकानों की जांच कराई जिसके फलस्वरूप 5 दुकानों के क्रमशः 1, 1, 3, 1 तथा 1 बोरे कुल मिलाकर 7 बोरे खराब आटे के मिले, जिसका विवरण संलग्न है ।

2—इस मात्रा के अतिरिक्त उन्नाव केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार के स्टोर में 30 बोरे खराब आटे के पाये गये । इन समस्त 37 बोरियों के लिय जिला अधिकारी, उन्नाव न अबिलम्ब आदेश दिये कि इनकी बिक्री रोक दी जाये और जो 7 बोरे दुकानों पर मौजूद थे उनको उठवा कर केन्द्रीय उपभोक्ता क स्टोर में रख दिये जायें । जिला अधिकारी, उन्नाव ने जिला पूर्ति अधिकारी को यह भी आदश दिया कि वह इस बात की जांच करे कि खराब आटा इशू होने के सम्बन्ध में किन कमचारियों का दोष है ताकि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ।

3—क्षत्रीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ ने इस मामले की विस्तृत जांच की उनकी जांच क अनुसार जो आटा उन्नाव म 31-5-74 को दिया गया था वह दिनांक 29 व 30 माच, 1974 को पीसा गया था ।

4—फ्लावर मिल में तैनात मार्केटिंग स्टाफ का कर्तव्य था कि वह आटे के इशू होने क समय इस बात की जांच पड़ताल कर लेता कि जो आटा इशू हो रहा है उसकी क्वालिटी खराब तो नहीं हैं । 31-5-74 को जो आटा सीतापुर मिल से उठाया गया उसके बार में मैनजर, केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार, उन्नाव ने यह लिखित प्रमाण-पत्र दिया था कि आट की क्वालिटी व मात्रा सही है । फिर भी क्योंकि जांच म 37 बोर खराब पाये गये, मिल म तैनात सम्बन्धित हाट निरीक्षक को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है । मिल मालिक को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दी है कि क्यों न उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये । जिला अधिकारी, उन्नाव से यह कहा गया है कि केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, उन्नाव के मैनजर के विरुद्ध गलत प्रमाण-पत्र दे कर खराब आटा लाने के विषय में कार्यवाही करें ।

मिल मालिक को यह भी आदेश दिये गये हैं कि वह 37 बोरे खराब आटे को अपने खर्चे पर उन्नाव से लाये और रिप्रोसेस करवा कर वापिस करे ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 854 पर)

श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि 29 और 30 तारीख को जितना आटा इस मिल में पीसा गया और जो स्टाक वहां पर था उसकी भी जांच करा ली गयी है और इस स्टाक से जहां-जहां आटा गया है वहां भी जांच के निर्देश दिये गये हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

222–222 बोरा 3 तारीखों में आटा उठाया गया । 37 बोरे खराब मिले । यह तो बीच में खराब हुआ जिसकी जांच हो रही है । इसलिये यह प्रश्न उठता नहीं ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

जो वहां पर तैनात मार्केटिंग स्टाफ है या हाट निरीक्षक हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वह इस बात की रिपोर्ट दे कि यह आटा उपयोग के लिये है या नहीं । जो आटा लेने गया था उसकी तौल की जिम्मेदारी होनी चाहिये न कि क्वालिटी की । मान्यवर, उसी आदमी के ऊपर कैसे जिम्मेदारी डाली जा रही है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, जो आटा लेता है, वह भी तस्दीक करता है और हमारा हाट इंस्पेक्टर भी तस्दीक करता है । 31 को जब यह आटा लिया गया था उसके ऊपर हमारे हाट इंस्पेक्टर के दस्तखत हैं कि मेरे सामने यह दिया गया । अब मान्यवर इस हाट इंस्पेक्टर को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है । वह पहले क्लर्क था अब उसे क्लर्क के पद पर पुनः प्रत्यावर्तित कर दिया गया है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जिलापूर्ति कार्यालय के कर्मचारियों से जबाब मांगा गया है । दूसरी जगह उन्होंने कहा कि इशू करने से पहले क्यों नहीं देख लिया । तो इन दोनों बातों में से कौन सही है । अगर पहले मालूम हो गया था कि आटा खराब है तो क्यों जारी किया गया था ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मैंने यह कहा कि आटा की खराबी की इत्तला जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मिली तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर को दिया और डी0एस0ओ0 ने जांच की । 30 बोरे उदयभान सिंह के स्टोर में पाये गये । 37 बोरों को छोड़कर बाकी आटा ठीक था। इन्स्पेक्टर ने अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाई इसलिये उसको प्रत्यावर्तित कर दिया गया । इसमें दूसरे की जिम्मेदारी तो आती ही नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, नित्य खबर आ रही है, आटा सड़ा आ रहा है, आटे में कीड़े आ रहे हैं और इसकी देखरेख और इन्तजाम में आपके कर्मचारी बिल्कुल असफल हैं । तो क्या सरकार इस विषय पर ध्यान देकर सड़े-गले एवं कीड़े वाले आटे के स्थान पर ठीक प्रकार का आटा वितरित करने का इन्तजाम कर सकेगी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी कारपोरेशन के पक्ष में कई घंटे पहले बोल चुके थे, मुझे पता नहीं कि अब वह क्यों आज ऐसा बोल रहे हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि इस सड़े-गले एवं कीड़े वाले आटे के बारे में कोई कमेटी बना ी जाय ।

तारांकित प्रश्न

*1—श्री मोहन लाल कपूर, श्री सूबेदार—

[6 जून, 1974 को उत्तरित ।]

*2—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[निरस्त ।]

*3—श्री मोहन लाल कपूर—

[3रे बुधवार के लिए तारांकित प्रश्न 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*4–5—श्री भीखा लाल—

[3रे बुधवार में प्रश्न संख्या 5–6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय तथा प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति के कर्मचारी व अधिकारी

*6–7—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय तथा प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर) में अधिकारियों व कर्मचारियों (अध्यापक मंडल को छोड़कर) की संख्या कितनी है ? इनमें अनुसूचित जाति के कितने व्यक्ति हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, इसकी सूचना कब हमको मिलेगी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके इसकी सूचना आ जाय ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, फिर मुझे तारीख तो बता दें कि हमें इसकी सूचना कब मिलेगी ?

श्री अध्यक्ष—

15 दिन में यह फिर आयेगा ।

प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत् सप्लाई

*7—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो आजकल बिजली की सप्लाई चल रही है वह कितने-कितने घंटे की है और प्रान्त के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली सप्लाई हेतु जो बटवारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का किया गया है वह किस आधार पर किया गया है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

आवश्यक सेवाओं और अविरल प्रक्रिया वाले उद्योगों को छोड़कर आजकल शहरी क्षेत्र के उद्योगों को प्रतिदिन 9 घंटे तथा रोशनी एवं पंखे के लिए प्रतिदिन 22 घंटे बिजली की सप्लाई उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों के लिए प्रतिदिन 15 घंटे तथा रोशनी एवं पंखे के लिए 17 घंटे बिजली उपलब्ध है। जिला मुख्यालयों तथा 1971 की जन-गणना के अनुसार 30,000 तक या उससे ऊपर की आबादी वाले कस्बों को शहरी क्षेत्र मानकर बिजली की सप्लाई की जा रही है। प्रदेश के शेष भाग में ग्रामीण क्षेत्र की भांति बिजली उपलब्ध है ।

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि 30,000 तक या उससे ऊपर की आबादी वाले कस्बों को शहरी क्षेत्र मानकर बिजली की सप्लाई की जा रही है। कोई ऐसे भी क्षेत्र है जहां पर यह आधार न मानकर किसी विशेष आदमी के रहने की वजह से और जनसंख्या के आधार पर इस तालिका में नहीं आते हुए भी बिजली दी गयी है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

इस किस्म की कोई सूचना या शिकायत हमारे पास नहीं आई है।

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

मुझे सूचना है कि रामनगर जिला नैनीताल में और मन्त्री जी के यहां बिजली की सप्लाई निरन्तर है। यदि हां, तो वहां की जनसंख्या क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो ब्योरे का प्रश्न है।

श्री राजमंगल पांडेय—

मेरे पास और कोई सूचना नहीं है लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है जिस वक्त पावर हाउस बना था उस समय कनेक्शन डायरेक्ट दिया गया था। हमन उन्हें कुछ फेवर दिलाई थी जमीन आदि के सम्बन्ध में। मेरा कनेक्शन डायरेक्ट था। मेरे ट्यूबवेल और मेरी पावर लाइन कनेक्टेड नहीं है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

ये 15 और 18 घंटे आदेश कब से हो गए हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय—

1 जुलाई, 1974 से आदेश हो गए हैं कि 30 हजार आबादी वाले कस्बों और 15 से 30,000 वाले आबादी के कस्बों के लिए यह प्रक्रिया होगी ।

श्री मधुकर दिघे—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में पिपराइच कस्बा भी शहरी क्षेत्र में आता है ?

श्री राम मंगल पांडेय—

जो भी इस सम्बन्ध में प्रक्रिया है वह अभी बता दी गयी है।

श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)—

बहुत सी नगरपालिकाओं की आबादी 30 हजार से कम है लेकिन वहां पर 30 या इससे अधिक इंडस्ट्रीज हैं। तो क्या उत्पादन के विशेष महत्व को देखते हुए उनको अलग से बिजली देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय—

यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है। कानपुर की आबादी 12 लाख है। लेकिन महीने में 2 फेज की बिजली 5–6 दिन ही देते थे। लेकिन अगर बिजली उपलब्ध होगी तो अवश्य देंगे। अगर कुछ इंडस्ट्रीज कहीं पर होंगी तो उसके लिए बढ़ा सकते हैं।

बिसवां, जिला सीतापुर को ग्रामीण क्षेत्र माने जाने का आधार

*8—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बिसवां, जिला सीतापुर जोकि नगरपालिका है उसको ग्रामीण क्षेत्र माने जाने का क्या कारण है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

विद्युत् सप्लाई के लिए 1971 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का वर्गीकरण किया है। जिला मुख्यालयों तथा 1971 की जनगणना के अनुसार 30,000 या उससे ऊपर आबादी वाले कस्बों को शहरी क्षेत्र माना गया है। शेष को ग्रामीण क्षेत्र माना गया है। बिसवां की आबादी 30,000 से कम होने के कारण उसे ग्रामीण क्षेत्र माना गया है।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट है और चारों तरफ से आवाज आती है, गांवों से, देहातों से कि बिजली नहीं है तो क्या लखनऊ में गवर्नर हाउस, इस सचिवालय, मन्त्रियों के बंगलों और विधायक निवासों में जो बिजली का अपव्यय हो रहा है, उसको बन्द कराने की कोई योजना उनके विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष—

बिसवां, सीतापुर के बारे में आठवें प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न करें।

श्री सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

जो लोग जरा शोर कर सकते हैं उन्हें ही आप इजाजत देते हैं। मैं कम से कम 10 बार खड़ा हुआ, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ा। या तो हमें बताइए कि हम भी शोर-शराबा करें...

श्री अध्यक्ष—

10 बार में 10 को ही देख सकता हूं, 11वें को नहीं।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मेरे गोंडा जिले में 4 नगरपालिकायें हैं, नवाबगंज नगरपालिका को बिजली नहीं मिलती, नारंग शुगर फैक्टरी को 24 घंटे मिलती है।

श्री अध्यक्ष--

यह अलग सवाल है। सीतापुर से सम्बन्धित नहीं है। आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन बिसवां के बारे में करें।

श्री सन्त सिंह यूसुफ--

मन्त्री जी की उद्योगपतियों से वार्ता हुई थी कुछ उस वार्ता को पूर्ण कराने की कोशिश करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह इस सवाल में नहीं उठता है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

आपने कहा कि ग्रामीण अंचल में 15 घंटे बिजली दी जाती है तो कितने घंटे रात को और कितने घंटे दिन में दी जाती है और इस समय धान की रोपाई की जान वाली है तो क्या यह प्रयास किया जायगा कि दिन में अधिक से अधिक बिजली दी जाय ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मैंने यह नहीं कहा कि कहीं 15 घंटे बिजली दी जाती है।

डाक्टर मलखान सिंह--

नगरपालिका कोंच, कालपी और जालौन की आबादी 30 हजार से अधिक है, वहां पर 5 घंटे ही बिजली आती है, ट्यूबवेल न चलन के कारण पानी नहीं मिलता।

श्री अध्यक्ष--

यह अलग से सवाल पूछ सकते हैं।

श्री सन्त सिंह यूसुफ--

पोजीशन बताने दीजिए जो उद्योगपतियों से वार्ता हुई थी।

श्री अध्यक्ष--

यह अलग सवाल है।

एक सदस्य--

बिजली की समस्या से सारा प्रदेश पीड़ित है। यह बिल्कुल गलत है, रात में केवल 2-3 घंट बिजली दी जाती है।

*9-10--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर 9वें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या 7-8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को वितरित किये गये ताम्र-पत्र के आधार पर राजनीतिक पेंशन की स्वीकृति

*11--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को ताम्र-पत्र के रूप में प्रमाण-पत्र वितरित किए गए हैं ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इन प्रमाण-पत्र वितरित करने के पूर्व यह भी जांच करा ली गई है कि यह वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी है ? यदि हां, तो राजनीतिक (पोलिटिकल) पेंशन देते समय इस प्रमाण-पत्रों को आधार न माने जाने का क्या कारण है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ताम्र-पत्र प्रमाण-पत्र के रूप में नहीं बल्कि सम्भानार्थ भेंट किए गए हैं ।

ताम्र-पत्र भेंट करने के पूर्व प्रत्येक जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अलग-अलग सूचियां बनाई गई थीं जिनको अन्तिम रूप देने के पूर्व यह बात सुनिश्चित कर ली गई थी कि इन सूचियों में सभी ऐसे व्यक्तियों के नाम सम्मिलित हों जो केन्द्रीय या राज्य शासन के ताम्र-पत्र के पात्र माने जा सकते हैं ।

जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को राज्य शासन के ताम्र-पत्र भेंट किये गये हैं, वे राज्य शासन की योजना के अधीन स्वतंत्रता संग्राम पेंशन के पात्र हैं । किन्तु उन्हें नियमानुसार आवेदन-पत्र देने पर ही पेंशन स्वीकृत की जा सकती है । इसी प्रकार जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत सरकार के ताम्र-पत्र पा चुके हैं, उन्हें भी नियमानुसार आवेदन-पत्र देने पर भारत सरकार से पेंशन स्वीकृत हो सकती है, यदि उनकी वार्षिक आय रुपए 5,000 से अधिक न हो ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची तैयार की गयी थी और उसके आधार पर उन्हें ताम्र-पत्र दिये गये । तो यह सूची किस आधार पर तैयार की गयी और क्या ताम्र-पत्र देने और स्वतंत्रता सेनानियों की सूची तैयार करने, दोनों के आधार में अन्तर है अगर है तो वह क्या है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

स्वतंत्रता की 25 वीं जयन्ती मनाने के संबंध में भारत सरकार से जो निर्देश प्राप्त हुए थे....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है । मैं अपना सवाल स्पष्ट कर दूं । आप थोड़े में जवाब दे दें । आपने कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची बनी और उसके आधार पर ताम्र-पत्र भी बांटे गये । ताम्र-पत्र जिनको मिले उनको पेंशन नहीं मिली । तो सूची बनाने और ताम्र-पत्र देने के आधार क्या एक ही था ? वरना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची किस आधार पर बनी ?

श्री राज मंगल पांडेय--

उसकी कैटेगरी "क" और "ख" की गयी थी । उसमें एक शर्त यह थी कि यदि 6 महीने या उससे अधिक की सजा काटी है तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची "क" में नाम लिखा जायगा । यदि इतना ही ज्ञात होता है कि 6 महीने या उससे अधिक की सजा दी गयी है

और 6 महीने के पहले ही उसका ट्रांस्फर दूसरी जेल में हो गया है तो ताम्र-पत्र ही मिलेगा जबतक कि पूरा प्रमाण उसके बारे में न मिल जाय ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची बन गयी और उनके हाथ में ताम्र-पत्र मिल गये तो इतना ही काफी होना चाहिये । पेंशन के लिये बजाय इसके कि वह फिर से जेल से सर्टिफिकेट लाये और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से लिखाये तब मिले । अन्त में आपने कह दिया है कि 5 हजार रुपये से अधिक आय न हो तो ताम्र-पत्र के साथ यह सर्टिफिकेट भी पेश कर दे कि उसकी आय 5 हजार से अधिक नहीं है फिर पेंशन मिलने में क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष---

चाहे आवेदन-पत्र दे अथवा न दे जो ताम्र-पत्र में है उसको दिया जाय ?

श्री राजमंगल पांडेय---

इतनी छानबीन के बावजूद भी कुछ शिकायतें आयी हैं कि उन लोगों को ताम्र-पत्र दिये गये हैं जो इसके उपयुक्त नहीं थे । इस प्रकार की भी कुछ शिकायतें आयी हैं कि जिन दफाओं में वह कैद हुए उनका इंडिपेंडेंट्स से कोई संबंध नहीं था हालांकि ऐसी शिकायतें बहुत ही कम हैं । इसलिये केवल ताम्र-पत्र के आधार पर ही पेंशन देना उचित नहीं होगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

जिन लोगों को तामपत्र दिया गया है यदि उन्होंने दफा 420 या 409 में सजा काटी है तो क्या सरकार उनकी पेंशन रोकेगी या नहीं ?

श्री राजमंगल पांडेय---

अगर कोई शिकायत इस तरह की माननीय सदस्य देंगे तो उसकी अवश्य जांच की जायेगी । (व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह---

सरकार के पास कितनी शिकायतें ऐसी आयी हैं कि जिनको गलत ताम्र-पत्र दिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष---

यह ब्योरे का प्रश्न है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि ताम्रपत्र पाने वाले या पेंशन पाने वाले ऐसे ही व्यक्ति हो सकते हैं जो 6 माह या उससे अधिक की सजा प्राप्त किये हुए हों ? दूसरे यह कि क्या एक ही बार में 6 माह की सजा काटने पर ताम्र-पत्र दिया जा सकता है या कई बार काटने पर भी ?

श्री राजमंगल पांडेय---

चूंकि यह नियम का सवाल है, मैं कोई विस्तृत जानकारी इस समय नहीं दे सकता ।

श्री रघुबीर (जिला गाजीपुर)---

क्या सरकार इस प्रश्न पर भी विचार करेगी कि जो 6 माह से कम सजा पाये हों उनको भी यह ताम्र पत्र तथा पेंशन दी जाय क्योंकि मंत्री जी ने अभी कहा कि 6 माह से ऊपर या 6 माह तक की सजा काटने वालों को यह दिये गये हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय--

नीचे वालों पर केंद्रीय पेंशन के लिए विचार नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)--

बलिया जनपद में एक ऐसे व्यक्ति को भी ताम्र-पत्र दिया गया है जो सन् 42 में पुलिस का टाऊट था और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के खिलाफ पुलिस को शिकायतें देता था और आजादी की लड़ाई लड़ने वालों की पीठ में छुरा भोकता था। (व्यवधान)।

श्री राजमंगल पांडेय--

बलिया जिले के किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत नहीं मिली, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य बलिया के रहने वाले हैं, अगर उनको मालूम है कि वे पुलिस के टाऊट थे, तो यदि वे लिख कर देंगे तो हम उसकी जांच करवा लेंगे ?

श्री मधुकर दिघे--

गोरखपुर जिले के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूरजनाथ पांडे हैं जो 7 वर्ष से अधिक की सन् 42 में सजा काट चुके हैं और उन्होंने गोरखपुर जिले की जेल को तोड़ कर प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना जैसे क्रांतिकारी लोगों को छुड़वाया था, क्या उनको भी ताम्र-पत्र देंगे क्योंकि उनकी पत्नी के बार-बार लिखने पर भी उनको ताम्र-पत्र नहीं दिया गया ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, एक तो इस बात की कोई जानकारी नहीं है और दूसरे यह मर चुके हैं। इनको कैसे दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--

जो मर जाता है उसे नहीं दिया जाता।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिये यह आवश्यक है कि किसी मौजूदा दो एम0एल0ए0 या एम0पी0 इस बात को सर्टीफाई करें कि यह जेल में थे? इस आधार पर जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी नहीं थे उनको भी मान लिया गया तो कितने लोगों को इस आधार पर माना गया ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, जो मूल व्यक्ति होता है, जो जेल में होता है उसको जेल काटने की रिपोर्ट को को जो, मूल रिपोर्ट होती है, दिखलाना पड़ता है। जिन व्यक्तियों के पास यह रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होती है उनको 2 व्यक्तियों के जो प्रतिष्ठित हों जैसे एम0पी0 या एम0एल0ए0 क्योंकि यह कई लाख जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर यह मान लिया जाता है कि इस व्यक्ति ने जेल काटा है और इनकी बात सही है।

*12--चौधरी चरण सिंह--

[6-6-74 को उत्तरित]

गुरुकुलकांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के विद्यार्थी ब्रह्मचारी विद्याव्रत का तथाकथित अपहरण

*13--चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (सहारनपुर) के एक विद्यार्थी ब्रह्मचारी विद्याव्रत का 10-3-74 को अपहरण कर लिया गया, जब कि

[चौधरी चरण सिंह]

उनके विरुद्ध कुछ लोगों द्वारा किये जा रहे षड़यंत्र की सूचना स्थानीय पुलिस को दी जा चुकी थी ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों व अभ्युक्तों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राज मंगल पांडेय--

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना ज्वालापुर, जिला सहारनपुर में ब्रह्मचारी विद्याव्रत विद्यार्थी गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार से दिनांक 10-3-74 को गुंडों द्वारा रुपये छीनने व सायंकाल साढ़े सात बजे उसे अपहरित करने की लिखित सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 26-3-74 को धारा 364 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया । स्थानीय पुलिस को इस षड़यंत्र की कोई पूर्व सूचना नहीं थी अतः दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

उक्त अभियोग की विवेचना जारी है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस घटना की रपट हो गयी थी और रपट के बाद ब्रह्मचारी जी ने मुख्य मंत्री तथा संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी थी । इसके बाद यह कहना कि पुलिस अधिकारियों को सूचना नहीं थी, गलत है। क्या मंत्री जी इस बारे में कुछ बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर मेरी जानकारी में 2 पत्र, एक माननीय चौधरी साहब को लिखा गया था और एक पत्र जो डाक द्वारा भेजा गया था जो एस0पी0 को 19-3-74 को प्राप्त हुआ। उसके आधार पर छानबीन हुयी और 26-3-74 को मुकदमा दर्ज किया गया ।

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, 16 मार्च को वेद मुनि जो संन्यासी हैं उन्होंने गवर्नमेंट को एक खत लिखा कि इस लड़के के रुपये छीने गये हैं और 9 तारीख को जो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करायी थी उसके बारे में भी इसी खत में लिखा । अपने वाइसचांसलर, कुलपति को भी उन्होंने एक लेटर लिखा 10 तारीख को उसका अपहरण कर लिया गया । लड़के ने होटल के किसी बाथरूम में किसी प्रकार कागज पेंसिल प्राप्त की और उसने लेटर अपने दोस्त को लिखा। उन कागजातों को इस परिव्राजक सन्यासी ने 15-16 मार्च को सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस जिलाधीश के पास और चीफ मिनिस्टर के पास और मेरे पास तथा 2-3 जगह और भेजा। लिहाजा इस बात को मालूम हो जाना चाहिये था। 9 तारीख को सवेरे रिपोर्ट लिखायी गयी लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की । 10 तारीख को अपहरण हो गया, लिहाजा यह कहना कि पुलिस को मालूम नहीं था, सही नहीं है । तो क्या मुख्य मंत्री जी को भी यह कागजात हासिल हो गये थे इसकी कोई सूचना है ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, मैं फिर भी कहता हूं कि 9-3-74 को थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई । केवल 10-3-74 को वह दूसरे के माध्यम से, आपके माध्यम से तथा डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के कार्यालय में पत्र की प्रतिलिपि दिनांक 15-3-74 को मिली । उसमें आवश्यक जांच के बाद 26-3-74 को धारा 364 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दायर कर दिया गया है। जो चौधरी साहब ने पत्र लिखा उस को जांच के लिये भेजा गया है ।

चौधरी चरण सिंह--

क्या ब्रह्मचारी वापस आ गया कि नहीं ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, ब्रह्मचारी ने कई झूठी रिपोर्टें लिखाई हैं । यह वह पुलिस को परेशान करने के लिए लिखता रहता है । उसने यह भी लिखा कि मेरी हत्या की जाने वाली है । वह मैनेजमेंट तथा प्रशासन को अपने हाथ में लेने के लिये यह सब पार्टी की वजह से कर रहा है । जिस मकान में वह रहता था उसके मालिक श्रीमती रामकली से पूछने पर पता चला कि वह दिल्ली से आया था और श्रीमती रामकली से उसने बताया भी था कि कुछ दिन बाद फिर दिल्ली चला जायेगा । उसने यह भी बताया कि ब्रह्मचारी ने ऐस्प्रो की गोलियां खा रखी थी और कह रहा था कि मैं हत्या कर लूंगा । 17-6-74 को मकान मालिक से पता चला कि वह दूसरे के मकान में एक सप्ताह पूर्व रहता था । इस प्रकार यह छात्र झूठी रिपोर्ट लिखाने के आदी हैं ।

चौधरी चरण सिंह--

सवाल यह पूछना था कि यह लड़का वापस आ गया है कि नहीं?

श्री राज मंगल पांडेय--

वह आया था और फिर दिल्ली चला गया । यह मकान मालिक श्रीमती रामकली ने बताया था ।

चौधरी चरण सिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा का फर्ज गवर्नमेंट का है कि नहीं ?

श्री राजमंगल पांडेय--

तहकीकात से पता चला कि उसने ऐस्प्रो की गोलियां खा ली थी और किसी प्रकार का उसको खतरा नहीं था । वह दिल्ली से वापस आया था और श्रीमती रामकली को उसने बताया था कि मैं दिल्ली जा रहा हूं ।

*14--श्री ओम प्रकाश सिंह--

[6ठे गुरुवार के लिये स्थगित ।]

*15--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[विस्तृत होने के कारण निरस्त ।]

अमीनाबाद थाना लखनऊ के सामने कुएं से लाश की बरामदगी

*16--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या मुख्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि मई 74 के प्रथम सप्ताह में लखनऊ शहर के अमीनाबाद स्थित थाने के भवन में कुएं के अन्दर एक लाश बरामद हुई ? यदि हां, तो इस घटना के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राज मंगल पांडेय--

दिनांक 8-5-74 को अमीनाबाद थाने के सामने मिले हुये नगर महापालिका के कुएं से एक लाश फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा निकाली गई ।

[श्री राज मंगल पान्डे]

लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी अतः पंचायतनामें के बाद पुलिस द्वारा लाश का फोटों खिचवाया गया और लाश का पोस्टमार्टम कराया गया । मृत व्यक्ति की शिनाख्त हेतु जिले के अन्दर गश्ती कराई गई और लाश का फोटों पुलिस गजट में छपाये जाने के लिये भेजा गया है ।

पोस्टमार्टम परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्य डूबने के कारण सांस रुकने के फल-स्वरूप हुई ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, हमने और आपने देखा है कि अमीनाबाद में जो कुआं है उसका आधा हिस्सा थाने में और आधा हिस्सा थाने के बाहर है । मैं समझता हूं कि थाने पर पहरा होता है । तो रात में देखा गया कि एक आदमी कुयें में गिरा हुआ है और डूबकर मर गया है । मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि थाने पर पुलिस ड्यूटी पर रहते हुये भी वह व्यक्ति कैसे डूबकर मर गया । मेरा तो चार्ज है कि उस व्यक्ति को सताया गया है, मारा गया तथा धमकी दी गयी है जिससे कि वह डूबकर मर गया ।

श्री राज मंगल पांडेय—

दिनांक 8–5–74 की रात को मृत्यु हुई । वहां का टेलीफोन खराब होने के कारण एक आदमी को फायर ब्रिगेड तथा कंट्रोल रूम भेजा गया । खबर पाकर 3.15 बजे रात को फायर ब्रिगेड आ गया था । उसने शव को 3·30 पर बाहर निकाल लिया था ।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, क्या उस लाश का पोस्टमार्टम हुआ था और उसमें क्या है ? क्या उसको पढ़कर सुनायेंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें है:—

1. Post mortem alerasion on left cheek.
2. Death due to Asphyxia as a result of drowning.

इसके अतिरिक्त मुझे यह कहना है कि वह व्यक्ति डूब जाने के कारण, उसकी सांस रुक जाने से उसकी मृत्य हो गयी ।

श्री कल्याण सिंह—

पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट से यह भी जाहिर होता है कि उसको कुछ चोटें भी हैं । मान्यवर, उसको मारा-पीटा भी गया है । तो क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुये इसकी जांच सी० आई०डी० द्वारा करवायेंगे ताकि सही तथ्य सामने आ सके ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जो डाक्टर ने फाईन्डिंग्स दी है उनके बारे में कोई शिकायत नहीं आई इसलिये इस आधार पर अविश्वास करने का कोई प्रश्न नहीं उठता । डूबने से इसकी मौत हुई है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा था कि यह जो चोटें लगी हैं उससे यह शंका पैदा होती है कि पहले उसको मारने-पीटने की घटना हुई जिससे वह ऊब कर वह कुयें में जा गिरा और डूब कर मर गया । तो क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ताकि यह मालूम हो जाये कि पहले कौन सी घटना हुई थी और क्या थी ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, जो तथ्य उपलब्ध हैं उसमें ऐसी कोई संदिग्ध अवस्था नहीं मालूम होती ।

श्री मकबूल अहमद, लेखपाल, जिला गोरखपुर को कालिख पोतकर पुलिस अधिकारी, महराजगंज, द्वारा सड़क पर घुमाया जाना

*17--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना महराजगंज, जिला गोरखपुर के अन्तर्गत गांव धनेबा घनेई टोला मंगलपुर के एक लेखपाल को पुलिस अधिकारी महराजगंज द्वारा अकारण पकड़ कर खुलेआम कस्बा महराजगंज की सड़क पर मुंह पर कालिख व चना पोत कर घूमाने तथा सार्वजनिक जगह पर दाढ़ी उखाड़ने से सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र मार्च सन् 1974 में शासन को मिला है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मार्च, 1974 में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ, तहसील शाखा महराजगंज, गोरखपुर से तहसील महराजगंज के लेखपाल मकबूल अहमद को अकारण झूठे आरोप में गिरफ्तार करने, मुख में कालिख व चूना पोतकर कस्बे में घुमाने के सम्बन्ध में शासन को शिकायत प्राप्त हुई थी परन्तु उसमें लेखपाल की दाढ़ी उखाड़ने की कोई शिकायत नहीं थी ।

इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच कराई गई जिससे ज्ञात हुआ कि उक्त लेखपाल को पुलिस ने अकारण गिरफ्तार नहीं किया था । वह हत्या के एक मुकदमें में नामजद अभियुक्त था व जमानत पर छूटा था । छूटने के बाद उसने हत्या के मुकदमें के वादी का घर जला दिया । इसकी सूचना वादी ने उक्त लेखपाल व 2 अन्य को नामजद करते हुये थाने पर दी जिसके आधार पर धारा 438/429/427/324 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज होकर विवेचना प्रारम्भ की गई व दिनांक 13-3-74 को उक्त लेखपाल को पुनः गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके मुख पर रंग लगाकर उसे कस्बे में घुमाया । इसके लिये सम्बन्धित सब इन्स्पेक्टर को कड़ी चेतावनी दी गई व एक कांस्टेबिल का स्थानान्तरण किया गया । मकबूल अहमद के विरुद्ध उक्त दोनों मुकदमों में विवेचना के उपरान्त चार्जशीट न्यायलय भेजा गई जहां मुकदमें विचाराधीन हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं माननीय मंत्री जी यह जानना चाहूंगा कि और जैसा कि उनके उत्तर से स्पष्ट है कि रंग पोता गया । वह रंग नहीं था कालिख थी जो ऊपर लिखी हुई है । अगर वह रंग था तो वह कौन सा रंग था । दूसरी बात यह है कि क्या उनको इस बात की जानकारी है कि वह जो सब-इन्स्पेक्टर था वह क्या भतपूर्व विधायक श्री मैनेजर सिंह का लड़का था और उन्हीं के मौजूदगी में रंग पोता गया ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, यह तो जानकारी नहीं है कि वह किसका लड़का था लेकिन उस व्यक्ति के कुकर्म को देखते हुये कि वह हत्या के एक केस में मुलजिम था और जमानत पर जब था तो उसने वादी का घर जला दिया और उसको मारा-पीटा यहां तक कि उसका बल भी बुरी तरह जल गया, उसका सारा सामान जल गया । हम लीगल आस्पेक्ट को न सोचें, लेकिन उसका जो कुकृत्य था वह एक ऐसी चीज थी जिसको एक बड़ा भारी अपराध नहीं माना जा सकता कि रंग पोता गया । फिर भी हमने उसको चेतावनी दे दी है और एक कान्स्टेबिल को ट्रांस्फर कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

मुकदमा चल रहा है, ऐसी हालत में कोई प्रश्न अब आगे नहीं होता ।

परिवहन विभाग की आर० टी० ए० कमेटी

*18—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पहले जो आर० टी०ए० कमेटी थी उसको तोड़ कर कमिश्नरी के पैमाने पर अधिकारियों की कमेटी प्राइवेट बसों का परमिट देन के लिये बनाई गई है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी नहीं ! प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि पहले जो कमेटी थी उसम नान-आफीशियल भी होते थे तो उसको क्यों तोड़ दिया गया ?

श्री राज मंगल पांडेय—

अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो चौधरी साहब ने कुछ सोच समझकर उन नान-आफीशियल्स की कमेटी को तोड़ दिया था ।

श्री ऊदल—

आप हर गलत चीज का सहारा चौधरी साहब के ऊपर डाल देते है कि चौधरी साहब ने यह सब किया, म यह पूछना चाहता हूं....

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मैंने यह कहा था कि चौधरी साहब नें कुछ "सोच-समझकर" नान-आफीशियल की कमेटी को तोड़ दिया था ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

माननीय मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि क्या वह उस उसूल को मानेंगे कि नान-आफीशियल्स की आर०ओ०ए० की एक कमेटी होनी चाहिये ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, उसूल एक बात है और व्यवहारिकता दूसरी बात है। जब यह कमेटी बनी थी तो मुवक्किल लोग अपने-अपने वकीलों को साथ लेकर सैकड़ों रुपये खर्च करके आते थे लेकिन इधर कोरम ही पूरा नहीं आता था। इन सब बातों पर विचार करके मैंने कहा था कि इस कमेटी को तोड़ दिया गया ।

अनुदान प्राप्त विद्यालयों एवं औद्योगिक संस्थानों के पदों पर अनुसूचित जाति का आरक्षण

*19—श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयों एवं औद्योगिक संस्थानों की सेवाओं में सरकार अनुसूचित जातियों को 18 प्रतिशत स्थान सुरक्षित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो सरकार इसको कब से लागू करने जा रही है ?

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या 18 के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

राज्याधीन सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिये निर्धारित सामान्य आरक्षण की भांति पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग/निगम में भी उक्त जातियों का क्रमशः 18 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत का आरक्षण कोटा पूरा करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं। सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयों की सेवाओं में उक्त जातियों के लिये आरक्षण का प्रश्न विचाराधीन है।

शहर कोतवाली, जिला सीतापुर के मजिस्ट्रेट के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना-पत्र

*20—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि दिनांक 4-5-74 को शहर कोतवाली सीतापुर में जिले के एक मजिस्ट्रेट के विरुद्ध दुर्व्यवहार करने के सम्बन्ध में कोई एफ० आई० आर० लिखाई गई ? यदि हां, तो एफ० आई० आर० क्या है तथा इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक 4-5-74 को श्री रमेश चन्द्र गप्त, पत्रकार, सीतापुर ने थाना कोतवाली में एक प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें उन्होंने एक अन्य व्यक्ति के लिये शक्कर व डालडा का परमिट लेने हेतु एक मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जाने का उल्लेख किया और मजिस्ट्रेट से परमिट मिल जाने के बाद और अधिक डालडा के लिये जोर देने पर उक्त मैजिस्ट्रेट द्वारा अपशब्द कहे जाने की शिकायत की। उक्त शिकायत से कानूनन कोई दंडनीय अपराध बनता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। प्रार्थना-पत्र की जांच कराने से मजिस्ट्रेट द्वारा तथाकथित दुर्व्यवहार के आरोप सही नहीं पाये गये।

*21—श्री त्रिवेनी सहाय—

[4थे बुधवार के तारांकित प्रश्न 23 के अन्तर्गत उत्तरित।]

मुख्यालयों पर 5 साल से अधिक कार्यरत आई० ए० एस० अधिकारी

*22—श्री दधीच सिंह (जिला हरदोई)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के मुख्यालय पर ऐसे आई०ए० एस० अधिकारी कौन-कौन हैं जो कि अपने वर्तमान पद पर गत 5 वर्ष से अधिक अवधि से सेवारत है ? तथा क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

राज्य के मुख्यालय पर ऐसा कोई आई०ए०एस० अधिकारी नहीं है जो कि अपने वर्तमान पद पर गत 5 वर्षों से अधिक अवधि से सेवारत हो। प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल नहीं उठता।

वाराणसी के मुसहर जाति के लिये मकान, कुएं व शिक्षा हेतु सर्वेक्षण

*23—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें तारीख 15-4-74 को प्रश्नकर्ता द्वारा लिखा पत्र परगना कोलअसला व पन्द्रह जिला वाराणसी के अपराधशीलमुसहर जाति के मकान, पानी पीने के कुयें तथा शिक्षा के बारे में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

जी हां।

प्रश्न में सन्दर्भित पत्र में लिखित मुसहरों की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

*24—श्री मुलायम सिंह यादव—

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

होमगार्ड के कम्पनी कमाण्डरों की समाप्ति

*25—श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली में होमगार्ड के 14 कम्पनी कमांडरों को जो 1964 से अब तक कार्यरत थे उन्हें बिना किसी कारण के अपने पदों से हटा दिया गया है और क्या उपरोक्त स्थानों की पूर्ति पी० ए० सी० एवं पुलिस में से की जा रही है जबकि पद रिक्त करने वाले कम्पनी कमांडरों का सेवाकाल व अन्य शैक्षिक व विभागीय योग्यतायें उनसे कहीं अधिक हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश के होमगार्ड संगठन को पुनर्गठित किये जाने के कारण शहरी मानदेय प्राप्त कम्पनी कमांडरों के 358 पद समाप्त कर दिये गये हैं जिनमें 14 पद बरेली के भी सम्मिलित हैं। इन पदों को पुनः भरने का प्रश्न नहीं है और इस कारण योग्यता की कमी-बेशी का भी कोई प्रश्न नहीं है।

*26—श्री राम सेवक यादव—

[6ठे गुरुवार के लिए स्थगित।]

श्री रामपत वर्मा, निवासी नौबरा, जिला गोण्डा की हत्या

*27—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री को यह जानकारी है कि राम पति वर्मा, निवासी ग्राम नौबरा, थाना कोतवाली, जिला गोंडा का कत्ल दिनांक 26-5-74 को कर दिया गया? और क्या यह सही है कि राम पति वर्मा के भाई श्री जय राम ने शासन को इस बात की सूचना तार व प्रार्थना-पत्रों के माध्यम से घटना के पूर्व दे दिया था? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गये और घटना के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार रामपति वर्मा निवासी ग्राम नौबरा थाना कोतवाली, जिला गोंडा का कत्ल दिनांक 20 मई, 1974 को उसके ग्राम नोखरा में हुआ।

रामपति वर्मा के भाई जाय राम वर्मा ने दिनांक 28 मार्च, 1974 को थाना कोतवाली को तार द्वारा यह सूचना दी कि उसके ससुर नान्हू, साकिन दसरौली, थाना कोतवाली की लाश को दफनाने से नान्हू के पट्टीदार उसे रोक रहे हैं। इस तार की जांच थानाध्यक्ष कोतवाली गोंडा श्री कालिका सिंह ने की। दोनों पक्षों ने इस झगड़े को पंचायत न तय कर लिया तथा नान्हू की लाश जय राम द्वारा दफनाई गई। इसके अतिरिक्त जयराम द्वारा कोई अन्य प्रार्थना-पत्र या तार कर दिया जाना नहीं पाया जाता है। फिर भी रामपति के विपक्षी से दिनांक 16-4-1974 को एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर पुनः

जांच की गई और शांति भंग होने का आदेश पाकर दोनों पक्षों के आठ-आठ व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 25-4-74 को धारा 107/117 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत रिपोर्ट भेजी गई।

रामपति की हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली में एक मुकदमा धारा 147/148/149/307/302/323 भारतीय दंड विधान कायम हुआ जिसकी विवेचना के उपरान्त सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया।

विद्युत् परिषद् में सहायक अभियन्ता (राजस्व) के स्थान पर राजस्व अधिकारी बनाकर कार्यालय के कर्मचारियों की पदोन्नति

*28—श्री विश्राम (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 16 अगस्त, 1974 को उत्तर प्रदेश हायडिल मिनिस्टीरियल एसोसिएशन तथा राज्यपाल के सलाहकार श्री लाल के बीच हुई वार्ता के आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि विद्युत् परिषद् के डिवीजनों में सहायक अभियन्ता (राजस्व) के स्थान पर राजस्व अधिकारी बनाकर कार्यालय कर्मचारियों को पदोन्नति दी जायगी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई तथा उपरोक्त एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत अन्य मांगों पर अलग-अलग क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

य० पी० हाइडिल मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों तथा राज्यपाल के तत्कालीन सलाहकार से विगत 16 अगस्त, 1973 को एसोसिएशन की मांगों के सम्बन्ध में वार्ता हुई थी, परन्तु उसमें कोई निर्णय नहीं लिए गए थे। विद्युत् परिषद् के डिवीजनों में सहायक अभियन्ता (राजस्व) के स्थान पर राजस्व अधिकारी बनाकर कार्यालय कर्मचारियों को पदोन्नति किये जाने की मांग पर बाद में विचार हुआ। परन्तु यह पाया गया कि उक्त पद पूर्णतयः गर तकनीकी नहीं है। इस कारण लिपिक वर्गीय कमचारियों को इस पद पर पदोन्नति देना उपयुक्त नहीं होगा। एसोसियेशन द्वारा प्रस्तुत अन्य मामलों पर जो कार्यवाही हो रही है उसका अलग-अलग संक्षिप्त ब्योरा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 855 पर।)

ग्राम रसूलपुर, सफदरगंज, जिला बाराबंकी में तथाकथित डकैती

*29—श्री बेनी प्रसाद (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम रसूलपुर, थाना सफदरगंज, जिला बाराबंकी में दिनांक 9 मई, 1974 को कोई डकती पड़ी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनसार ग्राम रसूलपुर, थाना सफदरगंज, जनपद बाराबंकी में दिनांक ई, 1974 को डकैती की कोई घटना नहीं हुई।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा स्थापित सतर्कता अधिष्ठान

*30— सुल्तान सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा स्थापित सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच कराने हेतु वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में कितने मामले इंजीनियरों के विरुद्ध दिये गये और किन-किन इंजीनियरों के विरुद्ध अभियोग सिद्ध हुये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

विद्युत् अभियन्ताओं के विरुद्ध वर्ष 1972-73 में 130 मामले और वर्ष 1973-74 में 78 मामले राज्य विद्युत् परिषद् की सतर्कता इकाई को जांच करने हेतु राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा सौंपे गये।

इनमें से 3 अधिकारियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए और उन्हें चेतावनी दी गई। एक अधिकारी को चेतावनी एवं वेतन से कटौती की सजा दी गई और 3 के विरुद्ध कोई गम्भीर आरोप सिद्ध न होने के कारण स्थानान्तरण कर दिया गया।

17 अधिकारियों के सम्बन्ध में परिषद् द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। 7 मामलों में अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया सम्पादित किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

जिला कानपुर में अधिक समय तक कार्यरत पुलिस इन्सपेक्टर

*31—श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि कानपुर जनपद में कार्यरत ऐसे कौन से पुलिस इन्सपेक्टर हैं जिनका निर्धारित समय व्यतीत हो जाने के बाद भी उनका स्थानान्तरण कानपुर से नहीं किया जा रहा है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

कानपुर जनपद में ऐसा कोई भी पुलिस इन्सपेक्टर नियुक्त नहीं है जो निर्धारित अवधि के व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी कार्यरत हो।

*32—33—श्री कल्याण सिंह—

[6वें गुरुवार के लिए स्थगित।]

अतारांकित प्रश्न

1—श्री ओम प्रकाश सिंह—

[निरस्त]

2—श्री श्रीनारायण—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

देवरिया जिले के लार व सलेमपुर थानों में डकैती, चोरी, कत्ल, बैल खोलाई एवं राहजनी की वारदात

3—श्री हरि केवल (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के लार व सलेमपुर थाने में पहली जुलाई, 1973 से 30 अप्रल, 1974 के बीच कितनी डकैतियां, चोरियां, कत्ल, बल्वे, बैल खोलाई एवं राहजनी हुईं, कितने में फाइनल रिपोर्ट लगाई गयी तथा कितने मुकदमे ऐसे हैं जिसमें अभी तफतीश हो रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 856 पर।)

इटावा जिले में जजी के बरखास्त व दंडित कर्मचारियों की अपीलें

4—श्री कल्याण सिंह—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले की जजी में काम करने वाले ऐसे कितने बरखास्त तथा दंडित किये गये कर्मचारियों की अपीलें सरकार के पास नौकरी में पुनः रखने अथवा दंडादेश निरस्त करने क लिए विचाराधीन हैं ? ये अपीलें सरकार को कब मिलीं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राज मंगल पांडेय—

इटावा जिला जजी के तीन कर्मचारी सर्वश्री सुशील चन्द्र गोस्वामी, बाबूराम, चौकीदार एवं जगदीश चन्द्र त्रिवेदी की अपीलें क्रमशः 1 दिसम्बर, 1972, 9 जुलाई, 1973, एवं 19 मार्च, 1974 को प्राप्त हुईं। प्रथम दो अपीलें उच्च न्यायालय इलाहाबाद को संस्तुति हेतु तथा तीसरी अपील जिला जज, मैनपुरी को आख्या हेतु भेजी गई हैं ।

5—श्री तीरथ राम कोहली—

[निरस्त]

6—श्री मोहम्मद रफी खां—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

पुलिस परिषद् की मान्यता के सम्बन्ध में पुलिस एवं सेना में संघर्ष

7—श्री हरि केवल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में पुलिस परिषद् के मान्यता के संबंध में गत 12 मई, 73 से 20 मई 73 के बीच पुलिस, पी० ए० सी० एवं सेना संघर्ष में कितने व्यक्ति अलग-अलग जाने से मारे गये, कितने घायल हुए तथा कितने व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया ? कितने जवानों को सेवा मुक्ति का आदेश दिया गया तथा कितने ऐसे जवान हैं जो आज भी जेलों में बन्द हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रश्न में उल्लिखित तिथियों में पुलिस पी० ए० सी० एवं सेना के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

जिला शासकीय अधिवक्ता (माल) के विरुद्ध शिकायतें

8—श्री कल्याण सिंह—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिला सरकारी वकील (माल) के सार्वजनिक कार्य के संबंध में कितने शिकायती-पत्र उन्हें जनता द्वारा 1973 वर्ष में प्राप्त हुए ? उनमें मुख्य शिकायतें क्या थीं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राज मंगल पांडेय—

वर्ष 1973 में जौनपुर के जिला शासकीय अधिवक्ता (माल) के विरुद्ध एक ही प्रकार की दो शिकायतें प्राप्त हुईं थीं इनमें यह आरोप लगाया गया है कि गांव सभा का हित जिला शासकीय अधिवक्ता (माल) के हाथों में सुरक्षित नहीं है । आरोप की जांच करायी जा रही है।

9—श्री दल सिंह यादव—

[स्पष्टीकरण के हेतु हटाया गया।]

समस्त विभागों की सेवाओं में अनुसूचित एवं जनजातियों का कोटा

10—श्री शिव प्रसाद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के समस्त विभागों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये सुरक्षित स्थानों के कोटे की पूर्ति हो गई है। यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार विभागवार अब तक का आंकड़ा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण के अनुसार कोटा अभी पूरा नहीं है । इस संबंध में आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं ।

11—श्री शिव प्रसाद—

यदि निर्धारित सुरक्षित कोटे की पूर्ति अब तक नहीं हुई है तो सरकार अब इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण कोटे की पूर्ति हेतु समय-समय पर कई आदेश जारी किये हैं । नवम्बर, 1973 में इसी उद्देश्य से ही विभिन्न विभागों में श्रेणी 3 व 4 के संवर्गों में विशेष भर्ती के आदेश जारी किये गये थे । इन आदेशों के अनुसार उक्त जातियों के लिये क्रमशः 45 प्रतिशत व 5 प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये गये ।

12—श्री रणधीर सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

जिला चमोली, पिथौरागढ़ व उत्तर काशी के ब्लाक प्रमुखों और उप ब्लाक प्रमुखों के यात्रा भत्ता हेतु बजट में प्राविधान न होना

13—चौधरी चरण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चमोली, पिथौरागढ़ व उत्तर काशी जनपद के ब्लाक प्रमुखों तथा उप प्रमुखों के लिये वर्ष 1973–74 के बजट में यात्रा भत्ते का प्राविधान नहीं किया गया ? यदि हां तो इसका क्या कारण है ? और क्या सरकार वर्ष 1974–75 में 1973–74 के यात्रा व्ययों के भुगतान का भी प्राविधान करने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

पिथौरागढ़ (चम्पावत तहसील को छोड़कर) चमोली व उत्तरकाशी जिलों में क्षेत्र समितियों के प्रमुखों तथा उप-प्रमुखों का चयन वर्ष 1973-74 के मूल बजट प्रस्ताव तैयार हो जाने के पश्चात् सम्पन्न हुआ था । इस कारण उनके यात्रा-भत्ता व्यय का प्राविधान वर्ष 1973–74 के बजट में नहीं कराया जा सका । जी हां, वर्ष 1973–74 के यात्रा भत्ते का भुगतान भी इस वर्ष कर दिया जायेगा ।

थाना कैन्ट एवं कोतवाली (गोरखपुर) में सरकारी धन के दुरुपयोग की रिपोर्ट

14—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

विधान सभा में उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 12, दि0 22–1–73 के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिस धनराशि के गबन के मामले में जांच जारी है वह किस

अधिकारी द्वारा की जा रही है तथा संबंधित मामले की चार्जशीट कब तक अदालत में पहुंच जाने की संभावना है और कुल कितना धन गबन हुआ है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जांच पुलिस द्वारा की जा रही है जांच पूर्ण होने पर ही मामले को अदालत में भेजने पर विचार किया जायेगा। बिना जांच पूर्ण हुए यह नहीं कहा जा सकता कि कितने धन का गबन हुआ है।

थाना बघौली, जिला हरदोई में कत्ल व डकैती

15—श्री अंगने लाल (जिला हरदोई)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले के थाना बघौली में जुलाई, 73 से दिसम्बर, 1973 तक कितने कत्ल व कितनी डकैती पड़ीं और कितने कत्ल व डकैतियों में फाइनल रिपोर्ट, कितने में चार्जशीट और कितने केस विचाराधीन हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जुलाई, 73, से दिसम्बर, 73 तक हरदोई जिले के थाना बघौली के अन्तर्गत तीन कत्ल व चार डकैतों के अपराध हुए। दो कत्ल के तथा चारों डकैती के मुकदमों में चार्जशीट न्यायालय भेजी जा चुकी हैं और मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं। कत्ल का एक मुकदमा पुलिस की विवेचना में है।

लखनऊ में हत्यायें व लावारिश लाशों की बरामदगी

16—श्री कल्याण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी लखनऊ में 1 मई से 31 मई, 1974 तक कितनी हत्यायें हुईं तथा कितनी लावारिश लाशें पाई गईं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

लखनऊ में 1 मई से 31 मई, 1974 तक की अवधि में दो हत्यायें होने की रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हुई। उक्त अवधि में लखनऊ में सात लावारिश लाशें पाई गईं जिन पर कोई चोटों के निशान नहीं पाये गये।

श्री रामकरन उपाध्याय, सिपाही, जिला गोरखपुर की राहजनी के सम्बन्ध में गिरफ्तारी

17—श्री कल्याण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर में पुलिस का एक सिपाही मई, 74 के अंतिम सप्ताह में राहजनी के अभियोग में गिरफ्तार किया गया ? यदि हां तो पूरी घटना क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्री माधव मधुकर, मुहल्ला रायगंज, गोरखपुर ने थाना कोतवाली पर दिनांक 24-5-74 की रात को इस आशय की लिखित सूचना दी कि उसी रात पुलिस सिपाही श्री रामकरन उपाध्याय तथा उनके दो साथियों ने उनको मार पीटकर उनकी घड़ी छीन ली। इस सूचना पर थाने पर भारतीय दंड विधान की धारा 394 के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके विवेचना शुरू की गई और अभियुक्त रामकरन उपाध्याय तथा एक अन्य अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

18—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री आशाराम यादव—

[6वें गुरुवार के लिये स्थगित।]

रेलवे हड़ताल के सम्बन्ध में रेलवे कर्मचारियों और गैर-कर्मचारियों की गिरफ्तारी

19—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री भगवती सिंह बिशारद—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल वापस होने के दिन उत्तर प्रदेश में कितने रेल कर्मचारी बन्दी थे? कितने कर्मचारी 3-6-74 को बन्दी थे और 2-6-74 तक कितने कर्मचारी जमानत पर छोड़े गये तथा कितने बिना शर्त छोड़े गये तथा रेलवे आन्दोलन के सिलसिले में गैर-कर्मचारी कितने व्यक्ति गिरफ्तार थे?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल की समाप्ति के दिन अर्थात दिनांक 28 मई, 1974 को 2553 रेल कर्मचारी जेल में बन्द थे। दिनांक 2 जून, 1974 तक 384 कर्मचारी जमानत पर रिहा हो चुके थे तथा उक्त तिथि तक कोई भी रेल कर्मचारी बिना शर्त नहीं छोड़ा गया। दिनांक 3 जून, 1974 को 2252 कर्मचारी बन्दी थे। रेलवे हड़ताल के सिलसिले में 128 गैर-कर्मचारी गिरफ्तार किये गये थे।

20—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

(माननीय सदस्य की प्रार्थना पर 8वें गुरुवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

21—श्री ऊदल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 857-863 पर।)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1974

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1974 जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 864-873 पर)

मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

श्री सत्यपाल मलिक द्वारा एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना प्राप्त हुई है माननीय मुख्य मंत्री जी के खिलाफ। इसका स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री जी ही करेंगे।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, गत 25 जून, 1974 को श्री राम आधार राय व श्री बेनी प्रसाद वर्मा के मोहन गोल्ड वाटर ब्रुवरीज लिमिटेड, लखनऊ से सम्बन्धित प्रश्न के उत्तर में मैंने निम्न प्रकार उत्तर दिया था :—

"मोहन गोल्ड वाटर ब्रिवरीज लिमिटेड, लखनऊ को केवल 'बियर' बनाने का लाइसेंस दिया गया था। इस कम्पनी द्वारा 'बियर' के अतिरिक्त कोई अन्य मदिरा स्वयं नहीं तैयार की जाती। इस कम्पनी के लिये ही आरक्षित, केवल ह्विस्की की कुछ ब्रांड मोहन मेकिन ब्रुवरीज लिमिटेड द्वारा तैयार की जाती हैं, जो नियम संगत है। अतः सरकार द्वारा कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।"

माननीय सदस्य श्री सत्यपाल मलिक ने नियम 61 के अन्तर्गत इस उत्तर के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखा है जिस पर वांछित सूचना इस प्रकार है :—

माननीय सदस्य का यह कथन है कि गोल्ड वाटर ब्रुवरीज लिमिटेड, लखनऊ बीयर और ह्विस्की के अलावा ब्राण्डी, रम और जिन शराबों की अनेकों किस्में अपना उत्पादन कह कर बेंच रहा है और इस आधार पर यह आक्षेप प्रस्तुत किया गया है कि मोहन गोल्ड वाटर ब्रुवरीज द्वारा उत्पादित विदेशी शराब के बारे में सदन को सही तथ्य नहीं प्रस्तुत किये गये।

मैं अपनी बात पुनः दोहराना चाहता हूं कि मोहन गोल्ड वाटर ब्रुवरीज लिमिटेड, लखनऊ को केवल बियर बनाने का लाइसेंस दिया गया था और इस कम्पनी द्वारा 'बियर' के अतिरिक्त कोई अन्य मदिरा स्वयं तैयार नहीं की जाती। इस प्रकार सदन में जो तथ्य दिये गये थे उससे सदन का किसी भी प्रकार से अवमान नहीं होता। इस सम्बन्ध में मैंने और छानबीन कराई है और मुझे ज्ञात हुआ है मोहन गोल्ड वाटर ब्रुवरीज लिमिटेड, लखनऊ की वर्ष 1974 के लिये एक डायरी निकली है जो आपकी सेवा में मैं भेज रहा हूं जिसमें 'आवर अल्कोहोलिक प्रोडक्ट्स' शीर्षक के अन्तर्गत बीयर की अनेक किस्मों तथा ह्विस्की, ब्राण्डी, रम और जिनका उल्लेख किया गया है...

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

बीयर की किस्में हैं या...

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वेराइटीज आफ बीयर एण्ड ह्विस्की, ब्राण्डी, रम और जिन का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में और जानकारी प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ है कि मोहन गोल्ड वाटर ब्रुवरीज लिमिटड ने वर्ष 1974 की एक डायरी निकाली है जिसमें 'आवर अल्कोहोलिक प्रोडक्ट्स' के शीषक के नीचे बियर की अनेक किस्मों तथा ह्विस्की, ब्राण्डी, रम और जिनका उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में मोहन गोल्ड वाटर ब्रुवरीज लिमिटेड से स्पष्टीकरण मांगा गया। असिसटेंट कमिश्नर की जांच और उनके द्वारा प्राप्त उत्तर से फिर यह स्पष्ट है कि इस कम्पनी ने अपनी पर्स कम पाकिट डायरी में ब्राण्डी, रम और जिनका इश्तिहार किया है क्योंकि वे भविष्य में इस प्रकार का उत्पादन मोहन मेकिन ब्रुवरीज लिमिटेड द्वारा करवाना चाहते हैं परन्तु इस दिशा में अभी कोई प्रगति नहीं हुई है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो समझा है कि मैंने कोई तथ्य छिपाये हैं तो सही नहीं है। उनकी जो 1974 की डायरी है उसे मैं सभापति जी की अनुमति से उनके पास भेज रहा हूं। एक बात और कही गयी कि मैंने अपना जन्म दिन वहां मनाया। साधारणतया अगर कोई व्यक्ति कहता है तो मुझे ज्यादा आक्षेप दिखाई न देता। लेकिन जैसा मैं शुरू दिन से कहता आया हूं और कहता रहूंगा कि इस सदन को मलिक जी

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

से बड़ी आशाएं हैं। जब उन्होंने यह कहा तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैंने अपना कोई जन्म दिन वहां नहीं मनाया। यह बात सच है कि मैं वहां के मजदूर संगठन का प्रेसीडेंट हुआ करता था। इस वर्ष उन्होंने अपने मजदूरों के साथ बोनस और तनख्वाह के बारे में समझौता किया तो मुझसे कहा कि "आप आकर इसका वितरण कर दें"। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश उसी दिन मेरा जन्म दिन भी पड़ा। लेकिन वहां कोई विशेष समारोह नहीं हुआ और जो कुछ हुआ उसमें मैं 35 मिनट उपस्थित रहा। मुझे आशा है कि मेरे इस स्पष्टीकरण को यह सदन स्वीकार करेगा।

चौधरी चरण सिंह--

माननीय मुख्य मंत्री जी के कहने से यह जाहिर होता है कि डायरी के अल्फाज ऐसे हैं कि यह शराब बनाने का विचार रखते हैं आगे बेचने के लिए। लोगों का ख्याल हो गया कि आज बेच रहे हैं और आगे बेचने का इरादा है। क्या मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि उन्होंने इसका लाइसेंस ले लिया है? दूसरी बात यह कि जो एडवरटाइजमेंट के शब्द हैं उन्हें पढ़ने का कष्ट करेंगे?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

डायरी तो मैंने अध्यक्ष जी के पास भेज दी है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह उसमें से पढ़ कर सुना दें। अगर उन्हें वह न मिले तो मेरे पास भेज दें मैं पढ़ दूंगा। जहां तक प्रश्न लाइसेंस का है वह मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसकी जांच करा लूंगा। दो कम्पनियां हैं। गोल्ड वाटर और मोहन मेकिन। गोल्ड वाटर कह रही है कि मोहन मेकिन से बनवायेंगे। एडवरटिजमेंट में है "आवर अल्कोहोलिक प्रोडक्ट्स"। मलिक साहब को भी यही पर्चा मिला होगा। इसमें लिखा है 'बियर्स'। इसमें 26 किस्म की बियर्स का हवाला है।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

यह नहीं लिखा कि क्या बनायेंगे?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

यह नहीं लिखा।

चौधरी चरण सिंह--

"आवर अल्कोहोलिक प्रोडक्टस", इसका मतलब है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इस के छापने और लिखने में गलती की है। यह उन्होंने भूल की और इसके लिए प्रताड़ना कर दी गयी है।

श्री सत्यपाल मलिक--

जो मुख्य मंत्री जी ने कहा उससे काफी सफाई हो गयी। यही डायरी मुझे भी मिली। जो चीज उन्होंने छापी है उससे पता नहीं लगता कि वह क्या बनायेंगे। यह सवाल मैंने किसी निजी निगाह से नहीं उठाया। आपके पास है बियर का लाइसेंस और बेंचते हैं और 5/6 किस्म की चीजें। इसमें गड़बड़ी जरूर कुछ है, जिससे उसको फायदा होगा और मुख्य मंत्री जी चाहें तो जांच करा सकते हैं। जितनी बोतलें बनती हैं, उतनी रिकार्ड होती हैं कि नहीं। कहीं वह बोतलों के जरिये प्रदेश में सियासत तो नहीं करते? यह तो रही डायरी की बात। रही जन्मदिन की बात--तो मान्यवर, मुख्य मंत्री जी पूरे सूबे के मुख्य मंत्री हैं। हम चाहते हैं कि उनकी तस्वीर मजदूरों के पास रहे, मोहन मेकिन के पास नहीं। उनके जन्म-दिन का फायदा क्या पूंजीपतियों को उठाने दिया जाय? जन्मदिन की दावत हमारे यहां कर सकते हैं, मजदूरों के यहां कर सकते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, मैंने तो वहां चाय तक क्या, पानी तक नहीं पिया और चौधरी साहब का एक्जाम्पिल फालो किया। हमें कुछ बातें चौधरी साहब से सीखनी चाहिये। उसमें मजदूर और मालिक का सम्मिलित निमंत्रण आ गया था, इसीलिये जाना पड़ा। लेकिन मैंने पानी का एक घूंट तक नहीं पिया और फिर भाग कर चला आया। मैं डरा कि कहीं पानी में कुछ और न हो।

श्री सत्यपाल मलिक--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इतना और चाहता हूं कि इतनी तमाम चीजों को, जिसके लाइसेंस उनके पास नहीं हैं, क्यों दूसरी फैक्ट्री से बनवाकर बेंचना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि वह इस बात की किसी आफिसर से जांच करवा लें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैंने इस प्रश्न की जांच असिस्टेंट कमिश्नर को वहां भेज कर करवा ली है कि सब बातें ठीक हैं कि नहीं। अब माननीय मलिक साहब चाहते हैं तो और भी छानबीन करवा लूंगा कि डायरी में जो चीजें दी गयी हैं, उनको वह साधिकार बना सकते हैं या नहीं।

श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)--

कुछ बियर रम इस प्रकार की हैं कि जो इस गोल्ड वाटर की लेबिल से बेची जाती हैं। मुख्य मंत्री जी के बंगले के सामने बोर्ड लगा है।

श्री अध्यक्ष--

श्री राम जनम राय, सदस्य विधान सभा ने मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध इस आधार पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है कि उन्होंने 25 जून, 1974 को सूचनाकर्ता सदस्य के तारांकित प्रश्न संख्या 5 का लिखित एवं मौखिक उत्तर देते हुये सदन में बताया कि संबंधित मामले की जांच पुलिस नहीं कर रही है। मुख्य मंत्री का कहना है कि पुलिस द्वारा जांच नहीं की गयी और आपका कहना है कि पुलिस सहकारिता... बहुत थोड़ा अन्तर है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण दे दूं।

मान्यवर, इस माननीय विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 5, दिनांक 25 जून, 1974, से संबंधित माननीय राम जनम राय ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। इस प्रश्न के उत्तर में मैंने यह कहा था कि गाजीपुर की जो सहकारी बैंक है, वह सुपरसीड हुआ है और पुलिस की जांच उसके सम्बन्ध में नहीं हुई है। मैं दोहराना चाहता हूं कि मेरी बात सत्य है और हमारी बात की जो सत्यता है वह माननीय राम जनम राय ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित किया है, उसके द्वारा भी स्पष्ट हो जाती है। इसमें उन्होंने लिखा है (दूसरा पैरा,) दिनांक 23 अप्रैल, 1974 को वरिष्ठ कृषि निरीक्षक (सहकारिता), जिला सहायक निबन्धक, कार्यालय, सहकारी समितियां, उ0 प्र0, गाजीपुर, ने अपने पत्रांक 519:3 दिनांक 23 अप्रैल, 1974 को थाना अध्यक्ष नोनहरा, जनपद गाजीपुर को लिखित सूचना भेजकर बैंक द्वारा सहकारी समिति कादीपुर, के सदस्यों में वितरित 79,420 रु0 92 पैसे के अपहरण करने का आरोप लगा कर सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन किया?

मान्यवर, यह बात सत्य है कि तीन साधन सहकारी समितियों के नाम पुलिस के पास रिपोर्ट आई कि कुछ रुपये का गोलमाल है। साधन सहकारी समितियों का बैंक के साथ एक रिश्ता जरूर है और वह यह कि उनकी क्रेडिट लिमिट होती है और उतना रुपया वे बैंक से उधार ले सकती हैं और इन तीन साधन सहकारी समितियों ने बैंक से लोन लिया उसमें कुछ गोलमाल

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

पाया गया जिसका जिक्र उसमें है। लेकिन बैंक के संचालक मंडल के खिलाफ संचालक हो की हैसियत से कोई भी मुकदमा किसी भी प्रकार का नहीं है। इसलिये जो उत्तर मैंने दिया उसमें न तो कोई असत्य बात कही गयी, न छिपाई गयी। इसलिये सदन के अवमान का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—

इसको मैं अस्वीकृत करता हूं।

सिंचाई मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

अपने विशेषाधिकार के प्रश्न में श्री बाबूलाल वर्मा ने यह कहा है कि अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में सिंचाई मंत्री ने कहा कि नाला नहीं टूटा है जब कि वे स्वयं देख कर आये हैं कि नाला कई वर्षों से टूटा है और कई सौ एकड़ जमीन हजरपुर, धनपारा आदि गांवों की बह गयी है। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं कि नाला नहीं टूटा है। इस पर माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि माननीय सदस्य जी टूटने की बात कह रहे हैं अगर वे लिख कर देंगे तो जांच करवा लूंगा। आगे चल कर यह भी पूछा गया था कि जिन अधिकारियों ने गलत सूचना दी है, क्या मंत्री जी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे? इस पर भी माननीय मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया था और यह स्पष्ट कहा था कि कोई नाला नहीं टूटा है। इससे स्पष्ट है कि मंत्री जी की जो जानकारी थी उन्होंने उस आधार पर अपना वक्तव्य दिया और मंत्री जी ने यहां तक कहा कि माननीय सदस्य अगर लिख कर देंगे तो वह जांच करवा लेंगे। इसमें कोई गलत बयानी नहीं है। इसलिये यह अस्वीकृत किया गया।

विधान परिषद् में विधान सभा अध्यक्ष के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में श्री गौरी शंकर राय, सदस्य, विधान परिषद् के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

इस पर आप गम्भीरता पूर्वक व्यवस्था दें। मैं एक चीज कहना चाहता था। श्री सुरेश कुमार, सुपुत्र केन्द्रीय सरकार मंत्री का प्रश्न विधान परिषद् में उठा और वहां पर आपका जिक्र आया। मैं यह जानता हूं कि एक सदन की कोई भी चीज दूसरे सदन में नहीं उठाई जा सकती और एक सदन का विशेषाधिकार का प्रश्न दूसरे सदन में नहीं उठाया जा सकता लेकिन आपकी चर्चा दूसरे सदन में हुई। आपका मान अपमान हमारा मान अपमान है। मेरी तुच्छ बुद्धि में यह आता है कि जिस मेम्बर ने यह रिफरेंस किया उसको तुरन्त रोक देना चाहिये था चेयरमैन महोदय द्वारा कि यह रिफरेंस मत करो, क्योंकि दूसरे सदन का मसला यहां नहीं उठाया जा सकता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिये यह विशेषाधिकार का प्रश्न यहां पर उठाया गया कि गौरी शंकर राय के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है?

श्री अध्यक्ष—

इसका हल यह नहीं है कि वही गलती दोहराई जाय। दो गलतियां एक सही नहीं हो सकतीं। प्रश्न यह है कि अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार पीठासीन अधिकारी व्यवस्था देते हैं। वसे एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहा जाता और कोई शिकायत इस सदन के किसी माननीय सदस्य के खिलाफ थी तो मामला यहां भेज दिया जाना चाहिये था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसी भी विधान सभा या लोक सभा में यह मान्य परम्परा का विषय हो गया है और इस पर प्रमाणित आधार भी मौजूद हैं। मान लीजिये लोक सभा का कोई माननीय सदस्य अवमान करे तो हम उसे लोक सभा में भेज देंगे और वहीं उसके बारे में फैसला होगा...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

वहां का तरीका यह होना चाहिए, मेरी समझ में कि जैसे ही आपका नाम लिया गया था वैसे ही तुरन्त उनको रोक दिया जाना चाहिए था किन्तु नहीं रोका गया। इससे कानून का जो प्रोटेक्शन हमें मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। राइट विन्डिकेट नहीं हुआ। इसलिये मैंने यह प्रश्न उठाया। अगर ऐसा होता रहेगा तो हमारी मर्यादा कैसे सुरक्षित रह सकती है ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

मान्यवर, मैंने आपको लिख कर दिया था कि क्या विधान परिषद् से आपको कोई इसकी जानकारी मिली है ?

श्री अध्यक्ष---

अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, श्री सुरेश राम बिहार असेम्बली के मेम्बर हैं। हो सकता है उन्होंने यह कहा हो कि हमारे चेयरमैन ने यह कहा है जो कि बिहार विधान सभा के स्पीकर से ताल्लुक रखता हो और आप वैसे ही बीच में आ गये हों। इसको देख लें।

श्री अध्यक्ष---

जब वह हमारे पास आयेगा तो हम उसे देख लेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, जैसे मैंने कहा कि हमारा प्रोटेक्शन नहीं हो पाया.....

श्री अध्यक्ष---

यह अभी कहां कहा गया है। यह तो जो चेयर से कहा जाता है उसी पर आधारित है। कोई प्रमाण और नोटिस नहीं है। इसलिये मैं इसे बिलकुल एकदम अस्वीकार करता हूं।

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)---

मान्यवर, मेरे प्रश्न का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

कोई गलत बयानी नहीं हुई। पहले भी यह बात आपने उठायी थी और फिर वही गल्ती कर रहे हैं। कल आपने कहा था कि हमको कोई उत्तर नहीं मिला। फिर आपने लिखा कि वापस आने पर चिट्ठी नौकर ने मुझे दी। तो हो सकता है उसने आपको देर से दी हो। आपने हमें लिख दिया और सूचना दे दी, इसके लिये धन्यवाद।

प्रश्नों के उत्तर विलम्ब से मिलने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि सरकार से जो प्रश्न आते हैं वे तीन दिन पूर्व आपके कार्यालय में आ जाने चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

क्या आप कार्यसूची 7 में चले गये?

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

सवालों के सम्बन्ध में उनके मिलने न मिलने के बारे में मैं यह कह रहा था कि उनके जवाब सरकार से आपके कार्यालय में 3 दिन पहले आ जाने चाहिये। ताकि आप देख सकें। मालूम यह हुआ है कि वे आपके कार्यालय में 8 बजे शाम को दूसरे दिन के लिये आते हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने यह सवाल उठाया है। उस पर मैंने निर्देश कर दिया है कि नियमानुसार ही वह आये।

स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद में बिजली के अभाव में एक बालक की मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

यह कहना सत्य से परे होगा कि प्रदेश के अस्पतालों में व नर्सिंग गृहो में बिजली के अकस्मात गायब हो जाने से सैकड़ों मृत्यु नित्य होती हैं। स्वरूप रानी मेडिकल कालेज, अस्पताल, इलाहाबाद में एक डिपथीरिया रोगी के, बिजली फेल होने के कारण निधन होने व अस्पताल में अव्यवस्था की जांच श्री शैलेश्वर मिश्र, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य विभाग ने इलाहाबाद जाकर 28-6-1974 को की और जांच के फलस्वरूप निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये। श्री विनोद कुमार नामक एक बालक गंभीर हालत में स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में 23-24 जून की रात को भर्ती हुआ। जूनियर डाक्टर ने उसको देखा और यह निदान किया कि शायद सको डिपथीरिया है और उसके गले का आपरेशन करना पड़ेगा। 24-6-1974 को प्रातः 10.00 बजे प्रोफेसर एस० आर० सिंह ने जो कान, नाक व गले के विशेषज्ञ हैं, इस लड़के को देखा और उन्होंने यह निदान किया कि क्योंकि डिपथीरिया नहीं है गले के आपरेशन की आवश्यकता नहीं है। उनका निदान था कि लड़के को "लैटेन्जल सारकोमा" यानी कैन्सर सम्भावित है। अतः इसकी बायप्सी आवश्यक है। 24-6-74 को उपरोक्त बालक अस्पताल में रहा और उसका इलाज चलता रहा पर बालक के घर वाले बायप्सी के लिये तैयार नहीं हुए और 25-6-74 को बालक को अस्पताल से ले गये। अतः इस मरीज के बारे में यह कहना कि बिजली फेल हो जाने से आपरेशन नहीं हो सका, सही नहीं है।

23-6-1974 को डिपथीरिया से पीड़ित एक लड़का जिसका नाम अशोक कुमार है और जिसकी आयु डेढ़ साल है, स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती हुआ। इस बालक का ठीक इलाज हो रहा है और 28-6-74 को जब संयुक्त निदेशक जांच को गये तो हालत संतोषजनक थी।

उपरोक्त अस्पताल में बिजली की वर्तमान व्यवस्था में और सुधार की व्यवस्था की जा रही है। विद्युत् विभाग मिन्टों पार्क के सब-स्टेशन से नये स्वीच द्वारा बिजली की सप्लाई को शीघ्र ही चालू करने जा रहा है और इसके बाद दो तरफ से अस्पताल को बिजली प्राप्त हो सकेगी। फिलहाल अस्पताल के सामने से डिस्ट्रीब्यूसन मेन्स द्वारा एक 440 वोल्ट लाईन से बिजली उपलब्ध होने की व्यवस्था स्वरूपरानी अस्पताल में विभाग द्वारा रखी गयी है। विद्युत् विभाग से यह तय कर लिया गया है कि मेडिकल कालेज व अस्पतालों की बिजली व्यवस्था की समय-समय पर निरीक्षण कर सलाह देते रहेंगे। स्वरूपरानी अस्पताल में इन्टरनल वायरिंग के और सुधार के लिए रु० 2,000 की मंजूरी निदेशक ने दे दी है और इसके अलावा भी जो आवश्यकता होगी मंजूरी दे दी जायगी।

दवाई तथा आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में अस्पताल के वरिष्ठ अधीक्षक ने बताया कि उनके पास स्टाक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उनको आदेश दिये गये हैं कि वार्ड में दवाई पर्याप्त मात्रा में दी जायं और यदि कोई दवाई अस्पताल में उपलब्ध न हो तो केन्द्रीय चिकित्सा औषधि भंडार, लखनऊ से विशेष वाहक द्वारा मंगवा लें। इसके अलावा एक बार में रु0 500 तक का स्थानीय क्रय का अधिकार भी सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट का है जिसका उपयोग वह तात्कालिक आवश्यता के लिये कर सकते हैं।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

पहली बात तो यह है कि बयान में यह लिखा है—'यह कहना सत्य से परे होगा कि प्रदेश में अस्पतालों में व नर्सिंग गृहों में बिजली के अकस्मात गायब हो जाने से सैकड़ों मृत्यु नित्य होती हैं'। किन्तु मैं कहता हूं कि मेरा तो यह एलीगेशन ही नहीं है। मेरे प्रस्ताव में यह कहीं नहीं लिखा है। लिहाजा यह कहना—उसका जवाब देना अनावश्यक था।

अब मैं यह जानना चाहता हूं कि डाक्टर आन डियुटी जो था, उसका बयान जो अखबार में छपा है, वह यह है—

Daily Action, Kanpur, Dt. June 27, 1974: "A child striken with diphtheria died in the Swarup Rani Nehru Hospital here last night because of power failure according to the doctor on duty."

तो डाक्टर का यह बयान है कि डिफथीरिया ग्रस्त एक लड़का मर गया, लेकिन आपका बयान है कि उसको उसके मां-बाप वापस ले गये। ऊपर वाली तो पेपर की न्यूज थी अब जो डाक्टर ने कहा, वह इस प्रकार से इन्वर्टेड कामाज में लिखा है—

"I just could do nothing and watched the child dying helplessly. Even if I had dared to perform the operation in torchlight, other vital equipment could not work without power."

अर्थात् समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को उसने यह बताया है कि मैं बच्चे को मरता हुआ अपने सामने देखता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। अगर मैं टार्च रोशनी में भी कोशिश करता तो आपरेशन करने के लिए और जो अन्य उपकरण आवश्यक हैं, वे बिजली के बिना काम नहीं कर सकते थे। डाक्टर का यह इतना कैटिगोरिक्ली बयान है कि लड़का इस तरह से मर गया और आपकी इत्तिला है कि कोई ऐसा वाकिया हुआ नहीं। डाक्टर का यदि यह बयान ठीक है, तो उसका जिक्र आपके बयान में नहीं है। इन दोनों में इतना कन्ट्राडिक्शन है कि वित्त मन्त्री जी इसकी फिर से सफाई कर दें तो अच्छा होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं माननीय नेता विरोधी दल का आभारी हूं कि उन्होंने जहांतक मेरे वक्तव्य की पहली पंक्ति है उसकी उपादेयता को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है। मैं केवल यह ध्यान दिलाऊंगा कि यह पंक्ति उनके सूचना प्रस्ताव में नहीं थी बल्कि सम्मानित नेता जनसंघ के सूचना प्रस्ताव में थी। पहली पंक्ति का इस लिए मुझे उल्लेख करना पड़ा। मैं नेता विरोधी दल का आभारी हूं कि वह इसको एक प्रकार से स्वीकार करते हैं कि यह ठीक है।

जहां तक इस तथ्य का प्रश्न है, मेरे पास वह अखबार मौजूद है जिसमें यह छपा था। जब माननीय मुख्य मन्त्री ने इस अखबार को पढ़ा तो उन्होंने डाइरेक्टर, मेडिकल एण्ड हेल्थ सर्विस से कहा कि इसकी जांच करायी जाय। जांच के लिए डाक्टर मिश्रा इलाहाबाद गये। डाक्टर मिश्रा की रिपोर्ट मेरे पास है। उसी के आधार पर वक्तव्य बनाया गया है। उसमें भी यह चीज लिखी गयी है जिन तथ्यों का मैंने उल्लेख किया है। जिन डाक्टर का यह

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

तथाकथित बयान है इसका कंट्राडिक्शन मेडिकल सुपरिनटेंडेंट स्वरूपरानी नेहरू हास्पिटल, इलाहाबाद ने किया है जो नार्दन इंडिया पत्रिका में 29 जून को छपा है ।

"The Senior Medical Superintendent of Swarooprani Nehru Hospital today contradicted a news item, circulated by a news agency (not PTI) that there had been a death of a child suffering from diptheria due to power failure in the hospital.

The Superintendent Dr. S. Noor Mohamed told the PTI that there had not been any death due to diptheria or due to power failure or lack of life saving drugs during the last one week as alleged in the report."

सीनियर मेडिकल सुपरिनटेन्डेन्ट ने यह कंट्राडिक्ट कर दिया कि बच्चे की मृत्यु डिपथीरिया से, पावर फेल्योर के कारण हुई । सीनियर मेडिकल सुपरिनटेन्डेन्ट डाक्टर मित्रा ने स्पष्ट बयान दिया कि यह शक होने पर कि डिप्थीरिया से बच्चा पीड़ित है, एक्सपर्ट को दिखाया गया, एक्सपर्ट डाक्टर सिंह ने यह देख कर कहा कि इसको डिप्थीरिया नहीं है बल्कि लैटेन्जल सार-. कोमा की बीमारी है, जो कैंसर है । इसके लिए बायोप्सी जरूरी है । माता-पिता ने जब बायोप्सी देखा तो उन्होंने मना कर दिया और वह उसको वापस ले गये ।

चौधरी चरण सिंह—

मतलब यह हुआ कि पत्र प्रतिनिधियों ने यह खबर गढ़ ली । डाक्टर न कहा ही नहीं, क्या मैं यह अर्थ लगाऊं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह यू० एन० आई० जिनकी न्यूज है उनसे नहीं पूछा गया । सामान्यतया यह परम्परा रही है कि समाचारपत्रों से यह नहीं पूछते कि आप को कहां से खबर मिली है । यह परम्परा शुरू से रही है ।

चौधरी चरण सिंह—

डाक्टर से पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने बयान दिया है या नहीं । खर वह मालूम कर लेंगे ।

उन्होंने कहा है कि वर्तमान व्यवस्था में और सुधार की आवश्यकता है । उन्होंने तसलीम किया है कि वर्तमान व्यवस्था असंतोषजनक है । दूसरे अस्पतालों में भी यही हालत है या नहीं उसके सिलसिले में गवर्नमन्ट कुछ कर रही है या नहीं ? दूसरे, यहां एक पांच सौ रुपये का स्टाक काफी है, दवाओं और सामान के पांच सौ रुपये सुपरिनटेन्डेन्ट को दे दिये हैं, जरूरत हो तो स्वयं बाजार से खरीद सकते हैं ख्याल इस प्रकार की सुविधा और दूसरे अस्पतालों को दी गयी है और नहीं दी गयी है तो देना चाहिये ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह सुझाव बिलकुल सही है । यह सही है कि बिजली की स्ट्रिपिंग से अस्पतालों में दिक्कत होती है और डाक्टरों को कष्ट है । इसकी पूरी जांच की गयी । एक तो वहां जनरेटर है । जनरेटर की व्यवस्था की जा रही है, जनरेटर चालू रहे, दूसरा आल्टरनेटिव अरेंजमेन्ट रहे यह तत्काल व्यवस्था की जा रही है । एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के डिप्टी चीफ इंजीनियर श्री मित्तल गये थे । उनकी रिपोर्ट मौजूद है । जो भी सुझाव आये हैं, चार पेज की रिपोर्ट है, माननीय नेता विरोधी दल देखना चाहे तो मैं भेज दूं । उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है । सीनियर मेडिकल सुपरिनटेन्डेन्ट को चेतावनी दे दी गयी है और उनका ट्रान्सफर भी हो गया है मेडिकल कालेज इलाहाबाद से ताकि वह अधिक सतर्क रहें । इस दृष्टि से उनके ट्रांस्फर के आदेश दे दिये गये हैं । दूसरे अस्पतालों के लिए यह व्यवस्था की जा

रही है कि सभी जगह जहां-जहां मेडिकल कालेज के अस्पताल हैं वहां पर स्टैंडबाई अरेंजमेंट के लिए जनरेटर खरीदे जायं आपरेशन के लिए। जहां नहीं है। चाहे आगरा हो, चाहे मेरठ हो और भी बड़े-बड़े अस्पताल हैं जहां ओपरेशन होते हैं और महिला अस्पताल हैं जहां आपरेशन होते हैं वहां पर जेनरेटर्स की व्यवस्था की जाय और आल्टर नेट लाइन्स की भी व्यवस्था की जाय जिससे कोई दुर्घटना न हो सके। जहां तक 500 रुपये की दवायें खरीदने का सवाल है वह तो अधिकार सुपरिन्टेन्डेन्ट को पहले से ही प्राप्त हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, मन्त्री जी ने अभी कहा कि जेनरेटर्स की व्यवस्था की जायेगी तो मेरा निवेदन यह है कि मौत इंतजार नहीं करती है इसलिए वह बतायें कि कितने दिनों में व्यवस्था हो जायेगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मान्यवर, जहां तक वित्तीय व्यवस्था का सवाल है आज फाइनेंस सेक्रेटरी से कह दिया है कि वे डाइरेक्टर और मेडिकल सेक्रेटरी से मिल कर एक लिस्ट बना लें और धन की व्यवस्था कंटिंजेंसी से 3 दिन में हो जायेगी। अब जेनरेटर्स को भी शीघ्र लगाने का इंतजाम किया जायगा। मेरी यह व्यवस्था होगी इसमें महीना 15 दिन लग सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, चौधरी साहब ने एक प्रश्न पूछा था जो महत्वपूर्ण है, इसका जवाब नहीं आया। डाक्टर साहब को प्रेस कोट कर रहा है तो क्या आपने डाक्टर से पूछा कि उसने यह बयान कैसे दे दिया और उनका एक्सप्लेनेशन क्या है?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

डाक्टर कहते हैं कि उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। दो डाक्टरों के नाम रिपोर्ट में है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

नियम 56 की दो सूचनायें मिली हैं। एक श्री ओम प्रकाश सिंह जी की है कि वाराणसी के विभिन्न विद्यालयों में छात्रावासों में सस्ते दर से गल्ला न मिलने से उत्पन्न कठिनाइयों के बारे में है। इसको आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज रहे हैं। यह 56 का विषय नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)---

मान्यवर, प्रदेश में हर साल जुलाई और अगस्त में छात्रों की मांग को लेकर प्रदेश की स्थिति बिगड़ती है। इसकी सम्भावना है। इसीलिये हमने वाराणसी के छात्र नेता का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि हमें पूरा राशन नहीं दिया जाता है और यदि मेस में खाने के दाम बढ़ाये जाते हैं तो हम आन्दोलन करने के लिये मजबूर होंगे तो इसकी संभावना को देखते हुए जरूरी है कि आप वक्तव्य करा दें।

श्री अध्यक्ष---

सम्भावना के आधार पर कोई सवाल नहीं होता है। अभी तो स्कूल खुल रहे हैं, छात्रावास खुल रहे हैं। अभी विलम्ब नहीं हुआ है और अभी छात्र भी नहीं आये होंगे। इसको आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज रहे हैं।

[श्री अध्यक्ष]

दूसरा श्री बाबूलाल वर्मा का है। लखनऊ विश्वविद्यालय के पहले द्वार के सामने 25 वर्षीय युवती की लाश के पाये जाने के सम्बन्ध में है। इसके लिए आप अल्प सूचित प्रश्न पूछ लें। यह मई का है। इसे विलम्ब से उठा रहे हैं। अविलम्बनीय नहीं है।

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, यह बहुत गंभीर विषय है। इसलिये इस पर आप विचार करने का मौका दें। युवती की लाश गायब कर दी गई।

श्री अध्यक्ष—

इसीलिए कह रहा हूं कि यदि आप अल्पसूचित प्रश्न करेंगे तो सब सवाल आ जायेंगे।

श्री बाबूलाल वर्मा—

ऐसा तो नहीं है कि मेरे हर प्रश्न को आपने कैंसिल करना तय कर लिया है।

श्री अध्यक्ष—

आप अपने नेता से पूछें कि क्या ऐसा हो सकता है। मुझ से पूछने से पहले वहीं बात कर लिया कीजिये।

1974–75 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 57—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य, अनुदान संख्या 58—सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या 82—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 83—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

श्री अध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष 1974–75 के आय-व्ययक पर मतदान।

सिंचाई मन्त्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57–राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण काय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,11,74,800 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58–सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,76,36,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,58,00,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 83—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,81,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, हमारे प्रदेश का दारोमदार इसी मुनेहसर पर है कि खेती की ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो। खेती की तरक्की के लिए जहां इसकी जरूरत है कि अच्छे से अच्छे किस्म के बीज जमीन में डाले जायें और खाद ज्यादा से ज्यादा दी जाये वहां इसकी भी जरूरत है कि सिंचाई का ज्यादा से ज्यादा प्रबन्ध हो। सिंचाई के प्रबन्ध बगैर खेती की तरक्की नहीं हो सकती है। चुनांचे हमारी सरकार इस चीज को समझते हुये पूरी तरह से इसकी कोशिश कर रही है कि सिंचाई का ज्यादा से ज्यादा इन्तजाम हो सके। आपने देखा कि कई साल से हमारे प्रदेश में वर्षा की कमी रही है और खासतौर से इस साल सर्दी के मौसम में वर्षा हमारे प्रदेश के बहुत हिस्सों में नहीं हो पायी है और इस वजह से जो गेहूं की फसल थी वह बहुत ज्यादा खराब हो गयी। अन्दाज यह है कि 40 फीसदी गेहूं की कमी हुई है। अब मैं समझता हूं कि अगर सिंचाई की तरफ पूरी तवज्जह दी नहीं जाती तो इससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता था। हमने इसी साल कई प्रोजेक्ट पूरे किये हैं सिंचाई के, जिनमें से एक झांसी में जामनी बांध, हमीरपुर में चन्द्रावल बांध, नैनीताल में हरीपुरा प्रोजेक्ट, आजमगढ़, बलिया में दोहरी घाट पम्प नहर के पानी बढ़ाने की योजना हमने इसकी पूरी कोशिश की है सिंचाई के साधन ज्यादा से ज्यादा जुटाये जायें।

मैं यह भी अर्ज करूं कि इस साल हमने 1,179 ट्यूबवेल्स नये लगाये हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पानी का इन्तजाम कर सकें। हालांकि यह भी बात तस्लीम करनी पड़ती है कि इस साल बिजली की कमी की वजह से हमें बहुत काफी दुश्वारियां रहीं लेकिन सिंचाई के सिलसिले में पूरी-पूरी कोशिश की गई। मैं अर्ज करूं कि हमारे प्रदेश में हमारी इन योजनाओं से 8 लाख एकड़ में ज्यादा आबपासी हुई है। मैं यह समझता हूं कि अगर गौर किया जाय तो वह कोई मामूली बात नहीं है जिस पर पूरी तवज्जह न दी जाय। पिछले साल नहरों से जितना पानी दिया जाता था इसकी कोशिश यह की गई कि सिंचाई के लिए हम उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और उनके जरिये सिंचाई का इन्तजाम ज्यादा से ज्यादा हो। चुनांचे हमारी नहरों से भी इस साल 2 लाख एकड़ में पिछले सालों से ज्यादा सिंचाई हुई है। इस साल तो पहले प्रोजेक्ट भी मुकम्मल किये गये जिनमें से एक राम गंगा का प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप जानते हैं कि हमारे सूबे में बहुत अर्से से उस पर काम हो रहा था। उस पर मिट्टी का काम खत्म हो गया और उसके बाद उसकी झील में पानी भर रहा है। अब इससे यह जितने यू0पी0 के पश्चिमी जिले हैं उन तमाम जिलों में सिंचाई का इन्तजाम होगा और तकरीबन हर जिले में उससे सिंचाई की और तरक्की होगी।

इस प्रोजेक्ट से जून, 75 तक 5 लाख एकड़ रक्बे में और ज्यादा सिंचाई होगी और इससे हमारे गल्ले की समस्या जो है उसे खत्म या हल करने में मदद मिलेगी। दूसरी प्रोजेक्ट है हमारी गंडक नहर का। इसमें भी काम जितना नहर के बनाने का था वह मुकम्मल हो गया है। अब उसमें माइनर और रजबहा का काम बहुत तेजी से शुरू किया गया। उसमें एक बड़ी दुश्वारी यह थी कि नालियां वगैरह बनाने में बहुत मुश्किलाहट हुई। उसके सिलसिले में अभी आपके सामने बिल आया था जिसको आपने मंजूर किया है। हम चाहते हैं कि वह भी काम बहुत जल्दी पूरा हो ताकि उस इलाके में सिंचाई का पूरा-पूरा प्रबन्ध किया जा सके। शारदा सहायक के सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि शारदा सहायक की योजना कुछ अरसे से चल रही थी उसमें प्रोग्राम के

[श्री मोहम्मद महमूद अली खां]

खिलाफ उसे पूरा किया जा चुका है और उसके अतिरिक्त जो प्रोग्राम पहले से था वह हमने इस साल बहुत जल्दी पूरा कर लिया है और दरियाबाद की शाखा में पानी डाल दिया गया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

वह तो 82 किलोमीटर पर टूट भी गई।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

जब आप बतायेंगे तो उसका भी जवाब दे देंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं एक सचना चाहता हूं माननीय मंत्री जी जिस नहर का जिक्र कर रहे हैं, अभी वह नहर खुद कर भी तैयार नहीं हुई है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी किस नहर का जिक्र कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

जो-जो मंत्री जी कहेंगे कि उसी पर तो आप बोलेंगे।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

मान्यवर, यह साल पांचवीं योजना का पहला साल है। हमारी योजना है कि हम नये-नये काम शुरू करें और उन्हें जल्दी से जल्दी मुकम्मल करने की कोशिश करें। पिछले साल कुछ काम शुरू हुआ था जिनको मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। यह प्रोजेक्ट में जैसे सोन पम्प नहर, यमुना पम्प नहर, निचली गंगा पम्प नहर, खारा नहर और देवकली पम्प नहर वगैरह हैं। ये पिछले साल शुरू की गयीं थी और अब उन पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है ताकि प्रदेश में सिचाई का काम जल्द से जल्द हो सके। इनके अलावा कुछ नये प्रोजेक्टस हैं जैसे जिला खीरी में अलीगंज योजना, ललितपुर में शहजाद बांध, जिला मिर्जापुर में कन्हर योजना, बरेली में आनन्दपुर, फतेहगंज पम्प नहर, जौनपुर में भंडेरी पम्प नहर और जिला बदायूं में रसूलपुर पम्प नहर वगैरह। इनमें इस साल काम शुरु हो जायगा और इनसे वहां के लोगों को सिंचाई में सुविधा हो जायगी।

पहाड़ी क्षेत्र और उत्तराखंड में भी कई योजनायें हमारे सामने हैं और उन पर भी जल्दी काम शुरू करा देना चाहते हैं ताकि वहां पर भी सिचाई की जरूरतें पूरी हो सकें।

इस साल के आखिर तक हमने एक प्रोग्राम बनाया है और उसके मातहत करीब-करीब 14 लाख एकड़ में नयी सिचाई हम करने में कामयाब होंगे और अगर इसमें हमें कामयाबी हुयी तो हमारे सूबे की एक बहुत बड़ी जरूरत पूरी हो जायगी।

बुन्देलखण्ड में राजघाट बांध योजना का मामला बहुत अर्से से चल रहा है और उसका कोई हल नहीं हो पाता था क्योंकि वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का मामला था। हमारे मुख्य मंत्री जी ने कोशिश की और वहां के मुख्य मंत्री जी से मिले। चुनांचे दोनों सरकारों में एक मुहायादा हो गया है और अब मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही उस योजना पर भी काम शु हो जायगा जिससे कि कई जिलों को पानी मिलने की आसानी पैदा हो जायगी, इससे झांसी, जालौन और हमीरपुर वगैरह में करीब 3 लाख एकड़ की सिंचाई होगी।

प्रदेश में ट्यूबवैल्स के लिए हम 2 निगम भी बना रहे हैं। एक आगरा व मेरठ कमिश्नरी और दूसरी लखनऊ व बरेली कमिश्नरी में होगा। मैं यह समझता हूं कि ट्यूबवैलों में जो दुश्वारियां हैं, इनसे वे दूर होंगी और सिंचाई का प्रबन्ध करने में हमें कामयाबी होगी। मैं

फिर यही अर्ज करता हूं कि अगर हमारे सूबे में सिचाई का सही प्रबन्ध हो जायगा तो यह सूबा पूरे देश को गल्ला फराहम कर सकेगा। अधिक समय न लेते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और सदन को यकीन दिलाता हूं कि जो माननीय सदस्य मश्विरा देंगे मैं उन पर अमल करने की कोशिश करूंगा।

माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, नत्थी (घ) में जो मेरा कटौती का प्रस्ताव छपा है, उसमें कुछ गल्ती हो गयी है। उसमें दिया है :—

"जैसा कि—

बस्ती जिले में राप्ती नदी पर लिफ्ट स्कीम चालू करना, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में कुंवा खुदवाना, चरणावन.... ।"

इसके स्थान पर चंवर ताल रखा जाय।

श्री रामजन्म राय (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 57—राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं, प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटा कर एक पया कर दी जाय ?

श्रीमन्, हमारे सिंचाई विभाग द्वारा प्रगति की जो विवरण पस्तिका अभी सदस्यों में वितरित की गयी है उसमें सिंचाई कार्यों का पूरा लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है। इसलिए उसके ब्योरे में जाकर मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। फिर भी कुछ आधारभूत आंकड़ों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जिनका हमारे ऊपर असर पड़ता है।

माननीय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और सबसे ज्यादा कृषि पर निर्भर रहने वाला प्रदेश है। इसके अन्तर्गत 298.06 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल है जो कि कृषि उपयोग भूमि है और खेती के लिये उपलब्ध है, जिसमें फसल बोई जाती है ऐसी भूमि 176·58 लाख हेक्टर है इस प्रदेश में प्रथम योजना से पहले कुल सिंचित भूमि थी 30·35 लाख हेक्टर। प्रथम योजना के अन्त में वह 37.57 लाख हेक्टर हो गयी। 1961 में 44·62 लाख हेक्टर। तीसरी योजना में 1966 में 51.68 लाख हेक्टर थी और अब मार्च 1974 में 65·11 लाख हेक्टर है जो कि अनुमानित क्षेत्र है। उपलब्धि संभवतः 5989 लाख हेक्टर हुई है।

(इस समय 12 बजकर 56 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए।)

[श्री रामजनम राय]

माननीय, इस वक्त हमारे सिंचाई विभाग ने यह माना है कि विभिन्न कारणों से सिंचाई की उपलब्धि 40 प्रतिशत कम हो पायी है अतः राजस्व की वसूली पूरी न की जानी चाहिये, ऐसा हम अपना सुझाव प्रस्तुत करते हैं। जब सिंचाई विभाग स्वयं मानता है कि सिंचाई विभिन्न कारणों से उपलब्ध नहीं करायी जा सकी तो उन्हें राजस्व को पूरा-पूरा वसूल करने का कोई अधिकार नहीं है। और इस संबंध में हम यह भी कहना चाहते हैं कि सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न प्रान्तों में जो दरें चार्ज की जाती हैं वह पंजाब में क्रमशः गन्ने और गेहूं के लिये प्रति हेक्टर गन्ने के लिए 5.50 से 34 रुपया और गेहूं के लिये 6 रुपये से लेकर 14.50 रु०। हरियाणा में गन्ने के लिए 20 रुपये से 40 रुपये तक और गेहूं के लिए 3.50 से 14.5 रुपये तक। उत्तर प्रदेश में गन्ने के लिये 21 रुपयें से 110 रुपये तक और गेहूं के लिये 8.50 से 30 रुपये तक। यह बहुत ही ज्यादा है। और इसको अन्य प्रान्तों के मुकाबले में देखने से ऐसा विदित होता है कि यह दर हमारे गरीब प्रदेश के लिये बहुत ज्यादा है और इसमें कमी करनी चाहिए।

मान्यवर, हमारे पूर्वी जिलों में, खास करके रिहंड और ओबरा दो डैम कृषि के नाम पर ही बनाये गये और कृषि के नाम पर ही उनमें रुपये का व्यय भी किया गया, लेकिन जब योजनायें पूरी हुई तो किसानों को उनसे बिजली नहीं दी जा सकी। बड़े-बड़े उद्योगपतियों को औद्योगीकरण के नाम पर बिजली दे दी गयी। हिंडालको को 1.97 पैसा प्रति यूनिट के लगभग बिजली दी जाती है और इस प्रकार ४/५ बिजली दे दी जाती है।

बिजली के विषय में यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में किसानों को जिस आधार पर बिजली दी जाती है वह दर देश में सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा वसूली की जाती है। आप देखें कि तामिल नाडु में 9 पैसा प्रति यूनिट, आंध्र में 10 पैसा प्रति यूनिट, केरल में 8 पैसा महाराष्ट्र में 13 पैसा, पंजाब में 11 पैसा, लेकिन उत्तर प्रदेश में 28 पैसा प्रति यूनिट बिजली के लिए चार्ज किया जाता है। जबकि हमारे यहां इतना ज्यादा रुपया कृषि के नाम पर ही व्यय किया गया है तो कृषि के नाम पर व्यय किये हुये रुपये से बने हुये बान्धों की बिजली किसानों को सस्ती दरों पर देने में कोई आपत्ति दिखाई नहीं पड़ती।

अब हम विभाग की उपलब्धियों की ओर दृष्टि डालें तो उसका विवरण पुस्तिका में दिया गया है। हम विभाग की विभिन्न मदों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए जो विभाग में विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार होते हैं उनकी तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करेंगे। और चाहूंगा कि उनमें सुधार हो कर हमें ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हो सकें।

रख-रखाव प्रखंडों में पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि नहरों की सफाई ठीक से नहीं हो पाती है और अधिकारीगण उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। टेल पर पानी न पहुंचने की वजह से सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते और फसलें प्रायः सख जाती हैं। इसके अलावा कभी कभी नहरें बीच में ही कट जाती हैं जिसकी समय से मरम्मत नहीं हो पाती और पानी बगल में बह कर प्रायः फसलों को डुबो देता है जिससे बड़ा नुकसान हो जाता है। ट्यूबवेल भी समय-समय पर फेल हो जाया करते हैं। अधिकारियों का ध्यान बहुत देर में आकर्षित होता है और ट्यूबवेल की मरम्मत होते-होते प्रायः फसलों की सिंचाई के दिन बीत जाती है और फसल सूख जाती है।

कांस्ट्रक्शन डिवीजन के बारे में मुझे यह कहना है कि नहरों का निर्माण जमीन अवाप्ति के पहले ही प्रायः प्रारम्भ कर दिया जाता है जिसकी वजह से अक्सर देखा जाता है कि नहरें पूरी तरह से निर्माण नहीं हो पातीं, बीच में ही काम रुक जाता है और कभी-कभी जमीन अवाप्ति की कठिनाइयों के कारण नहरों का रास्ता बदलना पड़ता है जिससे बहुत धन का नुकसान हो जाता है, अनावश्यक विलम्ब तो होता ही है। यह तो प्रायः प्रत्येक में देखा जाता है कि जो लिफ्ट योजनायें बनायी गयी हैं उनमें बिजली के नाम पर बराबर यह कह दिया जाता है कि बिजली की कमी के

कारण सिंचाई पूरी नहीं हो सकी। लेकिन यह एक बहाना मात्र है। वास्तव में वहां की मशीनें बहुत ज्यादा खराब रहा करतीं हैं या पैसा खर्च करने के बहाने खराब कर दी जाती है। उन मशीनों को और पम्पों को कम से कम समय चलाया जाता है। अधिकारियों का ध्यान मशीन खरीदने या उसके पुर्जे खरीदने की तरफ ज्यादा रहता है बनिस्बत इसके कि सिंचाई में उनकी क्षमता का समुचित उपयोग किया जाय।

गाजीपुर के सिलसिले में थोड़ा मैं जरूर कहना चाहूंगा। हमारे यहां देवकली योजना जो प्रस्तावित की गयी है और उसके तृतीय चरण में मोहमदाबाद तहसील का कुछ भाग लिया गया है ऐसा फील किया जाता है कि उसकी क्षमता पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो सकेगी क्योंकि आज से 15-20 साल पहले जमनिया में नहरें बनायी गयी थीं जिनको चन्द्र प्रभा और नौगढ़ से मिलाने के बाद अब तक उन नहरों में पानी नही दिया जा सका है। करोड़ों रुपया जनता का उसमें बरबाद हुआ है और इसका कोई औचित्य नहीं हो सका है। ऐसी परिस्थिति में मैं सरकार से यह चाहूंगा कि देवकली परियोजना के द्वितीयचरण में प्रस्तावित बाराचवर एवं मोहमदाबाद की सिंचाई को सुधार कर के यदि सम्भव हो सके तो गौसपुर या अन्यत्र लिफ्ट योजना बनायी जाय जिससे सिंचाई ठीक तरह से हो सके।

रिग्स डिवीजन तथा ट्यूबवेल डिवीजन, सिंचाई में सबसे ज्यादा घोटाला इन्हीं जगहों में होता है। ये ही सबसे ज्यादा अपव्यय के साधन हैं और उन्हीं में सब से ज्यादा रुपया खर्च किया जाता है। राजकीय कार्यशालाओं पर विशाल पूंजी लगी हुई है। बहुत ज्यादा अधिकारीगण वहां कार्यरत रखे जाते हैं लेकिन वास्तव में वहां कार्य नहीं होता। अधिकारियों की इस बात में दिलचस्पी होती है कि ज्यादा से ज्यादा काम बाजार से करा लिया जाय क्योंकि उससे उन्हें कमीशन मिलता है। इसी लिये उनकी कोशिश रहती है कि बाजार से ही कार्य करा दें। कार्यशालाओं में कम से कम कार्य कराने का वे प्रयास करते हैं। और मशीनों के पुर्जे बड़ी आसानी से यहां ही बनाये जा सकते हैं, लेकिन उनको भी बाहर से मंगाया जाता है। मासिक क्रय का लेखा जोखा भी आडिट सेल को नहीं भेजा जाता है। इसके ऊपर ए० जी० विभाग से कई आपत्तियां भी समय-समय पर की गयीं, मगर इस विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जिसके कारण अधीनस्थ अधिकारीगण मनमानी करते रहते हैं और जनता के पैसे का बरबाद किया करते हैं। मेरा सुझाव है कि इस खरीदारी वाले मामलों की जांच करने के लिये एक कमेटी बनानी चाहिये जो यह रिपोर्ट करे कि किस अधिकारी ने खरीदारी के मामले में अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है अथवा अपने अधिकार-सीमा का उल्लंघन किया है। इस प्रकार दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

इस सिलसिले में एक और चीज निवेदन करना चाहता हूं। एक अधिशासी अभियन्ता को 6 हजार रुपये मासिक तक का सामान खरीदने का अधिकार होता है, मगर यह लोग 50-50 लाख तक का सामान खरीद लेते हैं। गाजीपुर डिवीजन में मार्च के महीने में करीब 60 लाख के पुर्जे आदि खरीदे गये। इसी प्रकार वाराणसी में 88 लाख के लगभग व्यय किया गया जब कि उनका अधिकार-सीमा केवल 6,000 रुपये ही है। जिस वक्त यह पार्ट्स खरीदे जाते हैं उनकी उस समय कोई जरूरत ही नहीं होती। खरीदने के बाद उनको सर्पलस में दिखा दिया जाता है और फिर उनको गजेट कराकर बेच दिया जाता है। इस तरह से करोड़ों रुपये की हानि सरकार को उठानी पड़ती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इसके लिये एक समिति बनाये जो इसकी पूरी तरह से जांच करे। वह यह भी पता लगाये कि गोदामों में पड़ा हुआ माल सर्पलस है या नहीं है, तो क्यों खरीदा गया और उसके लिये कौन जिम्मेदार है।

[श्री राम जनम राय]

इस विभाग में, इंजीनियरिंग विभाग में, यूं तो भ्रष्टाचार प्रारम्भ से ही था, मगर वह क्रमशः बढ़ता चला गया। प्रथम योजनाकाल के शुरू में यह 5–10 प्रतिशत तक था, आज 5वीं योजना के शुरू होने पर वह 40–50 प्रतिशत तक हो गया है। सिविल में भी है, पर उसमें अपव्यय इतना नहीं होता, उसमें रेट्स अधिक दिये जाते है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। गाजीपुर डिवीजन में 90 हजार फुट पाइप खरीद लिया, मशीनों के तमाम पुर्जे खरीदे गये, बड़े-बड़े पार्ट्स खरीदे गये, और यह सब स्थानीय लोगों से खरीद लिये गए, जबकि यह पार्ट्स स्टैन्डर्स फर्म्स से ही खरीद किए जाने चाहिए थे। स्थानीय लोगों से चूंकि कमीशन अधिक मिल जाता है इसलिए उनसे ही खरीद लिया जाता है। यह बहुत गलत है और नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा इसमें भी जनता का लाखों रुपये का नुकसान होता है और सामान भी अच्छा नहीं मिलता। इसके अलावा इन मशीनों के पार्ट्स को सीधे मशीनों पर इस्तेमाल करना नहीं दिखाया जाता इसकी जगह वे, प्रोजेक्ट पर उनका खर्च दिखा देते हैं। इससे यह पता नहीं चल पाता कि अमुक मशीन पर कितना खर्च पड़ा। यदि मशीनों पर उनका खर्च दिखाया जाय तो यह आसानी से पता चल सकता है कि कितना वास्तविक खर्च हुआ और कितना उसमें घपला है। परियोजनाओं पर उसका सारा खर्च डाल देने से यह पता नहीं चल पाता कि कहां किस मशीन पर क्या खर्च हुआ। इसके अलावा मशीन का डिप्रीशियेटेड मूल्य इसलिए नहीं दिखाया जाता ताकि अधिकारी उसकी मरम्मत आदि में मनमाना खर्च दिखा सकें। विभागीय नियमों में यह स्पष्ट लिखा है कि हर मशीन का डिप्रीशियेटेड मूल्य रखना चाहिए जिससे कि उसपर मरम्मत में होने वाले खर्च के लिए औचित्य को प्रमाणित किया जा सके।

डिप्रीशियेटेड मूल्य को न रखने से अधिकारियों को यह मौका मिलता है कि मन चाहा रुपया मशीन की मरम्मत में खर्च कर सकें। विस्तार में जाने से यह निश्चित रूप से पता लगेगा कि कभी-कभी जो मशीन का मूल्य होता है उससे ज्यादा रुपया उसके रख-रखाव पर खर्च कर दिया जाता है। प्रत्येक प्रखण्ड में स्टोर में सरप्लस मैटीरियल की जांच की जाय, जसा मैं पहले ही कह चका हूं। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। रिग प्रखंड में मशीनो की मरम्मत, पेट्रोल, पार्ट्स आदि क्रय करने में काफी घपलेबाजी की जाती है। बनारस से ओबरा आने जाने में लगभग 40 लीटर डीजल लगता है और केवल ओबरा से बनारस आने में 40 लीटर मोबिल का खर्च दिखाया जाता है। इस तरह से पैसे का दुरुपयोग किया जाता है।

मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उनकी मरम्मत आदि करवाने में काफी समय लगता है, इस तरह से साल भर में केवल कुछ दिन ही काम कर पाता है और सारा साल इसी तरह से निकल जाता है और उनके रनिंग घन्टे साल से अधिक हो जाते हैं। इससे काफी पैसा हमारे देश का और हमारे प्रदेश का अपव्यय होता है। रिग प्रखण्ड की गाड़ियों का लाग बुक ठीक से नहीं रखा जाता है। साल के अन्त में गाड़ियों के चलने के घंटों को देखकर उनके तेल का खर्च दिखाया जाता है। इसी तरह से तमाम पैसे का अपव्यय होता है। संक्षेप में अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों को मैंने सदन के सामने रखा है। मैं सरकार से चाहूंगा कि इनके प्रति समुचित कार्यवाही करे जिससे यथासम्भव इस अपव्यय को रोका जा सके।

अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है और अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र के भीतर रह कर कार्य करना चाहिए। और यदि वे अपने कार्य क्षेत्र के भीतर रह कर काम करेंगे तो निश्चित रूप से अपव्यय पर रोक लगेगी। अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से उनके अधीनस्थ कर्मचारी मनमाने ढंग से काम करते हैं और उन पर अंकुश नहीं लग पाता है।

इसके अलावा अधिष्ठाता महोदय, मैं शासन स्तर पर भी कुछ विशेष भ्रष्टाचार की ओर आपका ध्यान इंगित करूंगा। मैं चाहूंगा कि किसी का नाम न लूं क्योंकि सदन में नाम न लेना चाहिए लेकिन अनचाहे किसी विशेष भ्रष्टाचार को इंगित करते समय किसी का नाम आ जाय तो अधिष्ठाता महोदय मुझे माफ करियेगा।

जिस भ्रष्टाचार की बात मैं कह रहा हूं इसकी ओर शासन को भी ध्यान देना चाहिए। अब मैं कुछ बातों को पेश करता हूं: —

1—शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत गोमती नदी पर लखनऊ के कुछ पूर्व ऐक्वेडक्ट के कार्यों के लिए जिस दर की स्वीकृति की गयी है वह अन्यत्र किए जाने वाले कार्यों की दर से कहीं ऊंचा है। इसकी जांच होनी चाहिए।

2—श्री अतीउर रहमान, अधिशासी अभियन्ता, रुहेलखंड, बरेली द्वारा शासन को ढ़ाई लाख रुपये की हानि परन्तु उनके पोषक सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर द्वारा जांच का कराना तथा बीच में ही प्रोन्नति करके एस० ई० बना देना।

3—श्री एम० एफ० शमशी, शारदा कैनाल उन्नाव डिवीजन में शीशम के पेड़ों की बिक्री में संदिग्ध आचरण के बावजूद लखनऊ फ्लड डिवीजन का इंचार्ज बनाना तथा यहां उनके द्वारा बोल्डर खरीदने में पुनः लाखों का घपला। इनका और अधिक पक्षपात कर इन्हें ऊंची ज्येष्ठता उपलब्ध हो जाने से और लोगों के साथ अन्याय हुआ है।

सर्वश्री मोहम्मद इस्माइल सिद्दीकी, मनमोहन स्वरूप, यस० के० सहाय अधिशासी अभियन्ता की चरित्र पंजिकायें अच्छी न होने के कारण सेलेक्शन कमेटी द्वारा अयोग्य घोषित किए गए जिसके कारण राज्यपाल शासन में इनको प्रोन्नति नहीं दी गई। परन्तु वर्तमान शासन ने इन्हें प्रोन्नति देकर अधीक्षण अभियन्ता बना दिया है। श्री इब्तिदा अली खां, जो ७ वर्ष तक लखनऊ में ही अधिशासी अभियन्ता थे प्रोन्नति देकर पुनः लखनऊ में ही बाढ़ नियंत्रण मण्डल में अधीक्षण अभियन्ता बना दिया गया है। राज्यपाल शासन में श्री मुजफ्फर हसन खां, अधिशासी अधियन्ता को तीन वर्ष से ज्यादा हो जाने पर इटावा से स्थानान्तरण हो जाने पर श्री पी० के० अरोरा को चार्ज देकर भी पुनः वतमान शासन ने इन्हें इटावा वापस भेज दिया है। श्री इज्तबा हुसैन जदी, सहायक अभियन्ता को सेठ अचल सिंह, एम० पी० की सिफारिश पर गम्भीर आरोपों के होते हुए भी मथुरा में ही रखा गया जबकि श्री रंगी लाल, अधिशासी अभियन्ता को 24 घन्टे के अन्दर स्थानान्तरण हो गया। इन दोनों अभियन्ताओं के ट्रांसफर के आदेश एक साथ हुए थे। श्री अनीस अहमद, अधिशासी अभियन्ता जो नानक सागर बांध टूटने में मुख्य दोषी थे उनको सिफ सेन्सर इन्ट्री तथा दो इन्क्रीमेन्ट रोक कर छोड़ दिया गया तथा विरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता को कम दोषी होने पर भी उनको रिटायर कर दिया गया जबकि वे सिंचाई विभाग में सबसे ज्येष्ठ अधिकारी थे।

श्री अधिष्ठाता—

सदन में लिखित कोई भाषण देने की इजाजत नहीं है। आप सहायता ले सकते हैं।

श्री रामजनम राय—

श्री जमाल मतीउद्दीन, अधिशासी अभियन्ता को गम्भीर अनियमितताओं के कारण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिबुनल द्वारा वेतन वृद्धि रोकने के आदेश के बावजूद केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। श्री माजिद अली सिद्दीकी, अधिशासी अभियन्ता को गन्डक लाइनिंग में

[श्री रामजनम राय]

प्रतिकूल प्रविष्टि के बावजूद शासन ने उसको आलोपित कर दिया है। गन्डक लाइनिंग में खराब कार्यों के लिए श्री माजिद अली तथा कुछ अन्य अधिकारी जिम्मेदार थे। इस मामले को एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिबुनल के सामने रखा गया था परन्तु अब इस शासन ने इसकी जांच राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, मुख्य अभियन्ता द्वारा कराकर मामले को दबाने की साजिश हो रही है। अनेक ज्येष्ठ सहायक अभियन्ताओं की वरीयता को दबाकर जूनियर श्री मोहम्मद सिद्दीकी को ग्रामीण अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति की गई है। इसी प्रकार भ्रष्ट एवं अयोग्य अभियन्ता को गोरखपुर रिंग डिवीजन में नियुक्ति की गई है। कालागढ़ से हटाकर एक अधिशासी अभियन्ता को ट्यूबवेल डिवीजन आजमगढ़ में तैनात किया गया है। इस प्रकार इस शासन में तमाम अनियमिततायें हो रही हैं औरभ्रष्ट एवं अयोग्य व्यक्तियों की प्रोन्नति की जा रही है। इसके अलावा श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग बहुत दिनों से एक ज्येष्ठ मुख्य अभियन्ता के हाथ में है और संयोग वश वह सिंचाई विभाग के सचिव भी हैं। इस विभाग में करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और उसके दोनों मुख्य पदों को एक अधिकारी के हाथ में रखना जनहित में अच्छा नहीं है। मान्यवर, मैं इस सिलसिले में किसी टेक्निकल के सचिव होने का विरोध नहीं कर रहा हूं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि वरिष्ठ अभियन्ताओं को पूरे देश में एक पूल बना दिया जाय और उन्हीं में से सचिव के पद पर नियुक्त करने का प्रयास किया जाय। मुख्य अभियन्ता से सचिव के पद पर प्रोन्नति होने से उसको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में से किसी न किसी से लगाव हो जाता है और किसी न किसी से नाराजगी भी। तो जब वह सचिव के पद पर आ जाता है तो उस समय किसी को तो फायदा हो जाता है और किसी को अकारण हानि होने की संभावना रहती है यह उनकी जानकारी के कारण है। हमारा यह ख्याल है कि निष्पक्ष राय नहीं दे सकते ह क्योंकि बहुत सी चीजों की उनको व्यक्तिगत जानकारी होती है और निर्णय लेते वक्त निजी जानकारी का कोई महत्व नहीं होना चाहिये। इसलिए शासन से हम निवेदन करेंगे कि सचिव के पद पर वरिष्ठ अभियन्ताओं का एक पूल बनाकर ही उस पद पर रखने का प्रयास किया जाना चाहिए।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

इस समय तो सचिव हमारे सक्सेना साहब हैं.....

श्री रामजनम राय--

मेरी मांग तो यही है अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है। इसके अलावा मैं माननीय मन्त्री जी से क्षमा चाहूंगा कि एक आदमी है जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उसक बारे में बहुत जोरों से नाम लिया जाता है। शायद वह किसी रेलव का कर्मचारी है और उनके नाम पर दलाली करता है। माननीय मन्त्री जी को ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। हमारे माननीय मन्त्री जी निहायत सज्जन आदमी हैं ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अलग रखना चाहिए। चूंकि अधिष्ठाता महोदय ने समय कम दिया है....

श्री अधिष्ठाता--

यह तो आपका अधिकार है जितनी देर चाहें बोलें। मैंने तो केवल यह पूछा था कि कितना समय आप और लेंगे। आप जितना समय और चाहें ले सकते हैं लेकिन उतन तक ही सीमित रहना चाहिए।

श्री रामजनम राय--

5 मिनट और दे दीजिए। अधिष्ठाता महोदय, सदन का ध्यान पुनः इस ओर ले जाना चाहूंगा कि इस विभाग में जूनियर इन्जीनियर्स के साथ उचित व्यवहार नहीं होता।

यद्यपि यह सही है कि भ्रष्टाचार में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, इसमें दो मत नहीं हैं लेकिन प्रमोशन में उनके साथ न्याय नहीं किया जाता। प्रमोशन के लिए इम्तिहान तो ले लिया जाता है लेकिन दो-दो साल तक फाइल दबाकर रख लिया जाता है और उनको परेशान किया जाता है। यदि शासन के पास उनके प्रमोशन देने के लिये स्थान नहीं है तो इम्तिहान का बहाना बनाकर उसको लटकाये नहीं रखना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और अगर आप प्रमोशन देना चाहते हैं तो इम्तिहान लेकर यथाशीघ्र प्रमोशन दे दिया जाना चाहिए।

जिस प्रकार इस विभाग में भ्रष्टाचार है उसी प्रकार आंकड़ों में भी भ्रष्टाचार है। शासन द्वारा जो आंकड़े रखे गये हैं वास्तव में कितनी सिंचाई होती है वह उसके विपरीत है। आमतौर से सिंचाई का अंकन अमीन या पतरौल करता है। वह घर बैठकर आंकड़े गलत अंकन करता है। जहां सिंचाई का अंकन करने की जरूरत है वहां नहीं करता उनको छोड़ देता है, इससे हमारे प्रदेश के धन का एक बहुत बड़े भाग का दुरुपयोग होता है। गरीबों से रुपया तो वसूल कर लिया जाता है लेकिन जो प्रभावशाली लोग हैं उनसे नहीं वसूल किया जाता। हमारे विभागीय अधिकारी भी मन्त्री महोदय के आदेशों को अक्सर क्रियान्वित नहीं करते। जब आदेश दिये जायं तो उनका क्रियान्वयन अवश्य होना चाहिए। न मानने वाले कर्मचारियों के प्रति सख्ती की कार्यवाही करनी चाहिए। सख्ती लाने से ही भ्रष्टाचार कम होगा। वैसे भ्रष्टाचार तो हमारे में इतना प्रविष्ट हो गया है कि उसको कतई बन्द नहीं कर सकते हैं लेकिन कम अवश्य कर सकते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार कम करने के लिए शासन को चुस्त और दुरुस्त करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव को शासन में सुधार की अपेक्षा करते हुए, समर्थन करता हूं।

श्री हुकुम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान का प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सघन खेती और हरित क्रांति के इस युग में सिंचाई का बड़ा महत्व है। नये बीज, नई मशीनें, के देने से भी कहीं अधिक और सिंचाई के प्रति हमारी सरकार कितनी जागरूक है उसका पता इस बात से चलता है कि सरकार ने जो योजनायें बनाई हैं जैसे टिहरी में, राम गंगा, गंडक योजना और इस प्रकार की अनेकों योजनायें ह, यदि ये सभी योजनायें सफल हो जाती हैं और पूर्ण हो जाती हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ज्यों-ज्यों सिंचाई के साधन बढ़ेंगे त्यों-त्यों उत्पादन भी बढ़ेगा। परन्तु इसके साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान कुछ सुझावों और कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, प्रदेश में सबसे पुरानी नहर जिसको पूर्वी यमुना नहर कहते हैं जो अंग्रेजों ने 1830 में बनाई थी इसका एक सीमित रक्षात्मक लक्ष्य था। ज्यों-ज्यों इस नहर का कमान्ड एरिया बढ़ता गया त्यों-त्यों शासन ने भी इसमें सुधार करने की कोशिश की। परन्तु जितना कमांड एरिया बढ़ा दिया गया है उसी अनुपात से इस नहर में सुधार करने की जो स्कीम थी वह नहीं चल पाई और आज दुर्भाग्यवश सैकड़ों वर्षों की निर्माण की हुई नहर हम यह देख रहे हैं कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में एक विवाद का विषय बन कर रह गई है। जैसा मन्त्री महोदय ने फरमाया कि उस पर कानूनी राय ली जा रही है और उसके बाद उचित कदम उठाया जायेगा, तो इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि पिछली

[श्री हुकुम सिंह]

सरकार ने भी और एस0 वी0 डी0 सरकार ने भी यह आश्वासन दिया था कि कानूनी राय ली जा रही है। तो पता नहीं वह कानूनी राय कहां लुप्त हो गई तो निहायत अदब के साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम कानूनी उलझनों में फंसकर रह गये तो वह उत्तर प्रदेश का वह भाग जहां का किसान अपने क्षेत्र में ही नहीं, भारत में ही नहीं वरन् पूर्ण विश्व में सबसे अधिक परिश्रमी और मेहनती है, उसकी उम्मीद पर पानी फिर जायेगा।

पिछले महीने हिन्दुस्तान टाइम्स में कुछ आंकड़े प्रकाशित हुए थे और काश्तकारों के बारे में एक क्रिटिकल स्टडी भी निकली थी उसमें यह लिखा हुआ था कि मेरठ रीजन का जो काश्तकार है वह संसार के सबसे अधिक मेहनती जफाकाश किसान में से आता है। उसी का परिणाम है कि कृषि में आज वह भारत में सर्वप्रथम है। इसके साथ ही साथ अधिष्ठाता महोदय, यदि उनको इतनी सुविधाएं और उपलब्ध हो जाती तो कई गुना उत्पादन और बढ़ जाता। या तो उस क्षेत्र के किसानों का दुर्भाग्य है अथवा प्रतिनिधित्व ऐसा है कि उनकी बात सुनी नहीं जाती। मैं उस क्षेत्र का होने के नाते जानता हूं कि वहां उस नहर के कारण कितना कष्ट और परेशानी है और कितनी दिक्कत लोगों को हो रही है उसका वर्णन करना बस से बाहर है। वह क्षेत्र टेल एन्ड पर सरकारी आदेशों के अनुसार पांच सप्ताह में उस नहर में एक सप्ताह पानी आता है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ निवेदन करता हूं, सौभाग्य से मन्त्री महोदय, उसी क्षत्र के रहने वाले हैं और उन्हें अनुभव होगा कि पांच सप्ताह तो क्या दस सप्ताह तक भी पानी नहीं आता। नये बीज के लिए जरूरी है कि 16 दिन बाद पानी मिलना चाहिए। अगर पांच सप्ताह बाद पानी आप देंगे तो फिर क्या औचित्य है कि आप काश्तकार से कहें कि वह नये बीजों का प्रयोग करके पैदावार बढ़ावे। हरियाणा जैसा प्रदेश जिससे उत्तर प्रदेश कई गुना बड़ा है भ्रम में डाल कर पिछले कई वर्षों से फायदा उठाता आ रहा है और यदि हम इसी प्रकार सोचते रहे तो हम कुछ नहीं कर पायेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि कोई सुदृढ़ कदम इस दिशा में उठायें जिससे कि यह वर्षों से चली आ रही समस्या हल हो सके।

पानी में चोरी वाली बात भी है। सही है कि किसान चोरी करते हैं क्योंकि कोई दूसरा पानी की चोरी करने नहीं आता। इस चोरी के काम में जो स्थानीय अधिकारी हैं वह भी शामिल रहते हैं। पहले तो पटरी काटनी पड़ती थी परन्तु अब आधुनिक साधन ऐसे हो गये ह कि पटरी काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। रबर का पाइप डाल दिया और पानी ले लिया। इस चोरी को रोकने के लिये जरूरी है कि पैट्रोलिंग की व्यवस्था हो। लेकिन जो अधिकारी हैं वह पैट्रोलिंग नहीं करते और उनका वही दृष्टिकोण आज भी है जो अंग्रेजों के जमाने में था। बड़ा साहब, छोटा साहब, जिलेदार, ओवरसियर साहब, सब साहब हैं केवल साहब बिना काम के। इनको रात और दिन में जाकर पैट्रोलिंग करनी चाहिए लेकिन जब उनसे कहते हैं तो वह कह देते हैं कि हमारे पास सफर करने के साधन नहीं हैं। जीप नहीं है। मेरा निवेदन है कि अनेक विभाग सरकार के अन्तर्गत हैं तो उनमें सामंजस्य स्थापित करें। जिले में हर ब्लाक में जीप है। उनको जीप लेकर इंजीनियर को दें तो यह मौके पर जाकर देख सकें और फिर उन्हें भी यह कहने का जस्टीफिकेशन न रहे कि हमारे पास सफर के साधन नहीं हैं।

चोरी के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। पुलिस की कमी है। हर जगह पुलिस नहीं जा सकती लेकिन यदि कोई शिकायत स्थानीय अधिकारी पुलिस में करता है तो उस पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए। इसके साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि विभागीय अधिकारी ने कितनी शिकायतें कीं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर पतरौल मिला हुआ न हो तो पानी की चोरी नहीं हो सकती। इसलिए मेरा निवेदन है कि मन्त्री जी कोई नोटीफिकशन निकालें या आदेश पारित करें कि यह मालूम हो सके कि अधिकारियों ने कितनी

रिपोर्ट की। अगर अधिकारी रिपोर्ट न करें और चोरी होती रहे तो अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

अधिष्ठाता महोदय, ट्यूबवैल्स में मेन्टेनेन्स की बहुत कमी है। ऐसी मिसालें हैं कि एक-एक ट्यूबवैल इसलिए बन्द पड़ा रहा कि केबिल जल गया था और वह मिला नहीं। अगर 50 रुपये का केबिल न मिले और लाखों की फसल नष्ट हो जाय तो शर्मनाक बात है। नये ट्यूबवेल्स बनते जा रहे हैं लेकिन पुराने की मरम्मत के लिये स्पेयर पार्ट्स हमारे पास नहीं हैं। बिजली की कमी है और पुरानों को भी आप फीड नहीं कर पाते हैं ? फिर क्या जस्टीफिकेशन है ? नये यूनिवेल्स लगने का, अगर हम उनका मेंटीनस नहीं कर सकते, तो क्या फायदा। आपके बिजली और सिंचाई विभाग हैं। बिजली विभाग कहता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है और सिंचाई विभाग कहता है हमारे पास स्पेयर पार्ट्स नहीं हैं। तो स्पेयर पार्ट्स का इंतजाम होना चाहिए। लोकल पर्चेज की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। स्टेट ट्यूबवेल्स के बारे में निवेदन है कि ट्रांसफार्मर जल जाता है, लेकिन रिप्लेस नहीं होता। एस0 डी0 ओ0 और इन्जीनियर्स घूमते रहते हैं, लेकिन स्टेट ट्यूब वेल्स बंद पड़े हैं। खर्च गवर्नमेंट के ऊपर और जनता के ऊपर इन लोगों की तनख्वाह का आता है। इस प्रकार सारी प्रोडक्टिविटी समाप्त होती जा रही है। मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें।

जो डाक बंगले बने हैं, वे गुलामी की निशानी हैं। अंग्रेजों के जमाने में वे लोग अपने मेमों के साथ इन्हीं डाक बंगलों में रुका करते थे। इन डाक बंगलों को मेनटेन करने वाला अब कोई नहीं है। वहां चोर, उच्चके और डकैत के अड्डे बन रहे हैं। प्रश्न उठता है कि हमारे जो इन्जीनियर्स हैं, वे गांवों में जाकर जनता के निकट क्यों नहीं रुकते, क्यों नहीं वे पंचायत घर में ठहरते। 2/3 मील दूर आबादी से दूर इन डाक बंगलों में उनके ठहरने का क्या तुक है। उनको जनता के नजदीक रुक कर जनता की परेशानियों को समझना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इन डाक बंगलों को समाप्त कर दिया जाय।

जहां तक बाढ़ नियंत्रण का प्रश्न है, मैं उस जिले से आता हूं जिस जिले की सैकड़ों वर्ग मील जमीन का हरियाणा में चली गयी। यह बहुत दुख का विषय है कि इस प्रांत का सैकड़ों वर्ग मील इलाका दूसरे प्रांत में इस प्रकार चला जाय। या तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रांत बहुत बड़ा प्रांत है, और इसको इस प्रकार छोटा होने दिया जाना चाहिये। हरियाणा लगातार यमुना नदी पर बांध बनाता चला जा रहा है और यमुना का बहाव यू0 पी0 की ओर होता जा रहा है। चाहे यह केन्द्रीय सरकार करे या हमारी प्रांतीय सरकार करे, लेकिन इस मसले को देखना चाहिये। पिछले वर्ष हरियाणा में जो बांध बनाया गया है, उससे हमारे जिले को भयंकर खतरा पैदा हो गया है और यदि सरकार शीघ्र कार्यवाही नहीं करती जो हजारों आदमियों की जान और माल को खतरा है। मुझे मालूम है, मन्त्री जी इस मामले में स्वयं जागरूक हैं, और वह शीघ्र इस दिशा में कदम उठायेंगे।

इर्रीगेशन में कमांड एरिया बढ़ता जा रहा है। चाहे वहां सिंचाई हो या न हो, स्थानीय अधिकारी उसको एर्रीगेटेड दिखा रहे है नहर में पानी नहीं पहुंचा, लेकिन वहां लैंड एर्रीगेटड दिखा दी जाती है। रबी की बोआई हो गयी, परवरिश हो गयी, कटाई हो गयी, एक भी पानी नहीं आया और उसको सिंचित एरिया दिखाया जा रहा है मैं मंत्री जी महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम पूर्वी यमुना का जो क्षेत्र है, उसके बारे में किसी उच्च अधिकारी से जांच करा लें। वहां काफी इलाका ऐसा है जहां 6 महीने से एक भी पानी नहीं गया है, लेकिन वहां के किसानों से रबी का पैसा लिया जा रहा है।

[श्री हुकुम सिंह]

पैसा लिया जाये इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन एक कतरा पानी न दिया जाय फिर भी उनसे पैसा लेने का क्या औचित्य है।

(श्री जगन्नाथ सिंह परमार का नाम पुकारने पर)

श्री अधिष्ठाता---

आपके यहां से जो सूचना आई है। इसलिए कंपयूजन हो रहा है। सूची एक आनी चाहिए थी।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं सिंचाई अनुदान पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सिंचाई की जो विभिन्न रीतियां हैं मैं उनके संचालन की आलोचना करूंगा तथा सुझाव पेश करूंगा।

सबसे पहले मैं सिंचाई की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय बुन्देलखंड एक ऐसा क्षेत्र है कि वहां की सिंचाई समस्या का दुर्गम होना स्वाभाविक है। मैं पहले सदन का ध्यान बांदा जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बांदा जिले के मध्य को सींचने वाले भाग में गंगऊ, केन नहर, रनगवां तथा बरियारपुर तीन सम्मिलित बांध हैं उनसे निकलती है। ये बांध इतना पर्याप्त पानी नहीं रखते कि इतने क्षेत्र की आबपाशी को पूरा कर सकें और जो भी पानी ये सप्लाई करते हैं बांदा जिला के मध्य क्षेत्र को ही वह भी केवल धान की फसल को। फिर भी इस जिले की यह भूमि सिंचित करार दे दी गयी है जब कि इस अतिरिक्त सिंचाई और सारी बातों को दृष्टि में रखते हुए इसे अर्द्धसिंचित करार दिया जाना चाहिए। नहरों के विस्तार के लिए सिंचाई विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में 40 लाख रुपये रखे हैं। मेरा सुझाव है कि 40 लाख रुपया नहरों के विस्तार में बरबाद न किया जाय क्योंकि बांधों से जो पानी मिलता है वह इन्हीं नहरों को देने के लिए काफी नहीं है। लिहाजा इस 40 लाख रुपये को ट्यूबवेल्स बनाने में अथवा लिफ्ट इरीगेशन के लिए अतिरिक्त रूप से दे दिया जाय।

अब मैं ट्यूबवेल के विषय में निवेदन करूंगा। इस क्षेत्र में ट्यूबवेल की प्रगति बहुत कम है बल्कि जो ट्यूबवेल यहां लगाये गये हैं वे सिंचाई को दृष्टि में रखकर नहीं बल्कि प्रदर्शन को ध्यान में रखकर लगाये गये हैं। लखनऊ से बांदा के लिये जो सड़क जाती है और जो चिल्ला होकर बांदा की तरफ चलती है चिल्ला से 5 मील चलने पर 12 मील के अन्तर में 15, 20 ट्यूबवेल सड़क के किनारे-किनारे लगाये गये हैं। अगर दूसरी जगहों पर इनको लगाया जाता तो अधिक ठीक होता। इस सड़क पर ही लामा मेरा गांव है जहां 30 नलकूप निजी किसानों के लगे हुए थे। वहां दो राजकीय नलकूप 2 वर्ष पहले लगाये गये थे, दो राजकीय नलकूप वहां अब फिर लगाये जा रहे हैं। यह मेरा क्षेत्र है। मैं निवेदन करता हूं कि ये ट्यूबवेल दूसरे गांव में लगाये जायं तो मैं बदनामी से बच जाऊंगा, जनता कहेगी विधायक होते ही मैं अपने गांव में चार-चार ट्यूबवेल लगवा रहा हूं। सिंचाई की योजना इस प्रकार प्रदर्शन की दृष्टि से चलाई जा रही है। मेरा सुझाव है कि सिंचाई को दृष्टि में रखकर ट्यूबवेल के बनाने पर पुनर्विचार किया जाय। और ग्रामीण क्षेत्र जो सड़कों से दूर हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाय।

बांदा जिले का वह भाग जो केन नदी के पश्चिम में है और राम नगर मऊ ब्लाक का क्षेत्रफल 1 हजार वर्गमील से अधिक है लेकिन आज तक वहां सिंचाई के मामले में कोई सुविधा नहीं दी गयी है। इस क्षेत्र के लिये ट्यूबवेलों का विशेष आवंटन करें यह मेरा सुझाव है। महोदय, बांदा जिला का वह भाग जो के नदी के पश्चिम में आता है। वहां पर केन नदी के कारण रिंग मशीनें नहीं पहुंच पाती हैं इसलिए

कानपुर, झांसी आदि जगहों से वहां रिंग मशीनें पहुंचाने की व्यवस्था की जाय ताकि उस क्षेत्र के लोगों को सिंचाई सुविधा मिल सके। महोदय, बांदा में एक असिस्टेंट इंजीनियर (ट्यूबवेल) की नियुक्ति की जाय क्योंकि ट्यूबवेलों को देखते हुए इस बात की वहां अत्यन्त आवश्यकता है।

लिफ्ट इरीगेशन के विषय में भी मेरा यही रोना है। वह भी ऐसी जगहों पर लगायी गयी है जहां से आने जाने वाले लोग, मन्त्रीगण या अधिकारी देख सकें। इसके लिए मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र के अन्तर्गत जो छोटी-बड़ी नदियां बहती हैं उनके जल का समुचित उपयोग किया जाय तो उस क्षेत्र की सिंचाई की समस्या किसी सीमा तक हल हो सकती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जैसा कि मैंने पहले उनसे कहा कि भौंरा और नारायण के बीच, बेंदा अमलीकौर के बीच, जमुना नदी में गड़रिया के पास चन्द्रावल नदी में तथा केन नदी में सिन्धन व चूरागढ़ तथा मऊ ब्लाक के बड़ियारीकलां आदि जगहों पर चन्द्रावल लिफ्ट इरीगेशन की योजना बनाई जा सकती है। जो अति आवश्यक है। ऐसा कर देने से उस क्षेत्र के लोगों का बड़ा हित होगा।

बन्धियां हमारे यहां सिंचाई के लिये जो बनाई गई थीं वे कुछ तो केवल नमूने तक ही सीमित रहीं और आज भी किसानों से उसकी आबपाशी ली जाती है। महोदय, अब आबपाशी वसूल होने का समय आ गया है किन्तु बिना किसी नोटिस के बिना किसी सूचना दिये हुए ही किसानों से आबपाशी वसूल हो रही है। एक शिकायत उसमें और है कि इन बन्धियों को बनाने के लिये किसानों से जो जमीन ली गई थी उसका आजतक उनको मुआवजा नहीं दिया है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें कि जिन गरीब किसानों की जमीन बंधियां बनाने के लिये ली गई थी उनको उसका मुआविजा मिल चुका है या नहीं। साथ ही यह भी निवेदन है कि जिन बंधियों की उपयोगिता अब समाप्त हो गई है उनको कैंसिल करें। (लाल बत्ती होने पर) महोदय, मुझे 5 मिनट का समय और दे दें क्योंकि मेरे जिले की ही बहुत समस्यायें हैं।

किसानों को तकावी पर जो पंपिंग सेट्स मिलते हैं उसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि आज किसानों के पास पंपिंग सेट्स पहुंचते-पहुंचते किसानों का आधा पैसा लूट लिया जाता है। अतः इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसान इस लूट से बच सके। इस तकावी में किसान को जो छूट मिलती है उसे भी अधिकारी बीच में खा जाते हैं। इसलिए उसका दूसरा रूप होना चाहिए। यह मेरा एक सुझाव है।

(सिंचाई मन्त्री जी के चले जाने पर)

एक सदस्य--

मन्त्री जी जा रहे हैं।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार--

ठीक है, जब तक वे नहीं आयेंगे तब तक मैं अपना भाषण बन्द भी नहीं करूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

पांच मिनट के अन्दर आप अपनी वक्तृता समाप्त कर दें। मन्त्रि-परिषद् के दूसरे लोग आपके विचार उन तक पहुंचा देंगे।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार—

धन्यवाद । महोदय, अब मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान बिजली की ओर दिलाना चाहता हूं और उसके सम्बन्ध में अपने सुझाव पेश करना चाहता हूं । पहले जब बिजली किसान को मिलती थी तो 110 रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से मिनिमम गारन्टी देनी पड़ती थी । सरकार ने किसानों को राहत देने के लिये किसानों से कहा कि हम तुम्हारी मिनिमम गारन्टी समाप्त कर रहे हैं । किसानों को लगा कि ठीक है । मिनिमम गारन्टी समाप्त कर दी, किन्तु घुमाकर नाक फिर दूसरी तरफ से पकड़ ली और उसके बाद लगा दिया मासिक अधिभार । श्रीमन्, अब 5 हार्सपावर के मोटर पर 180 रुपया मासिक अधिभार लगता है । उसमें एक यूनिट बिजली किसान को नहीं मिलती है, जब कि मिनिमम गारन्टी में उसे पूरी बिजली मिलती थी । इस विषय में सिंचाई विभाग सोचे और किसानों के साथ जो यह धोखा हुआ है, और राहत देने के नाम पर उनको लूटा गया है आवश्यक है कि इस विषय पर सरकार पुनर्विचार करे ।

महोदय, मैंने मन्त्री जी से 12 जून को प्रश्न किया था, जो कि इस क्षेत्र की सिंचाई समस्याओं के बारे में था, कि इस पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के लिए समस्याओं का कोई उल्लेख क्यों नहीं किया गया है । यह बड़े दुःख की बात है कि आज तक जिन क्षेत्रों के लिय कोई व्यवस्था नहीं हुई, उन क्षेत्रों के लिये सिंचाई के विषय में इस योजना में जो विशष प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, वह नहीं दिखती लेकिन जो क्षेत्र 27 वर्ष से उपेक्षित पड़े थे, वे इसमें भी उपेक्षित छोड़ दिये गये हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे । जो क्षेत्र आज तक सिंचाई योजनाओं से उपेक्षित हैं, उनको इस योजना में आप प्राथमिकता दें ।

अभी मैं अपने क्षेत्र में गया था, तो कुछ किसान मेरे पास आए थे और अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में रोना रोकर यह कहा कि इस शासन से तो अंग्रेजों का शासन अच्छा था । महोदय, कोई गुलाम होना नहीं चाहता, स्वतन्त्रता सभी को प्रिय है, लेकिन आप सोचें कि 27 वर्षों की स्वतन्त्रता ने उनको कुछ नहीं दिया, इसलिए उनके मुख से ऐस शब्द निकलते हैं । इसी से आप उनकी मर्मान्तक पीड़ा को समझ सकते हैं ।

महोदय ने लालबत्ती जला दी, मेरा दिल अब घबड़ाने लगा । यदि एक दो मिनट और दे दें तो अच्छा है ।

श्री अधिष्ठाता—

अभी आपके एक-दो मिनट बाकी हैं ।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार—

महोदय, मेरे क्षेत्र का किसान इस समय निराश और परेशान दिखाई देता है । इस विषय में मैं यह समझ बैठा हूं कि जिस प्रकार विद्यार्थी जो परीक्षा में बैठते हैं, वे आसान प्रश्न कर लेते हैं, किन्तु कड़े प्रश्न छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से आजतक की सरकारों ने मेरे क्षेत्र की समस्याओं को कड़ा प्रश्न माना है और इसलिए उन्हें छोड़ दिया है । श्री बहुगुणा जी ने चुनाव प्रचार के समय ऐसा आश्वासन दिया था कि इस क्षेत्र की वह सिंचाई समस्या हल करेंगे । सेठी, मुख्य मन्त्री, मध्य प्रदेश सरकार भी मेरे क्षेत्र में गये थे । उन्हें उस क्षत्र को देखकर बड़ा दुख हुआ और यह कहा कि इस क्षेत्र को प्राथमिकता दिलाई जायगी । महोदय बड़ी आशा थी कि इस पर विचार होगा, लेकिन सरकार का गठन होने के बाद, बजट बनाते समय फिर उस क्षेत्र को उपेक्षित छोड़ दिया गया है । मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि इस विषय पर सरकार फिर से सोचे । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे आज से पूर्व 7–8 बार सदन में यह अवसर प्राप्त हुआ है कि यह जो कार्यवाई, जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसको देखने का । मान्यवर, यह सभी सालों से और खासकर जब एस० बी० डी० की सरकार थी और जनसंघ पार्टी उसमें शामिल थी और तम्बेश्वर प्रसाद जी उसके ईरीगेशन मिनिस्टर थे, तब भी देखा, उस समय भी इस प्रकार का विद्वतापूण, सराहनीय और किसानों के हित का बजट नहीं देखा ।

सबसे पहली उपलब्धि माननीय सिंचाई मन्त्री जी के जमाने में इस वर्ष जो उन्होंने बजट प्रस्तुत किया उसमें जो निश्चित देखने को मिली वह यह कि उन्होंने यह निश्चय किया कि इस प्रदेश में दो ट्यूबवेल कारपोरेशन का निर्माण करने जा रहे हैं । इसमें एक तो मेरठ और आगरा इलाके के लिए और दूसरा लखनऊ और बरेली का है । यह शासन का नया कदम है, नयी दिशा है । इससे प्रदेश के किसानों को बहुत राहत मिलेगी । यही नहीं, शासन की जागरूकता किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निभाना इस बात से भी जाहिर है कि बड़ी-बड़ी योजनाएं इस प्रदेश में चलाकर इस बात का उदाहरण प्रस्तुत किया है, खास तौर से सारी योजनाएं जो दो तीन वर्ष में पूरी होने जा रही हैं, उनसे पता चलता है कि बहुगुणा जी की सरकार जब से आयी है, एक प्रकार से उनका लक्ष्य है कि उन पुरानी योजनाओं को पूरा करना चाहिए, जैसे गंडक परियोजना है, रामगंगा परियोजना है, शारदा सहायक परियोजना है, कोसी सिंचाई योजना है, राप्ती सिंचाई परियोजना है, चित्तौरगढ़ की योजना है गोंडा जिले में, अनेकों योजनाएं इस प्रदेश में चल रही हैं । सरकार सारे प्रदेश के लिए जागरूक है । यह बात इससे जाहिर होती है, मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करूं । चौधरी साहब यहां नहीं हैं । मैं 1967–68 में इसी सदन में था । आप भी थे, श्रीमन् । उस जमाने में श्रीमन्, एस० वी० डी० सरकार का बड़ा ढ़िंढोरा पीटा गया, जहां तक ट्यूबवेल का प्रश्न था इस विषय में प्रदेश में 339 ट्यूबवेल का प्राविधान था, इसी पिछले वर्ष में जब माननीय कमलापति त्रिपाठी चीफ मिनिस्टर थे किया गया, 897 ट्यूबवेल्स बनवाए और बजट में प्राविधान किया गया । इस वर्ष भी बड़ा अच्छा लक्ष्य है ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस प्रदेश में 1960 में जो सिंचाई व्यवस्था थी उसकी ओर ले जाना चाहता हूं । जब यहां पर केवल 55 लाख 28 हजार हेक्टर भूमि, विभिन्न रिसोर्सेज से, ट्यूबवेल्स, नहरों से सिंचित होती थी । इसके बावजूद हमने कितनी प्रगति की, कांग्रेस की सरकार ने, यह मान्यवर, इससे जाहिर होता है कि 1970 में यह आंकड़ा 78 लाख 88 हजार हेक्टर सिंचाई करने का हो गया है । 1971 में 83 लाख 4 हजार हेक्टर पर सिंचाई पहुंच गयी । ऐसा ही लक्ष्य इस वर्ष भी है । हमने ट्यूबवेल ही नहीं नहरों की लम्बाई भी बढ़ाई । 1960 में नहरों की लम्बाई केवल 41 हजार 140 किलोमीटर थी । 1971 में यह लम्बाई 50 हजार किलोमीटर के लगभग हो गयी । हालांकि नहरों पर सरकार ने इसलिए विशेष ध्यान नहीं दिया कि हर खेत में पानी, हर हाथ को काम सरकार का जो लक्ष्य था, हर खेत में ट्यूबवेल, सरकारी या निजी ट्यूबवेल, लगा रहे ह । हमारे प्रदेश में जो 20–22 वर्ष में विकास हुआ है और ये आंकड़े दिये हैं वे इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि सरकार किसानों के हित में बड़ी जागरूक है । सिंचाई के बारे में हमारा जो इस वर्ष का लक्ष्य है इससे भी सरकार की जागरूकता और सिंचाई मन्त्री की दानिशमन्दी और अक्लमन्दी जाहिर होती है । इस वर्ष में हमने 29 लाख हैक्टर जमीन को सिंचित करने का प्राविधान किया है और 74–75 में 4.76 लाख हैक्टर सिंचाई करना है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चेतराम गंगवार]

मैं इन सब बातों के साथ-साथ मन्त्री जी का ध्यान ऐसी चीजों की ओर ले जाना चाहता हूं जो प्रदेश की खास चीज है। हमारे यहां अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग डिवीजन हैं। इससे पहले कि मैं उसका जिक्र करूं, एक बधाई और देना चाहता हूं। इस सदन में बहुत दिनों से जहां निर्माण कार्य हुआ करते थे और पहले जब संविद सरकार थी और जनसंघ के मिनिस्टर थे तो इस विभाग के इंजीनियर्स रिश्वत देकर वहां अपना ट्रांसफर करा लिया करते थे।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

आज की बात कीजिए।

श्री चेतराम गंगवार—

मैं सिंचाई अनुदान पर ही बोल रहा हूं। आपका जब नम्बर आये तो आप बोलें। मैं यह कह रहा था कि यह एक आम चर्चा थी कि इस विभाग के ऐसे पदाधिकारी थे कि 5/10 हजार रुपये रिश्वत देकर जहां कंस्ट्रक्शन होते थे अपना ट्रांसफर करा लिया करते थे। लेकिन जब से यह मिनिस्टर महमूद अली खां साहब आये हैं तब से यह सारी चीज दूर हो गई है। सारा करप्शन खत्म हो गया है और अब तो क्षमता के ऊपर ट्रांसफर होते ह।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग सदन में शांति रखें।

श्री चेतराम गंगवार—

हमारे यहां रूहेलखण्ड में एक चीज चकधान है। मैंने एक घंटे की इस पर डिबेट कराई थी और उस समय मुझे मौका मिला था और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि उस समय सिंचाई मन्त्री ने कहा था कि चकधान क्या होता है। यह एक चीज है कि जहां कुलाबा लगाते हैं वहां आउट लेट से इसका मतलब है। आप इसको खुला रखिए। पानी पहुंचे या न पहुंचे। सिंचाई विभाग के अधिकारी सिंचाई लिख लेते हैं और किसान पानी ले या न ले लेकिन उसको सिंचाई का महसूल देना पड़ता है। यह एक हमारे यहां सौतेला बर्ताव है। दूसरे डिवीजनों में ऐसी बात नहीं है। इस चकधान को समाप्त कर दिया जाय।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि नहर के किनारे की जो पटरियां हैं जिनका इलेक्शन के समय पर तो लोग इस्तेमाल कर लिया करते ह। जब तक सड़क न बनें तब तक जनता के आवागमन के लिये इनको फ्री इस्तेमाल के लिये कर दिया जाय। वैसे आपकी एक योजना है कि आप इन सड़कों को पक्की करने के लिये प्रयत्नशील हैं। पिछले दिनों हमारे जिले में आदेश भी गये थे और कुछ सड़कें ली भी गई हैं। यह पटरियां इसलिए बनाई गई हैं कि यह विभाग के काम आयें। मेरा कहना यह है कि इन पटरियों को जैसे गन्ना विभाग है वह मांगता है, कोआपरेटिव सोसाइटीज मांगती हैं तो आप उनको दे दें। वे इनको पक्की बना लेंगे। जायदाद आपकी रहेगी। इसमें आपका क्या नुक्सान है। ऐसा ही एक कस बरेली में आया था। जो अन्य विभाग आप से पटरियां मांगें तो आप उनको दे दें। इसलिये मुझे एक निवेदन और करना है कि नहरों में बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई है। आपके यहां से आदेश हैं सफाई कराने के, लेकिन कहीं-कहीं पर कुछ भ्रष्ट कर्मचारी हैं जिससे उनकी सफाई नहीं होती है और वह रुपये को हड़प लेते हैं। इससे किसान को परेशानी होती ह। जो उसकी कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी के बराबर पानी छोड़ा जाये।

मान्यवर, नहरों में जो रेगुलेटर लगे हुए थे उनको एस0 वी0 डी0 ने तोड़वा दिया था जिससे पानी भागता हुआ टेल इन्ड चला जाता है। रेगुलेटर होने से पानी का नुक्सान नहीं होता है। तो मेरा निवेदन है कि जगह-जगह पर रेगुलेटर बनाये जायें। मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय मन्त्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। चूंकि वह किसान हैं और उन्होंने किसानों के हित में यह बजट बनाया है। उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)——

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो आज का विषय सिंचाई मिनिस्टर साहेब ने अनुदान का प्रस्तुत किया है, उसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो सबसे पहले महात्मा गांधी, पं0 जवाहर लाल नेहरू ने तथा हिन्दुस्तान के और नेताओं ने यह तय किया कि यह देश शहरों का देश नहीं है, यह देश गरीब मुल्क है और यह देश गांवों का दश है। गांव अगर खुशहाल नहीं होते हैं तो कभी भी अपनी आजादी की सुरक्षा नहीं कर सकेंगे और न जिन्दगी बहार बन सकेगी। इसलिए हमारे नेताओं ने तय किया था कि सबसे पहले गांवों को खुशहाल बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। तो हम उन नेताओं के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत स्कीमें बना कर काम करने का फैसला लिया। पंचवर्षीय योजनायें बनीं और उनके अन्तर्गत यह तय हुआ कि 5 साल के अन्दर इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। उसी की तहत सिंचाई की योजनायें बनीं। चाहे गंडक, चाहे राम गंगा, चाहे घाघरा सहायक परियोजना, चाहे ट्यूबवल हो ये सारी की सारी योजनायें चल रही ह। इस तरह से हमारे सूबे की खुशहाली होगी।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह योजनायें ठीक तरह से और ठीक समय से पूरी हुई हैं। मैं मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि राम गंगा परियोजना 1960–61 म शुरू की गयी थी और यह कहा गया था कि वह 70 से पहले तयार हो जायगी, लेकिन अभी तक वह योजना खटाई में पड़ी रही। मैं यही बात पूछना चाहता हूं कि दोहरी घाट सहायक परियोजना जब तैयार की गई उस वक्त 400 करोड़ की थी आज 1200 करोड़ की हो गई। योजनायें जो हैं अपने काल तक पूरी नहीं होती हैं जिसकी वजह से हमारा सिर शर्म से झुक जाता है कि 27 साल के बाद हम सोचते हैं कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल 37 परसेंट एकड़ सिंचाई होती है उसके पहले 28 परसेंट सिंचाई होती थी। बाकी जमीनें एसी हैं जिनमें पानी नहीं पहुंच पाता है। मैंने एक साहब से पूछा कि क्या योजना है कि योजना बनती है और 5 साल के अन्दर पूरी नहीं होती है। कहने लगे कि साहब सबसे पहले तो मसला यह होता है कि जमीन के एक्वायर करने में झंझट पड़ता है फिर सीमेन्ट, कोयला, लोहा, समय से नहीं मिलता है। जो सेन्टर लोहे का है वह कलकत्ता में है कहते हैं कि वह तय करता है कि हम कितना सामान, कितना लोहा हम उत्तर प्रदेश को कब देंगे, गुजरात को कब देंगे, उसमें भी हमारी योजनायें लटक जाती हैं और उसी के साथ कुछ कमीशन के माममात में भी लटक जाती हैं। इस तरह से हमारी योजना खाई में पड़ती हैं।

मैं अध्यक्ष महोदय की तरफ से सरकार से और मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी अगर 5 साल के अन्दर हमारी योजना से पानी नहीं मिला तो उन अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कदम उठान के लिए तयार हैं? क्या हमको जो ख्वाब दिखलाया गया कि हम गांवों को पानी देंगे हम गांवों को सिंचाई की पूरी सुविधा देंगे परन्तु आज हमारे खेत

[श्री जफर आजमी]

नहीं सींचे गये । आज हमारी कृषि में तरक्की नहीं हो रही है । आज हमारा कृषि प्रधान देश शर्म से झुक जाता है जब हम अपनी गर्ज लेकर दूसरे मुल्कों के पास जाते हैं कि हमको अन्न दे दो । मैं समझता हूं कि मुकम्मल तरीके से हमारी तरक्की के लिए कोई काम नहीं किये गये । म चार्ज लगाता हूं और म पूछना चाहता हूं कि सरकार ने यह सबक नहीं सीखा, चीन को सारा संसार जानता था कि वह आक्रमण का दरिया है । पहले योजना बना कर उन्होंने उस दरिया को गिरा दिया । उस योजना ने सैलाब के मामले में और सिंचाई के मामले में हमारी सारी जिन्दगी बरबाद हो गई है । मैं समझता हूं कि इसका मुकम्मल जिम्मा, तरक्की से काम करने का जिम्मा हमारी सरकार पर है । इसकी व्यवस्था नहीं की गई । मेरा यह सरकार पर चार्ज है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि अल्प सिंचाई स्कीम चालू कर दी गई, चाहे वह जमुना की हो, टोंस की हो, टांडा की हो आपके पास पावर है नहीं क्या, डीजल इंजन से काम लिया जाय । आप कहेंगे अभी विचार किया जायगा । जो हालत आज पावर की है इस तरह से पम्प कैनाल किस प्रकार से चलेंगे । मैं एक बात और माननीय सदस्य के सामने लाना चाहता हूं कि दोहरी घाट पम्प कैनाल नहर है । हमारा सीना खुशी से फूल जाता है, परन्तु दोहरी घाट में पश्चिमी जर्मनी से पम्प मंगा कर लगाया गया । और अभी वह पूरा चला ही नहीं लेकिन वह पम्प ठीक प्रकार से अब काम नहीं करता है, तो हमारा सीना शर्म से झुक जाता है । जब पूछा गया कि क्या कारण है कि जब उसकी छोटी-छोटी शाखाएं हैं उनमें पानी क्यों नहीं जाता है, किसान चिल्लाता है और कहता है कि उसको पानी सिंचाई के लिए चाहिये । तो सरकार कहती है कि उसकी मशीन पश्चिमी जर्मनी से मंगा कर लगाई गई है, उसको लिखा गया है कि वह हमें दूसरा पम्प दे । तो वहां से जवाब आता है कि वक्त बदल गया है अब तो डिजाइन बदल गई है, अब हम वह पम्प नहीं सप्लाई कर सकते हैं । जाहिर है कि पानी का पलो कम होगा । छोटे सेक्शन्स में पानी नहीं जायगा लेकिन आपने जो एरिया कागजात में चढ़ा रखा है आप कहेंगे कि सब सिंचित है जबकि दरअसल में ऐसी बात नहीं है ।

दोहरी घाट पम्प कैनाल हो या और कोई नहर हो आपको भविष्य को देखते हुए काम करना चाहिये । दूसरी योजना आपकी सारदा सहायक योजना है । कहा जाता है कि इस योजना से हमें बहुत लाभ पहुंचने वाला है । जब पहुंचेगा तब पहुंचेगा लेकिन वह एक हफ्ते भी नहीं चली थी कि टूट गयी, 5–7 गांव बह गये हैं और करोड़ों रुपये का नुक्सान पहुंचा दिया। इसी तरह से एक गोलान नदी पर बांध बनाया जा रहा है । जाहिर है कि उसमें जितना पैसा लगेगा, उससे ज्यादा आमदनी नहीं होगी, ज्यादा फायदा नहीं होगा । अगर इतना पैसा कहीं और लगता तो आबपाशी का रकबा बढ़ता । जो स्कीमों पर पैसा खर्च किया जाता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है । हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री एक हैं लेकिन हाउस में 2 1/2 मुख्य मन्त्री हैं । 2 मुख्य मन्त्रियों की पैदाइश से पहाड़ में कुछ न कुछ जायगा । जैसे हमारे भूत पूर्व मुख्य मन्त्री कमलापति त्रिपाठी जी का जिला आजमगढ़ से रकबे में छोटा है लेकिन वहां पर 800 ट्यूब वेल हैं और हमारे यहां पर केवल 391 हैं । क्या यह बेइन्साफी नहीं तो और क्या है । मुझे इसकी शिकायत नहीं है कि पहाड़ में क्यों पैसा लगाया जा रहा है लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि बजट को संतुलित होना चाहिए ।

प्रदेश का पूर्वांचल जिसके लिए आज से दसियों और बीसियों साल से आवाज उठायी जाती रही है कि यह इलाका गरीबों का है, भिखमंगों का इलाका है, जहां रोटी नहीं मिलती है, खाने को अनाज नहीं मिलता है, पीने को पानी नहीं मिलता है । इसके अलावा जहां के इन्सान की खेती से आमदनी साल भर की 95.33 रुपये हो तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब आजमगढ़ जिले का इलाका आपसे ज्यादा है तो आपकी पाबपाशी की, पानी की योजनायें क्यों

नहीं वहां पर पहुंचे हैं । यह बात सही है कि आपके ट्यूबवेल हैं, पम्प योजनाय हैं, शारदा सहायक परियोजना भी चालू हैं लेकिन सबकी सब कागजात पर ही हैं, अमल में कोई नहीं है । उस दिन माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने जब यह कहा कि प्रदेश में पहले एक आई० जी० था अब 5–5 हो गये हैं, तो उससे मुझे बहुत ताज्जुब मालूम हुआ लेकिन इस विभाग में पहले जहां एक चीफ इन्जीनियर हुआ करता था आज 16–16 चीफ इन्जीनियर हैं और साथ-साथ उसी लिहाज से एस्टैब्लिशमेंट पर बहुत खर्चा होता है ।

आज जो 45 हजार वर्कर्स हैं, काम करते हैं, उनकी सर्विसेज अधिकारियों के हाथ खिलवाड़ है । इनके यूनियन्स के लोगों की काम में साझेदारी होनी चाहिए । चूंकि वे लोग एडहाक बेसिस पर रख जाते हैं इसलिए वे काम में दिलचस्पी नहीं लेते हैं । जो काम निर्धारित समय से पूरा होना चाहिये मुझे उम्मीद नहीं है कि वह पूरा हो सकेगा । हां, मैं मन्त्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या वह एक कमेटी बनाने को तैयार हैं जो इस बात की जांच करे कि काम की स्कीमें क्यों समय से पूरी नहीं होती हैं और उनको समय से पूरा होने का इन्तजाम किया जाय और जो उसमें दोषी हों उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाय ताकि आइंदा से हमारी योजनाएं आसानी और वक्त के साथ तय हों वरना हम यह सोचेंगे कि उसी तरीके की योजनाएं बनती रहेंगी नक्शे पर और हम यह कहने पर मजबूर होंगे—

मंजिल मिले, मिले न मिले, इसका गम नहीं,
मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है !!

*श्री दीपनारायण पांडेय (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सिंचाई अनुदान पर कुछ तथ्य सदन के सामने रखना चाहूंगा ।

भारत एक कृषि प्रधान देश है । 86 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं । हमारे ऊपर आज यह अभियोग भी लगाया जाता है कि हम खाद्य में आत्मनिर्भर नहीं हो पाये तो सिंचाई के जितने साधन हैं, अगर हम हर गांव में पानी पहुंचा दें, अगर हमारे हर जिले में नहरों की सुविधा हो जाय तो कोई ऐसी बात नहीं है कि देश की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति में एक नया परिवर्तन न आवे । लेकिन मैंने यह देखा है कि सन् 65 और 66 तथा 66–67 के भयंकर सूखा के बाद से इस प्रदेश में सिंचाई की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया है । आज इस बजट में भी काफी पैसा सिंचाई पर खर्च होने वाला है । मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि आज हम जो पैसा खर्च करने जा रहे हैं, मैंने अपने सामान्य बजट भाषण में भी कहा, आज भी दोहराना चाहता हूं कि आपको यह देखना पड़ेगा और करीब-करीब यहां पर जितने लोग बैठे हैं वह इस बात को जानते हैं कि आज देश में हर जगह भ्रष्टाचार जोरों पर है । हम जो पैसा खर्च करने जा रहे हैं, हमें भलीभांति देखना पड़ेगा कि छोटे स्तर से बड़े स्तर तक हम भ्रष्टाचार को रोकें ताकि लाखों करोड़ों पया हमारा बच सके—इसकी भी आवश्यकता है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे अपने जिले के बारे में कुछ तथ्य हैं जो मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा । वैसे यह किताब जो आपकी ओर से बंटी है—'सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश—कार्य प्रगति' इसमें भी मान्यवर, यह दिखाया गया है कि गोंडा और बहराइच

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री दीप नारायण पाण्डेय]

बहुत पिछड़े रहे, इनमें सिंचाई के साधन नहीं दिये गये । आज भी मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे जिले में जो हमारा क्षेत्र है दो ब्लाकों में, आज तक आजादी के बाद हमारे ख्याल से कोई भी सरकारी, राजकीय नलकूप वहां नहीं लगाया गया और एक भी साधन नहीं हैं जिससे किसान सिंचाई कर सकें । मेरे हलधर, मऊ ब्लाक में, मऊ तहसील में कोई साधन है ही नहीं । तराई क्षेत्र के बारे में एक तथ्य रखना चाहूंगा कि वहां ट्यूबवेल नाकामयाब रहे हैं और पंपिंग सेट नहीं लग पाते हैं । लेकिन मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वहां इतने अधिक नाले हैं कि अगर उनको रोका जाय, उनका पानी, तो उससे भी किसानों को लाभ मिल सकेगा । लेकिन इसकी ओर भी आज तक ध्यान नहीं दिया गया ।

दूसरी बात यह कहना चाहूंगा अधिष्ठाता महोदय, कि अभी जो शारदा कैनाल जो निकाली जा रही है, इसमें एक तरफ इधर बहराइच हो जाता है तो गोंडा की ओर भी ऐसा प्राविधान किया जाय कि शारदा कैनाल से बहराइच और गोंडा को लाभ पहुंचे । मैं स्पष्ट कहूंगा कि हमारे गोंडा जिले में कुल 26 परसेन्ट जमीन सिंचाई में आती है । उसमें नदी भी है, तालाब भी हैं, कुछ थोड़े बहुत राजकीय नलकूप भी हैं, जब कि गोंडा में घाघरा नदी भी टच करती है, सरजू नदी है राप्ती भी है, लकिन इनके पानियों की ओर कोई ख्याल नहीं किया गया । तो मैं माननीय मन्त्री जी का आपके द्वारा इन ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह जो साधन हैं इनको भी उपयोग में लाया जाय ताकि इन जिलों का विकास हो सके ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि सिंचाई के मामले में हम उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन जितनी उन्नति हमको करनी चाहिये थी उतनी नहीं हो पा रही है । जैसा कि अभी हमारे एक मित्र ने बताया, पहले एक चीफ इंजीनियर होता था और अब 16 हैं । जब हमारे सरकारी कर्मचारी और इंजीनियर इतने बढ़े हैं उसको देखते हुए जो प्राप्ति सिंचाई के मामले में हमने की है उससे हमको संतोष नहीं है । अगर हम चाहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे, देश उन्नति की ओर जाय, देश में जो आर्थिक और सामाजिक विषमता दिखायी पड़ रही है वह दूर हो तो आपको गांव-गांव में पानी देना होगा ताकि हरियाली आये और लोग भूखों न मरें ।

अब इस उत्तर प्रदेश में तीन विकास अंचल बनाये गये हैं--पर्वतीय अंचल, बुन्देलखण्ड अंचल और पूर्वांचल । मैं बहुत अदब के साथ यह तथ्य भी सामने रखना चाहता हूं कि गोंडा जिला आज न पूर्वी जिलों में आता है न पश्चिमी जिलों में आता है । मेरी समझ में ही नहीं आता कि गोंडा जिला आपने कहां रखा । हिमालय से लेकर घाघरा के किनारे तक के हजारों आदमी एक टाइम खाना खाते हैं । यह योजनायें जो बड़े-बड़े आई० ए० एस० और आई० सी० एस० अधिकारियों द्वारा बनायी जाती हैं वह बहुत गलत हैं । उसमें पब्लिक के लोगों का भी अंकुश रहना चाहिये । ऐसा नहीं होना चाहिये कि इन्हीं बड़े-बड़े अधिकारियों द्वारा ही सारी योजनायें चलती रहें । वह योजनायें दूषित योजनायें रहती हैं । उनसे साधारण जनता को लाभ भी नहीं पहुंचता है । इसलिए बड़-बड़ अधिकारियों के द्वारा ही योजनायें न बनें । योजनायें बुनियादी तौर पर बनें जो महात्मा गांधी कहा करते थे । योजनायें इस दृष्टिकोण से बनें जिससे छोटे-छोटे लोगों को फायदा पहुंचे । हमारे यहां तराई में दो, एक योजनायें रखी गयी हैं । इन योजनाओं पर आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेंगे । आप छोटी योजनायें भी बनायें जिससे छोटे-छोटे किसानों को भी लाभ पहुंचे । बड़ी योजनाओं में अधिकारियों को काफी पैसा खाने को मिलता है । हर प्रतिनिधि जो यहां बैठा है वह जानता है कि लाखों पये कमीशन के लिये जाते हैं । हजारों रुपये रोजाना खर्च किये जाते हैं । इसको भी आपको रोका पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि देश और प्रदेश के भाग्य में परिवर्तन आये । आपको उन सफेदपोश जरायम लोगों को भी जेल भेजना पड़ेगा जो जनता के धन को खाते हैं ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो पूर्वांचल विकास योजना में गोंडा जनपद का नाम नहीं रखा गया है उसमें इसको रखा जाय। गोंडा तहसील में तो सिंचाई के नाते कोई प्रोग्राम ही नहीं है। मैंने अपने चुनाव के दौरान में भी देखा कि एक भी ट्यूबवेल हमारे क्षेत्र में नजर नहीं आया और जो कागजों में थे वह भी नहीं बने। आप इसकी जांच करायें क्योंकि कागज पर तो योजनायें आ जाती हैं लेकिन बनती नहीं हैं।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी से अपील करूंगा कि तराई क्षेत्र की इतनी बड़ी योजनायें न बनायी जायें बल्कि छोटी-छोटी योजनायें बना कर किसानों को लाभान्वित किया जाय।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इन अनुदानों पर बोलने के लिये अवसर दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, 27 वर्षों के इस कांग्रेसी शासनकाल में कांग्रेस ने गांव में रहने वाले गरीब मजदूर और किसानों की जिस प्रकार से उपेक्षा की है अगर उनकी जानकारी उन गांव वालों को हो जाये तो वे एक दिन में इस सरकार को समाप्त कर दें। आज झोपड़ी में रहने वाले किसान को सही जानकारी नहीं है। इस सरकार ने किस तरह से गरीब किसान की उपेक्षा की है उसके दो तीन उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सरकारी आंकड़ों के ही अनुसार पूरे प्रदेश की कृषि योग्य जमीन की 25–28 प्रतिशत भूमि की ही सिंचाई हो पाती है और शेष भूमि भगवान के भरोसे छोड़ दी जाती है। यदि भगवान की कृपा हो गयी तो उस भूमि को पानी मिल जाता है, नहीं तो नहीं मिल पाता। 1972 के आंकड़ों के अनुसार 1170 सरकारी नलकूप लगाये गये 2,73,354 निजी नलकूप लगाये गये, 1,83,135 पंपिंग सेट्स लगाये गये, मगर इन सबकी हालत यह है कि जब भी किसान अपने खेत में पानी देने के लिये नलकप चलाता है, तो या तो बिजली गायब हो जाती या नाली टूट जाती है या ट्रांसमीटर चोरी चला जाता है, या अन्य कोई गड़बड़ी पैदा हो जाती है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। नतीजा यह होता है कि उस गरीब किसान को समय पर पानी नहीं मिल पाता और उसकी फसल सूख जाती है। सरकार के अधिकारी सदैव ही किसान को उपेक्षा की नजर से देखते हैं।

अभी हमारे एक साथी ने कहा कि दोहरी घाट योजना से एक बहुत बड़ी नहर निकाली जा रही है। मेरी सूचना यह है कि उस इलाके के किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। वहां के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। सारी योजना सरकार की केवल कागज तक ही सीमित है। देवरिया जिले की आबादी करीब 23 लाख है और वहां 12 लाख एकड़ भूमि में खेती होती है। वहां के लिये जिस तरह से सरकारी अधिकारी सिंचाई की योजनायें बना रहे हैं उससे एक जटिल समस्या उठ खड़ी हुई है। मान्यवर, वहां पर एक गन्डक नहर निकलती है। यह कंचनपुर से होते हुए नौतन तक एक लम्बी नहर है, उस नहर के एक फर्लांग के पीछे बीच में यह नहर आ रही है और दूसरी तरफ बगल में छोटी गन्डक नहर है। और उसी नहर के बीच में करीब दर्जनों सरकारी ट्यूबवेल खड़े हैं। श्रीमन्, जब पानी आता है तो बीच की जमीन नमी पकड़ लेती है। उसकी हालत आज यह है कि वह नमी पकड़ रही है और बीच में जो फसल होती थी उसकी कोई आशा नहीं है। छोटी गंडक नदी और इस नहर के बीच 16 मील का यह इलाका है। यह बरबाद हो रहा है। माननीय मन्त्री जी और इंजीनियरों की अक्ल का यह जीता जागता सूचक है। इस बीच के रहने वालों की जिन्दगी कैसे चलेगी।

(इस समय 2 बजकर 36 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री मोहम्मद असरार अहमद पीठासीन हुए।)

[श्री हरि कवल]

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके सामने दो एक बातें और रखना चाहता हूं । आज से काफी अरसे पहले इस सरकार ने कहा कि छोटी-छोटी योजनाओं के माध्यम से सिंचाई कीजिये । आप इसके लिये कुएं बनायें । कुओं के माध्यम से सिंचाई कीजिये । सोशलिस्ट पार्टी चाहती है कि छोटी-छोटी योजनायें बनायी जायें । पक्के कुओं का निर्माण किया जाय और कच्चे कुएं भी खोदे जायें । सरकार ने फैसला किया था आज से कुछ बरस पहले, कि बीस-बीस रुपये लीजिये और कच्चे कुओं का निर्माण कीजिये । हमारे देवरिया जिले में जितनी जमीन नहीं थी उससे अधिक कुएं खोद दिये गये और कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कुआं नहीं खोदा और पैसा ले लिया । लेकिन बाद में कुओं का पैसा वसूल हुआ और लोगों को पैसा देना पड़ा । इस पैसे की वसूली में आधा पैसा आपके सरकारी अधिकारी खा गये । श्रीमन्, इस तरह से गरीब किसानों की लूट की गयी ।

अब मैं गंडक नहर परियोजना की बात करता हूं । यह योजना 58–59 में चालू हुई । इस गंडक नहर योजना, जो 45 करोड़ रुपये की योजना थी अब तक 135 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है । सिंचाई के बजाय गत वर्ष देवरिया जिले में 3 सौ करोड़ रुपये से अधिक का नुक्सान हुआ है । सिंचाई की जगह बरबादी हुई है । 1972–73 में इस नहर से कोई फायदा नहीं हुआ है । 74–75 आ रहा है लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है । हमारे जिले देवरिया में जो छितौनी बांध से नहर निकल रही है उसमें हमारे जिले की कुल 12 लाख एकड़ भमि से 2 लाख एकड़ जमीन इसी नहर में चली गयी है । मान्यवर, छोटी गंडक खनुआ महाल नदी और अन्य कई नदियां, यहां स्थित हैं जिनमें बोरो की फसल होती है । नहर विभाग के अधिकारियों ने पानी छोड़ दिया और बोरो की फसल नष्ट हो गयी । इसके साथ-साथ जो आपका छितौनी बांध है इस बांध से सिंचाई के बजाय बरबादी होती है । यह सरकारी लोगों के लूट खसोट करने का धंधा है । सिंचाई के बजाय इससे अधिकारी लूट खसोट करते हैं ।

श्रीमन्, यह छितौनी बांध 22 लाख रुपये में बना था और अब तक साढ़े 8 करोड़ रुपया इसकी मरम्मत में लगाया गया है । और यह देवरिया के लिये सांप साबित हुआ है । पिछली बार इसकी वजह से बाढ़ आयी थी एक गांव से दूसरे गांव का आवागमन बन्द हो गया था । देवरिया जिले को भयंकर तरीके से इससे नुक्सान हुआ है। वह जो टूटने की हालत में है तो बिहार की सरकार कहती है कि हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं । दूसरी तरफ हमारी सरकार भी उस टूटे हुए बांध की हिफाजत करने के लिये तैयार नहीं है । उत्तर प्रदेश की सरकार इस बांध के जरिये अपने खाने पीने की जगह बनाये हुए है । मैं कहता हूं कि यदि ठीक तरह से उसको देखा जाय तो बांध ठीक हो सकता है ।

श्रीमन्, आपके समक्ष शारदा सहायक परियोजना 120 करोड़ की है । यह योजना चालू की गई है लेकिन म समझता हूं कि इससे मध्य का कोई भला नहीं होने वाला है । श्रीमन्, दूसरी लिफ्ट योजना है । पूर्व की नदी में यदि श्रीमन्, कम से कम एक लिफ्ट योजना चालू कर दी जाय तो इससे पूर्वी जिलों के लोगों का कुछ भला हो जायगा । सरकार के जो ट्यूब-वेल हैं उसमें अधिकतर खराब रहते हैं । इससे किसानों को सिंचाई में कठिनाई रहती है । वर्ष में एक ट्यूबवेल 17 एकड़ से अधिक जमीन की सिंचाई नहीं कर पाता है । श्रीमन्, मैं आपके समक्ष, टेहरी योजना का जिक्र करना चाहता हूं । यह योजना लगभग 33 करोड़ रुपये की है । परन्तु धनाभाव के कारण इस योजना को भी बन्द कर दिया गया है । श्रीमन्, पुल निर्माण की योजना चालू की गई है जगह-जगह पर पुल बनाये जायेंगे । यह केवल कागजों पर बनाये जा रहे हैं । सिंचाई मन्त्री जी को घर में हुक्का गुड़गुड़ाने से फुर्सत नहीं है। वह बाहर सिंचाई की कठिनाई को कैसे देखेंगे । इससे कोई भला नहीं होने वाला है ।

श्रीमन्, फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड बनाया गया है। परन्तु इसकी वर्ष भर में शायद ही कभी बैठक हुई हो। इस बोर्ड की श्रीमन्, बैठक कभी होती ही नहीं है और जब बाढ़ आती है तो मीटिंग हो जाती है। इससे बाढ़ की जानकारी विशेष रूप से नहीं हो पाती है। कमचारी 20-25 सालों से कार्य कर रहे हैं परन्त उनको अभी तक अस्थायी रखा गया है। जबकि आदेश हैं कि 3 वर्ष की सेवा वालों को स्थायी कर दिया जाय। परन्तु इससे नौकरशाही का बोलबाला हो जायगा। मैं आपके द्वारा चाहता हूं कि कम से कम 1947 में सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसकी संस्तुतियों को लागू किया जाय। श्रीमन्, मैं अन्त में चाहूंगा कि श्री चतुर्भुज शर्मा की अध्यक्षता में जो एक कमेटी बनी थी उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसकी रपट लागू की जावे।

*श्री बच्चा पाठक (जिला बलिया)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने सिंचाई अनुदान पर मुझे बोलने का मौका दिया। आज यह बात सही है कि उत्तर प्रदश के ऊपर यदि हम नजर डालें तो देखते हैं कि जो यहां के अधिकांश रहने वाले हैं वह खेती के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जबकि हमारे प्रदेश के अन्दर बहुत सी ऐसी योजनायें बनी हैं जिनके द्वारा यह हमारा प्रदेश दिन प्रति दिन आगे बढ़ता जा रहा है। हमारी जो योजनायें बन रही हैं उनके द्वारा हमारे यहां नलकूप बने हैं और नहरें बनी हैं जिनके द्वारा हमारी सिंचाई की जो समस्या है वह धीरे-धीरे हल हो रही है। इसके अतिरिक्त दोहरी घाट योजना, देवकली योजना एक पंप कैनाल योजना, यदि वह तैयार हो जायेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश कृषि के माइनें में बहुत ही आगे रहेगा। अगर हम सरकार की उपलब्धियों को देखेंगे तो मालूम होगा कि किसानों की भलाई के लिये ऐसी-ऐसी योजना तैयार की जा रही हैं जिनसे हमारी यहां की समस्या हल होगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने जनपद की कुछ समस्याओं की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारा जनपद दो नदियों-घाघरा और गंगा के बीच में है और दोनों ही नदियों द्वारा हमारे जनपद का कटान हो रहा है। इनके अतिरिक्त हमारे यहां बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर पानी का जमाव होता है। जब पंडित कमलापति जी हमारे यहां गये तो हमारी बाढ़ की समस्या और पानी के जमाव की समस्या से जिससे हम परेशान रहते थे उसकी तरफ उनका ध्यान दिलाया। पंडित ने ड्रेनेज मंडल की स्थापना की थी परंतु दुर्भाग्यवश जिस कार्य के लिये इसकी स्थापना की गई थी आज तक वह काम नहीं हुआ और ड्रेनज की सफाई का काम नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस समस्या को हल करने के लिये जो इंजीनियर महोदय हैं उनसे कहेंगे और इस योजना को जल्दी से कार्यान्वित करवायेंगे ताकि सफाई का काम शीघ्र हो सके। जमुना, डोमरिया, आदि स्थानों में जहां बरसात का पानी भर जाता है, अगर वह ड्रेनेज की सफाई हो जायेगी तो हमारा जनपद कृषि के माईने में भी आगे बढ़ सकता है।

दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा कि हमारे जनपद का अधिकांश भाग गंगा और घाघरा के कटान में विलीन हो जाता है। घाघरा कठौरा और चांदपुर क पास काट रही है, उस सिलसिले में पिछले वर्ष हमारे सिंचाई मन्त्री जी ने आवश्यक आदेश दिये थे लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि चांदपुर में कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है जब कि बरसात आने वाली है। मैं उनसे आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि वह चांदपुर के कटान को रोकें। बलिया सबसे पूरब में है। मैं यह भी चाहता हूं कि वहां पर राजकीय नलकूप अधिक से अधिक मात्रा में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बच्चा पाठक]

लगाये जायें । आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि हमारे जनपद को जो नलकूप सरकार एलाट करती है, उसमें बहुत ही कम हिस्सा मिल पाता है। इसलिये हमारे जनपद के विकास के लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक नलकूप राजकीय दिये जायें ।

एक योजना हमारे जनपद के लिये छोटे-छोटे राजकीय नलकूपों की बनी थी, परन्तु यह अभी तक क्रियान्वित नहीं की गई । अगर हमारे जनपद में छोटे राजकीय नलकूप अगर लग जायं तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो नदियों के अन्दर पड़ते हैं उन स्थानों पर अगर राजकीय नलकूप लग जायं तो वह हिस्सा कृषि के योग्य हो सकता है ।

गंगा नदी के किनारे बलिया-बेरिया बांध है उसी प्रकार से घाघरा नदी के किनारे तुर्तीपार-श्रीनगर बांध हैं । पंडित जी गये थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि तुर्तीपार-श्रीनगर बांध को भी पक्का बना दिया जायगा । अगर वह बांध पक्का बना दिया जायेगा तो हमारी सरकार की जो योजना है कि बाढ़ के समय आवागमन में जो अवरुद्ध हो जाता है, उसके बन जाने से सरकारी आदमी अच्छी तरह से सुविधापूर्वक उन स्थानों तक पहुंच जायेंगे तो आपसे मैं आग्रह करूंगा कि तुर्तीपार-श्रीनगर बांध को पक्का बना दें ।

इसके साथ ही जो बिजली की कटौती है, इस कटौती के होते हुए भी हमारी यहां सिंचाई की योजनायें चलती हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि दोहरी घाट योजना के लिये बिजली की कटौती न की जाय । उसे कम से कम 3 मेगावाट बिजली दी जाय । यह साधन आप मऊ के पावर स्टेशन से जहां पर 24 मैगावाट बिजली बनती है वहां से आसानी से कर सकते हैं ।

अन्त में अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री से पुनः प्रार्थना करूंगा कि बरसात के समय जिन स्थानों पर पानी जमा हो जाता है उसको निकालने की व्यवस्था करें। घाघरा और गंगा के भीषण कटान से हमारे जनपद को बचावें तथा पावर की कमी दोहरीघाट के लिये न करें । हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया का इलाका जो बहुत गरीब है उसके विकास के लिये यह भी आवश्यक है कि लिफ्ट योजना भी हो ताकि दोनों नदियां जो हमारे जनपद को बरबाद कर रही हैं उनसे उसको रोका जा सके । हमारे जनपद का लाभ होगा । इन शब्दों के साथ मैं सिंचाई के अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे ऐसे बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय दिया । मैं आपके समक्ष कटौती का जो प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं साथ ही बजट का विरोध करता हूं । मान्यवर, हमारा यह देश जो कृषि प्रधान देश है इसमें 85 प्रतिशत मजदूर, काश्तकार इस प्रदेश में रहते हैं । इसके बावजूद भी जो हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी की जो चेष्टा थी और आप लोगों ने प्रतिज्ञा की थी कि आजाद होने के बाद वह देहात जहां कि 85 प्रतिशत काश्तकार और मजदूर किसान रहता है उसके भले के लिये योजना चलायेंगे उसको आपने नहीं पूरा किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं पूछना चाहता हूं कि आज क्या वह सही समाजवाद, क्या वह सही रामराज्य जिसका हम नारा पीटते थे, जिसका हम ढिंढोरा पीटते थे आ गया है । मैं आपके माध्यम से कुछ चंद बातें सिंचाई विभाग के बारे में रखना चाहता हूं और चाहता हूं कि मन्त्री जी उनको नोट करें और कार्यवाही करें ।

मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आता हूं उसमें एक रजबहा है जिसको माननीय मन्त्री जी भी अच्छी तरह से जानते हैं । यह रजबहा कोटवाल नहर से निकलता है । मैं आपके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माध्यम से बताना चाहता हूं कि उस रजबहा को तीन चार हफ्ते बिना चले हो जाते हैं और हमारे अधिशासी अभियन्ता पंसाल भर दत ह कि रजबहा चल रहा है । रजबहा जब चलता है तो लोग पटरी काट लेते हैं और पाइप डाल लेते हैं । जिलेदार देखता नहीं । पतरौल आता है तो कहता है कि चाहे कोई पटरी काट, कुछ करे मुझे तो पैसे से मतलब । इस तरह से मान्यवर, जिलेदार से लेकर पतरौल तक करप्शन का अड्डा बना हुआ है । रई के लोगों तक जो रजबहे के आखिर में पड़ते हैं एक बूंद पानी भी नहीं जाता और वे तड़प कर रह जाते हैं । रजबहा की खुदाई का हाल यह है कि चार साल से खुदाई नहीं हुई । नतीजा यह होता है कि जब रजबहा में पानी आता है तो पटरी टूट जाती है और सिंचाई विभाग का कोई कर्मचारी उसे मूंदने की तरफ ध्यान नहीं देता । आठ-आठ दिन तक पानी खेतों में भरता रहता है और फसल नष्ट हो जाती है । आपकी नहर के पानी से तंग आकर लोगों ने ट्यूबवेल लगाये । लेकिन बिजली की हालत यह है कि बिजली के ट्रांसफारमर्स चोरी से उतारे जाते हैं । काश्तकार इंजीनियर के यहां पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक हाजिरी दता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती । काश्तकार की फसल बरबाद हो जाती है और ट्यूबवेल पर ट्रांसफारमर नहीं लगता । वहां भी करप्शन है । जो रुपया दे देता है उसके यहां ट्रांसफारमर लग जाता है नहीं तो नहीं लगता । जब लोग इससे भी तंग हो गये तो उन्होंने ट्रेक्टर लिया कि इससे कुछ काम करेंगे । लेकिन अब उसमें भी देख लीजिये कि तेल की क्या हालत है । महीनों लोग डी0 एस0 ओ0 का दरवाजा खटखटाते हैं तो 50 लीटर का लाइसेन्स पाते हैं । उसको भी जब वह लाला के पास लेकर जाते हैं तो वह 10 गैलन दता है और कह देता है कि तेल खत्म हो गया । इस तरह से काश्तकार बहुत परेशान है ।

हमारे इलाके में वरला गांव है । वहां बिजली का पावर हाउस है । वहां पर दिन दहाड़े हरिजन के लड़के को गोली से मार दिया । अब वहां कोई कर्मचारी नहीं रहता । ट्यूबवेल का फ्यूज उड़ जाये तो बन्द पड़ा रहता है । पुरकाजी में इंसपेक्टर हैं । उनके पास स्कूटर भी है लकिन वह महीने-महीने भर तक जाकर नहीं देखते । आपक माध्यम से मान्यवर, मैं नहरों के बारे में कहना चाहता हूं कि नहरों के किनारे आम के दरख्त होते हैं । दो-दो ढाई सौ के पेड़ के होते हैं, लेकिन पतरौल उनको 50 रुपये म नीलाम कर दता है और इस प्रकार सरकार के पास पूरा पैसा नहीं पहुंचता । इस तरह की गड़बड़ियां हैं । हमारे जिला मुजफ्फरनगर में गड़वारा और सिकन्दरपुर गांव ह । वहां 350 बीघे कच्ची जमीन पड़ी है । उस पर कुछ काश्तकार जबरन कब्जा किये हैं । चूंकि इन्जीनियर के पास भेंट चढ़ा देते हैं, पट्टा हो जाता है । हरिजनों को वह पट्टा नसीब नहीं है । मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यह हालत है इस समाजवाद की । आज हरिजन बेचारा बुरी तरह से बिलखता फिरता है लेकिन नहर की जमीन, आबादी की जमीन उसको नहीं मिलती है । सिंचाई की हालत खराब है ।सिंचाई विभाग में इतना ज्यादा करप्शन और चोरी है कि कोई उसका हिसाब नहीं है ।

रही राजकीय ट्यूबवेल की बात, तो उनकी हालत खस्ता है । आपरेटर गांव में रहते हैं । जिस वक्त वहां ट्यूबवल चलाया जाता है, जो उसको रिश्वत दे देता है तो अगर 6 घंटे ट्यूबवेल चला, तो उसक लिय वह 2 घण्टे लिख देता है । लकिन जो रिश्वत नहीं देता उसको 6 घण्टे के 8 घण्टे लिख देता है । इसमें मान्यवर, मन्त्री जी को सुधार करना चाहिये । इतना बड़ा करप्शन है, जिसका कोई हिसाब नहीं । मैं मानता हूं कि सरकार चाहती है कि सुधार करें, लेकिन वहां पर असली अफसरशाही बनी है । कोई सुनने वाला नहीं है ।

मान्यवर, यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । काश्तकार यहां पैदावार करना चाहता है । अगर अच्छी पैदावार होती है तो वह सरकार को दे सकता है, शहर को दे सकता है । लेकिन जब

[श्री नन्द राम]

उसकी पैदावार नहीं होगी, तो कहां से देगा ? और पैदावार होती है सिंचाई से, खाद से, अच्छे बीज से । अगर आज किसान की सहायता नहीं करेंगे, पानी उसे नहीं मिलगा, बिजली नहीं मिलेगी, खाद नहीं मिलेगी, बीज नहीं मिलेगा, तो अच्छी पैदावार वह नहीं कर सकता । अगर काश्तकार खुशहाल है तो तमाम देश खुशहाल है । 85 प्रतिशत लोग देहात में रहत हैं, जो खेती पर आश्रित हैं । अगर उनको बीज, खाद, पानी, और बिजली नहीं मिलेगी तो दश चौपट हो जायगा । शहर के लोगों को 24 घण्टे बिजली मिलती है, पानी मिलता है । हमारे इलाके में मैं कहता हूं कि 8 दिन तक लगातार बिजली नहीं गयी । माथुर साहब इंजीनियर ह । उनसे इसके बारे में कहा गया लेकिन उन्होंने कोई तवज्जह नहीं दी । अधिष्ठाता महोदय, उसमें सुधार होना चाहिये । अगर सुधार नहीं होता, तो देश कहां जायेगा ? रसातल को चला जायेगा । सुधार की बात जहां तक है, उसके लिये मिशाल देना चाहता हूं ।

आज 25 साल हो गये आजादी के लेकिन हालत पहले जैसी ही है । एक मिसाल दे दूं । एक बुड्ढा, एक बुढ़िया तथा उसका एक बच्चा था । तीनों रहट चला रहे थे । वहां पर भोला पार्वती पहुंच गये । पार्वती ने उनकी गरीबी को देख कर कहा भोला से कि इनको भी वरदान दो । भोला ने कहा दे दिया । पार्वती बुड्ढे के पास पहुंची और बुड्ढे से कहा कि तुम्हारा एक वरदान है मांग लो । उसने कहा कि मेरे यहां तो बुढ़िया मांगा करे है । पार्वती बुढ़िया के पास गयीं और उससे कहा कि मांग वरदान । उसने कहा अगर मुझे वरदान देना है तो मुझे जवान लड़की बना दो । पार्वती ने कहा एवंमस्तु । वह बुढ़िया लड़की बन गयी । बुड्ढा रोने लगा । बुड्ढे ने कहा कि मेरा भी वरदान दो । उसने कहा कि मेरी घर वाली जो है उसे कुतिया बना दो । पार्वती ने कहा एवंमस्तु । जब बुढ़िया कुतिया बन गयी तो बच्चा रोने लगा । बच्चे से पार्वती ने कहा कि तुम भी एक वरदान मांग लो । बच्चे ने रोते रोते कहा कि मेरी मां को वैसा ही बना दो जैसी थी । कुतिया बुढ़िया बन गयी । इस तरह से वही बुड्ढा वही बुढ़िया और वही बच्चा । इसी तरह देश की हालत है और देश को कोई फायदा आजादी से नहीं हुआ ।

श्री तेज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

अधिष्ठाता महोदय, सर्वप्रथम मैं मंत्री महोदय को यह बतलाना चाहता हूं कि उनका लक्ष्य है 8 लाख टन गेहूं इकट्ठा करने का लेकिन पिछले साल उनकी योजना फेल की और इस वर्ष वह 8 लाख टन के बजाय 6 लाख टन पर आ गये और 2 लाख टन इकट्ठा कर चुके हैं और आपका इरादा बहुत जोर लगाने के बाद एक लाख टन और करने का है । लेकिन अगर बिजली और नहर की व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो देश व सूबे का क्या हाल होगा यह आप अच्छी तरह से जानते हैं । परसों मेरे मित्र कह रहे थे कि शिक्षा के बजट पर विधायकगण यहां पर एकत्रित नहीं हैं मालूम होता है शिक्षा के बजट पर बोलने को कोई उत्सुक नहीं है । मेरा कहना है कि शिक्षा की बात बाद में आयेगी पहले रोटी पेट में हो । रोटी अगर पेट में न हो तो शिक्षा की कैसे सूझे । आपको ठंडे दिल से सोचना होगा कि बिजली, नहर की व्यवस्था कैसे अच्छी हो ? 28 प्रतिशत भूमि पर आप पानी पहुंचाने की बात कह रहे हैं, वह पहुंच रहा है । 28 प्रतिशत पर पानी पहुंचाने का काम आप ठीक कर लें । मैं जिला बुलन्दशहर से आता हूं । बुलन्दशहर जिला पश्चिमी जिलों में आता है । पश्चिमी जिलों में बिजली तथा नहर की व्यवस्था बड़ी खूबसूरत बतलाई जाती है । माननीय मंत्री सहारनपुर के रहने वाले हैं । सहारनपुर डिवीजन, फिर मेरठ डिवीजन और उसके बाद बुलन्दशहर डिवीजन । मैं बुलन्दशहर का रहने वाला हूं । मथुरा मांट ब्रान्च डिवीजन का यह जिला एक भाग है । वहां खरीफ की फसल के लिये नहर की कोई जिम्मदारी नहीं केवल रबी की फसल के लिये जिम्मेदारी थी लेकिन रबी की फसल के लिये भी उस हिस्से को वंचित कर दिया गया है और 84 गांवों की नहर को खत्म कर दिया गया । वहां की हालत बदतर है । दीमक लग गयी है । गेहूं मक्का में दीमक लग गयी है और वहां कुवें से एक बूंद पानी नहीं लिया जा सकता । बिजली के जो कुवें बने हुए हैं सरकारी अथवा

प्राइवेट उनमें पानी आया अथवा एक तिहाई रह गया है। ऐसी हालत में उस इलाके की हालत बहुत नाजुक हो गई है। किसानों से गेहूं मांगा जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं लेकिन उनके लिये कोई सहूलियत नहीं दी जा रही है। हमारे माननीय मित्र जो उधर बैठे हुये हैं हाथ उठाते हैं, तालियां बजाते हैं लेकिन मजबूरी है। पावर में होने की वजह से कहा जाता है कि बजट तो पास कर ही दो चाहे उनका ईख सूख रही हो, चावल न बोया जा रहा हो, कोई भी परेशानी हो। बिजली देने के लिये जो व्यवस्था की गई है वह ऐसी है कि दोपहर में 12 बजे आप किसानों को बिजली दे रहे हैं, लू चल रही होती है उस वक्त लोहे पर लोहा नहीं भी चढता है ऐसे मौके पर आप उन्हें बिजली देते हैं। पानी देने का मौका आया तो वह कड़ाके की सर्दी में रजाई से उठकर रात्रि को 12 बजे वहां जाता है और देखता है बिजली आई या न आई। कई मर्तबे बिजली आती है और चली जाती है। एक ही समय में दो-दो और तीन-तीन बार बिजली चली जाती है और आती है। पता नहीं बिजली की मोटर वालों से उन्होंने कोई सौदा कर लिया है। तो मेरा निवेदन यह है कि आप उन्हें 4, 6, 8 घन्टे तो बिजली दें।

दूसरी बात यह है कि ट्रांसफारमर और मोटरों की आज कितनी चोरियां होती हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बता देना आवश्यक समझता हूं और सभवतः वे सम्मझते भी होंगे कि इस डिपार्टमेंट के अन्दर कितनी चोरी होती है। मीटर कितने पीछे हटाये जाते हैं और कितने वायर काट लिये जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि यदि इस मुहकमे से चोरी निकलवा दी जाय तो काफी सुधार हो सकता है।

बिजली के जो लाइन इन्सपेक्टर्स हैं ये अपने को मिनिस्टर समझते हैं और हैं भी। बिजली मंजूर हुये 3 साल हो गये और निलपता ग्राम में 17 ट्यूबवेल मंजूर हो गये किन्तु अभी एक का भी इस्टीमेट नहीं दिया। वैसे तो 50/60 गांव दनकोर और गाजियाबाद के बीच में बिजली स्वीकृत हैं किन्तु अभी तक उनका कोई इस्टीमेट नहीं दिया गया है। अतः मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पीछे की फाइलों को देखें और अगर कनपकड़ी आपकी तरफ से न हो तो क्यों आपके ये आर्डर्स बोगस रह जाते हैं।

इसी तरह से बुलन्दशहर में हिन्डन और जमुना के दोआब में 50/60 गांव बसते हैं। जो हरियाणा और दिल्ली सीमा पर आते हैं। जब दिल्ली की रोशनी इस क्षेत्र में पड़ती है तो मालूम पड़ता है कि इस इलाके के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। मन्त्री साहब दिल्ली से मेरठ की तरफ जब जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि वहां बड़ी मौज बिजली की है। सड़क के दोनों ओर बिजली ही बिजली दिखाई देती है और कहीं बिजली नाम मात्र के लिये ही है। हिन्डन और जमुना का जो इलाका है वह बहुत ही बेहतरीन इलाका है। इन 50/60 गांव में बिजली द्वारा पानी देने की व्यवस्था नहीं है। उसकी व्यवस्था की जाय। दिल्ली का गन्दा पानी जमुना को गन्दा कर देता है इस दुआब के लिए उसकी व्यवस्था होना चाहिए ताकि पैदावार भी आगे बढ़ाई जा सके। और आबपाशी की व्यवस्था हो सके और हिन्डन नहर जो जमुना में डाली गई है इससे नहर निकाल कर इन 60 गांवों में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये तीन योजनायें बहुत अच्छी हैं और इनसे दुआब की पदावार को बढ़ाया जा सकता है।

मैं आपके सामने बता देना आवश्यक समझता हूं कि विभाग द्वारा नालों के खुदाई की व्यवस्था होती है और वह भी बरसात के वक्त पर। लेकिन वह होता नहीं और पैसा ठेकेदार को मिल जाता है। मेरे यहां ऐसे दो नाले हैं---हिलौली और घनौली गांव के, जो नाले बिलकुल जमीन में मिल चुके हैं। उनके लिये जाने कितनी बार खुदाई के आर्डर हुये होंगे, लेकिन वह बिलकुल खुदे नहीं। जब मैं वहां जाता हूं तो लोग कहते हैं और मैं भी देखता हूं कि नाला है लेकिन कहीं जमीन पर नाला नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब कभी नाले की खुदाई का काम हुआ

[श्री तेज सिंह]

करे, तो उसकी खुदाई के काम को जब तक मंत्री जी द्वारा देख न लिया जाया करे, तब तक ठेकदारों को भुगतान मिलना ठीक नहीं है। मेरे यहां एक ख्यावली गांव है, जो मेरे हल्के का गांव है, उस ख्यावली गांव के पास एक बांध लगाया गया है, जिससे वहां 4–5 गांवों की सिंचाई हो सके। उस बांध को नहर में लगाकर इन गांवों की जमीन को उथला करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह कार्य सफल नहीं हो सकता तो जमीन तो ऊंची हुई नहीं, लेकिन उससे 12 गांव अवश्य हमारे यहां के बर्बाद हो गये। जाने कितने मवेशी बह गये और जाने कितना किसानों का नुकसान हुआ है। हमरी मंत्री, श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेई जी वहां गई थी और उन्होंने उससे होने वाले 12 गांवों की विपदा को देखा और कहा कि इसको तोड़ दिया जायगा, लेकिन वह तोड़ा नहीं गया है। मेरा निवेदन है कि उस नहर के बांध को तोड़ दिया जाय तो उन 12 गांवों की पैदावार बढ़ेगी और वह झील आपकी न बढ़ी है न बढ़ेगी।

मायन्वर, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से बताना आवश्यक समझता हूं कि आप आज नहरों के बारे में इंक्वायरी करायें कि टेल पर कितनी जगह पानी पहुंच जाता है और पहले से कितनी व्यवस्था अच्छी है। आज प्रायः होता यह है कि पतरौल किसान से मिलकर नहर कटवाते ह और जो नहर कटने के बाद पैसा देता है उस पर मुकदमा चल ा नहीं, किन्तु दूसरे लोगों पर चलता है और नहर के हाकिम उस पर जुर्माने करते हैं जो नहर काटने के आदी नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री नारायण हरी शर्मा (जिला अलीगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सिंचाई-अनुदान पर बोलने का समय दिया। माननीय सिंचाई मंत्री ने जो अनुदान की मांग प्रस्तुत की है, उसका मैं समर्थन करता हूं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, और उत्तर भारत के तीन प्रदेश—पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ही ऐसे हैं कि यदि वहां सन्तोषजनक उत्पादन हो तो पूरे भारत की खाद्यान्न व्यवस्था ठीक रहती है। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधायें इतनी नहीं हैं जितनी कि पंजाब और हरियाणा में हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का किसान पंजाब और हरियाणा के किसान से बहुत ज्यादा होशियार है और खेती करने में दक्ष है। इसका प्रमाण मैं यह देता हूं कि जो साल जिलों में टेस्ट के तौर पर सघन कृषि कार्यक्रम रखा गया था फोर्ड फाउंडेशन की तरफ से, उसमें अलीगढ़ जिले ने अपनी उत्पादन क्षमता 16 प्रतिशत बढ़ाई जब कि पंजाब और हरियाणा की उत्पादन क्षमता केवल 84 प्रतिशत है। यह इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश का किसान पंजाब और हरियाणा से किसान से कम दक्ष नहीं है। अब प्रश्न यह है कि काश्तकार उस तरह के साधन नहीं हैं और साधनों में उसको उन्नतिशील बीज, खाद और अन्य चीजों की आवश्यकता है। उसमें सबसे प्रथम आवश्यकता पानी, सिंचाई की है। सिंचाई के साधन उस तरह से उपलब्ध नहीं हैं जैसे उत्तर प्रदेश को जरूरत है।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई के तीन साधन हैं, एक लघु सिंचाई योजना, दूसरे स्टेट ट्यूबवेल्स और तीसरे है नहर। लघु सिंचाई योजना के कार्य क्रम से उत्पादन में बहुत वृद्धि की। जब तक इसके पूर्व लघु सिंचाई योजना का कार्यक्रम नहीं लिया गया था तब तक हमारे प्रदेश का उत्पादन नहीं बढ़ा था। लेकिन आज इसमें कमी है। वह यह है उसकी तरफ मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माइनर इरीगेशन में जो अनुदान दिया जाता था वह प्रायः बन्द हो गया है। अनुदान की बात भी छोड़ें। जो प्राइवेट ट्यूबवेल्स को बिजली दी जाती है उसकी जो दुर्दशा है उसकी तरफ बहुत से भाई ध्यान दिला चुके हैं। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता लेकिन जो यह दशा है कि एक घंटा बिजली आयी, काश्तकार बैठा रहता है, मजदूर बैठा रहता है उसका साथी बैठा रहता है, एक दो घंटे बिजली आयी और फिर चली गयी, इस तरह से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तारतम्य टूट जाता है। अक्सर ट्रांस्फर्मर भी खराब हो जाते हैं और कनेक्शन भी फेल हो जाते ह। इस दुर्व्यवस्था सुधार के लिये आवश्यक है कि आप रोस्टर कर दें, जितनी बिजली दी जाय उसकी सूचना काश्तकार को हो जाय, चाहे दिन में दी जाय या रात में दी जाय। बिना सूचना के कभी बिजली दे दिया कभी नहीं दिया इससे किसान को बहुत निराशा होती है।

एक बात और कहना चाहता हूं। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं जब पहले ट्रांसफार्मर जल जाते थे तो किसान से पैसा लिया जाता था। सरकार ने यह व्यवस्था कर दी ट्रांसफार्मर जलने के बाद किसान से पैसा नहीं लिया जायगा, सरकार स्वयं खर्च करेगी। लेकिन जब किसान पैसा दे देता था तो ट्रांसफार्मर समय से लग जाता था। अब वहां ट्रांसफार्मर समय से नहीं लगता है। आज हालत यह है कि दो-दो, तीन-तीन, चार-चार महीने लग जाते हैं, जब तक विभाग के अधिकारी पेट पूजा किसान से नहीं ले लेते हैं, जब तक किसान चन्दा करके पैसा नहीं दे देता है तब तक ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचता है। ट्रांसफार्मर लगाने की एक निश्चित अवधि होनी चाहिये कि जिस ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर जल जायगा हफ्ते, दो हफ्ते, चार हफ्तें में निश्चित रूप से लग जायगा। जब तक निश्चित अवधि नहीं होगी किसान को राहत नहीं मिलेगी।

मैं स्टेट ट्युबवेल्स के बारे में आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूं। स्टेट ट्युबवेल्स में मुझे अपने जिले का पता है पूरे प्रदेश का पता नहीं है आपने पांच सौ एकड़ का कमांड था उसको तीन सौ कर दिया गया है। लेकिन तीन सौ एकड़ में भी पूरी सिंचाई नहीं होती है। काश्तकार परेशान रहता है। अगर तीन सौ एकड़ पर ट्यूबवेल्स कामयाब है अगर उतना पानी नहीं दे पाता है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उतना कमांड उसका कम करना चाहिए। इससे आपको फायदा रहेगा। जितना कमांड होता है। उसके बाद दूसरे साधन से पानी नहीं ले सकता है। आज जब इंटेंसिव कल्टीवेशन है तो उसके लिये उचित मात्रा में पानी देना आवश्यक है उसको न नहर दे पाती है, न ट्यूबवेल्स दे पाते हैं। लेकिन किसान के ऊपर जो नो आबजेक्शन का प्रतिबन्ध लगा हुआ है वह हटा देना चाहिये। इन साधनों के होते हुये किसान अपना साधन लगा सकता है। इसलिये इस नो आबजेक्शन वाले प्रतिबन्ध को हटा देना चाहिये।

नलकूपों के बारे में मेरा सुझाव यह है कि आजकल जो ट्यूबवेल लगाये जाते हैं वह कुर्ब जवार में लगाये जाते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार को इस पालिसी को बदलना चाहिये और ट्यबवेल्स को कुर्ब में न लगाकर स्कैटर्ड लगाना चाहिये। दूरवर्ती क्षेत्रों में लगाना चाहिये जिससे उस एरिया में आने वाले जिन गांवों में पानी का अभाव है वहां न रहे। चार कुयें एक जगह पर लगाने के बजाय 5/5 मील की दूरी पर यानी 20 मील के एरिया में लगाये जायं इससे जितने गांव उस एरिया में आयेंगे और जब हमारे प्रदेश में बिजली उपलब्ध होने लगेगी तो उन गांवों के इलेक्ट्रिफिकेशन में सहायता मिलेगी। कुर्ब में ट्यूबवेल लगाने वाली नीति को बदल देना चाहिये और खास तौर से पश्चिमी जिलों में ऐसा नहीं रहना चाहिये। पश्चिम नरोरा का एटोमिक प्लांट तैयार हो रहा है। उससे इतनी बिजली उपलब्ध होगी कि गांव-गांव में बिजली लग जायेगी। अगर अभी से प्लानिंग करके चलेंगे तो हमारा प्लान सार्थक होगा और सही माने में रुपया खर्च होगा।

कैनाल के संबंध में मेरा सुझाव यह है कि जो इसका कमांड है उसमें सरकार 30प्रतिशत की गारंटी करती है। पांच वर्ष के आंकड़े देख लीजिये और जितनी कैनाल से सिंचाई हो सकती है उतना ही उसका कमांड रखना चाहिये क्या जरूरत है कि आपका कमांड इतना हो। एक भी पानी दे दिया जाय तो आबपाशी का कर ले लिया जाता है। लेकिन ट्यूबवेल में हर पानी पर कर लगता है। मैं चाहूंगा कि जितना पानी दिया जा सके और जितना आपके कुलाबे सिंचित कर

[श्री नारायण हरी शर्मा]

सकें उतना ही कमांड रहना चाहिये। बाकी के लिये दूसरे साधन होने चाहिये। किसना आजकल अनिश्चित अवस्था में है। वह दूसरे साधन नहीं लगा सकता है। इस स्थिति को खत्म कर देना चाहिये।

एक बात मैं और नहरों के ही सिलसिले में कहना चाहता हूं कि आज जो किसान से आबपाशी वसूल की जाती है उसमें भ्रष्टाचार है। उसको मिटाने के लिये मैं सुझाव देना चाहता हूं। जब आबपाशी पर्चे बटते हैं और जो कर असेस करते हैं उसको भोला किसान और चतुर किसान भी नहीं समझ पाते हैं। उनको पता नहीं है कि गेंहू का क्या रेट है, गन्ने का क्या रेट है,। दो परसेंट की जो छूट है वह भी नहीं दी जाती है। उसके ऊपर ड्योढ़ा और दुगुना असेस कर दिया जाता है। जैसे दस बीघे पर 50/60 रुपये कर के असेस कर देते हैं। फिर 5/10 रुपये किसान से रिश्वत लेकर उसको 30 रुपये कर देते हैं। इस तरह से वह सही असेसमेंट पर आ जाते हैं। मैं चाहूंगा कि जो पर्चा किसानों को दिया जाता है उसमें जिन्सवार रेटस होने चाहिये ताकि वह हिसाब से पैसा दे और यदि उससे ज्यादा पैसा ले लिया जाय तो उसकी वह शिकायत कर सके। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करने की कृपा करें। स्टेट ट्यूबवेल के सम्बन्ध में कहना चाहता हू कि जो मशीन जाता है उसे 72 घंटे या 80 घंटे पानी खींचना होता है उस नलकूप को डेवलप करने के लिए, परन्तु तेल की बचत करने के लिए पूरे टाइम तक उसको डेवलप नहीं किया जाता है। उसका नतीजा यह होता है कि वह नलकूप पूरा पानी नहीं दे पाता है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि पहले एक चीफ इन्जीनियर होता था और अब कई-कई चीफ इन्जीनियर बना दिए गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे-जैसे काम में प्रगति होगी वैसे-वैसे उसे पूरा करने के लिये अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करनी होगी। आप जानते होंगे कि पहले कमिश्नरों की संख्या कितनी थी और अब कितनी हो गयी है। इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि अब काम अधिक बढ़ गया है।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

श्री नारायण हरी शर्मा---

मुझे थोड़ा सा समय और दे दिया जाये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के अनुदान पर बोलने का मौका दिया। हमारे उत्तर प्रदेश में 3 इलाके ऐसे हैं जिनको पिछड़ा हुआ घोषित किया जाता रहा है वह हैं बुन्देलखंड, पहाड़ी और पूर्वी भाग। मैं एक ऐसे चौथे अंचल की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। वह इलाका है इटावा और मथुरा जिलों में मुगल रोड के दक्षिण के बीच का। यह इलाका सबसे पिछड़ा हुआ है और जहां पर लोग पानी के लिए भगवान के भरोसे पर रहते हैं। चम्बल और कुंवारी नदी के बीच के इलाके में राजकीय नलकूप ही लगाये जा सकते हैं। जाजेपुर, चौरैला, गढ़ी मंगत, सिंडौस आदि ग्राम, य भिंड जिले की सरहद से कुंवारी नदी के उस पार इटावा जिले के गांव हैं जहां पर राजकीय नलकूप नहीं हैं। ये लोग मांग कर रहे हैं कि इस इलाके को मध्य प्रदेश में मिला दिया जाये क्योंकि मध्य प्रदेश के इलाके में बिजली की लाइनें जगमगा रही हैं और वहां बम्बे और नहरें निकल रही हैं। इसीलिये उनके अन्दर यह भावना जागृत हुई है कि इन गांवों को मध्य प्रदेश में मिला दिया जाये। इसलिये मेरा निवेदन है कि उस इलाके में राजकीय नलकूप लगाने की एक चौथी विशेष परियोजना बनायी जाये। इसके साथ ही साथ हमारे जिले

में सेंगर नदी का ऐसा इलाका है जहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है। बूढ़ा दाना, सोघेमऊ, रोहेरी, चिचौली, जुवा, मुरदना, दौलतपुर, नौली, नगला पाठक, गुदरी, पूरनपुर, मुदी ख्यौला, केशमपुर, देवरपुर, माल्हेपुर, तालेपुर, ऊंचा पड़रिया, पड़ोत, आदि ग्रामों के इलाकों में राजकीय नलकूप सगर नदी के दोनों तरफ लगाये जान चाहिये। निजी नलकुप वहां पर सफल नहीं हो पाते हैं वहां पर केवल राजकीय नलकूपों का ही सहारा है। अतः इन इलाकों में राजकीय नलकूपों की व्यवस्था होनी चाहिये। हमारे उत्तर प्रदेश के मौनपुरी जिले का जो नलकूप डिवीजन है वहां एक अधिशासी अभियन्ता हैं, वह बहुत ही भ्रष्ट हैं। वह सिंचाई कमेटी से स्वीकृति के अनुसार नलकूप नहीं लगाते हैं और मनमान जगह पर नलकूप लगाते हैं जहां से उनको पैसा मिलता है वहां पर नलकूप लगा देते हैं और जहां पर पैसा नहीं मिलता है वहां नहीं लगाते हैं।

मेरा सुझाव है कि दो नलकूपों पर एक ट्यूबवेल आपरेटर रखा जाये और एक ट्यूबवेल आपरेटर की जो तनख्वाह बची उससे गांव के रहने वाले दो चौकीदारों को रक्खा जाय। वहां पर दो चौकीदार रखे जायं जो उस ट्यूबवेल की देख रेख करते रहेंगे। इस प्रकार से ट्रान्सफारमर्स की चोरी को रोका जा सकता है। मान्यवर, इटावा जिले में राम गंगा कनाल डिवीजन की ओर से जो नहर निकल रही है और जिसका पानी कंसुआ से लकर सहार रजबहा में आता है। वहां पर पूरा माइनर ठाकुर गांव माइनर सूखी पड़ी हुई है। इनमें काफी पानी नहीं जाता है। इस सहार रजबहा को काट दिया जाता है और वहां पर से आगे लहरापुर तक काइ लाका हमेशा असिंचित रह जाता है। 10 जून, से 17 जून तक इटावा में इटावा डिवीजन की नहर चली और फिर 15 दिन बन्द रही जिससे जो धान की फसल बोई गई नहर न चलन की वजह स सूख गई। आपने इस प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए रामगंगा परियोजना कालागढ़ की शरुआत 1959 में की थी। हमारा प्रस्तावित व्यय था 27 करोड़ का लेकिन आज उस पर 130 करोड़ रु० व्यय होने पर भी अभी तक योजना पूरी नहीं हुई है। लाखों रुपये वहां के अधिशासी अभियंता, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर खा गय हैं और लाखों रुपये का सामान वहां पर बकार पड़ा हुआ है।

हमारे एक साथी विधायक ने देखा कि जिस पल्ले का मूल्य दो रुपये था वह 10-10 रुपये में खरीदे गये इस तरह से विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कालागढ़ में भ्रष्टाचार हो रहा है। माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह स्वयं जाकर वहां पर देखें। माननीय मंत्री जी ने अभी स्वीकार किया है कि इस साल पिछले वर्षों की अपेक्षा गेहूं की फसल 40 फीसदी कम हुई है। इस बार बिजली राजकीय नलकूपों को 30 फीसदी यानी 1/3 मिल सकी है। और 40 फीसदी फसल कम हुई है। माननीय सिंचाई मंत्री के वक्तव्य के मुताबिक लेखपालों से जो आंकड़े तैयार करवाये हैं वह बहुत गलत हैं। तहसीलदारों न जो आंकड़े गेहूं की पैदावार के सिलसिले म शासन को भजे हैं वह गलत हैं। शासन को चाहिय कि वह विस्तृत जानकारी करा कर उन आंकड़ों को दुरुस्त करायें। जब इटावा जिले में सिंचाई न होने के कारण गेहूं की पैदावार नहीं हुई तो उस जिले की स्थिति को देखकर वहां पर लगान व आबपाशी को माफ किया जाय। एक तो सोचिये अव्यवस्थित सिंचाई, बिजली व्यवस्था के कारण गेहूं की पैदावार घटी। दूसरी ओर लेखापालों के गलत आंकड़ों क कारण सारे सूबे में किसानों से जबरन गेहूं अधिकारी खींच रहे हैं।

मान्यवर, जैसा कि आपने कहा कि सिंचाई विभाग एक ऐसा विभाग है जिस पर इस प्रदेश की तरक्की, विस्तार और सफलता, खुशहाली निर्भर करती है,। वहीं मैं यह और कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग की क्षमता पर न केवल इस देश की खुशहाली निर्भर करती है बल्कि इस

[श्री भारत सिंह चौहान]

प्रदेश के लोगो का जीवन मरण भी निर्भर करता है। आज हमारे सूबे व देश को विदेशों का मुहताज बनना पड़ता है। मान्यवर, जब बारिश कम होती है। सिचाई के साधन अच्छे नहीं होते हैं, भुखमरी की स्थिति जब पैदा होती है तब देहातों में अराजकता का वातावरण भी पैदा होता है। गल्ले का अभाव पाले के कारण हमारे इटावा जिले में हुआ है और इसलिये डाकुओं के गिरोह शशस्त्र होकर ग्रामीणों को आतंकित कर रहे हैं। आज गांव के लोग गांव छोड़ कर भाग रहे हैं। आज इटावा जिले के ग्रामीण आंचल में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। रात रात भर गांव वाले जागरण करते हैं तो ऐसी स्थिति में मैं सिचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इटावा के भू-भाग में, यमुना, चम्बल और कुंवारी के और सेंगर नदियों के इलाके के लिये विशेष परियोजना तैयार करायें। इटावा डिवीजन की नहरों से जो 2 माईनर प्रस्तावित हैं एक ढिकियापुर माइनर और दूसरी अमोहार मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे इन पर जल्द काम शुरू करावें। दूसरा मेरा निवेदन है कि भोगनीपुर डिवीजन में जो सेगनपुर आयना माइनर है, उसको अगर चौड़ा करके एक मील तक बढ़ा दिया जाय तो वहां की असिंचित भूमि में सिचाई हो सकती है।

अंत में मेरी सिचाई मंत्री जी से प्रार्थना है कि भोगनी पुर डिवीजन में करवावतु रजबहा और इटावा डिवीजन में बूढ़ादानार रजबहा और इटावा डिवीजन की नहर दिबियापुर से लेकर कंचौसी बाजार व झींझक तक की पटरियों को अगर पक्का करा दिया जाय तो उन पटरियों के कटने का खतरा नहीं रहेगा और आवागमन की सुविधा भी बढ़ जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी इटावा जिले के सम्बन्ध में ध्यान रखेंगे।

श्री ऊदल--

माननीय भारत सिंह जी द्वारा डाकुओं का जिक्र किया गया क्या माननीय सिचाई मंत्री जी से उनका कुछ सम्बन्ध है ?

श्री भारत सिंह चौहान--

माननीय मंत्री जी का तो सम्बन्धी नहीं है लेकिन उनकी पार्टी के समर्थन करने वाले उनके दल के माननीय एक सदस्य का समर्थन निश्चित रूप से है, जिसका नाम व विवरण इटावा के अखबारों में छपा है।

*श्री मंगरे सिंह (जिला गोंडा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिचाई के विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, उन्होंने कभी यह विचार नहीं किया है, कि हमारी कितनी भूमि सिंचित है और कितनी असिंचित है। अगर नहीं किया है तो वे चल कर देख लें। 5 मई को पीलीभीत में एक बैठक हुई थी। बरेली में जो नहर है देवहा नदी उसे काट रही है। उसमें गांव काट करके 10 कदम के फासले पर नहर पड़ी है, सिसवा में। वहां के अधिकारियों ने सूचना नहीं दी, जिले को नहीं भेजी। बताइये महाराज, यह सरकार की नीति और यह सड़े-गले विभाग के लोग आपके विभाग में काम करते हैं। यह तो भगवान की माया है मंत्री जी, कि पानी नहीं बरसा वरना एक जिला नहीं सारा बरेली, पीलीभीत और सारा पश्चिमी बार्डर आपके हाथों से चला जायगा जहां अरबों रुपयों की लागत है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात यह है कि नहरों के विषय में कई बार बतलाया कि नहर की पटरी काट करके पानी निकालते हैं। जबकि नीचीं नहरों में झीलें बनी हुई और कुलाबों में पानी चढ़ता नहीं, कुलाबे ऊंचे हैं, नहरें नीची हैं तो किसान तो काटेगा ही। उसे तो पानी चाहिए, वह तो सींचेगा ही। यह तो आपकी जिम्मेदारी। मैंने 67 के बीच में प्रस्ताव रखे थे उस पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया।

तीसरी बात यह है कि इस बजट में जितनी शारदा कैनालें हैं वहा कोई सफाई और खुदाई नहीं होती और टल पर पानी किसी नहर का नहीं पहुंचता है। कई बार आग्रह किया गया लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। एक बात पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से गेहूं वसूल करने के लिये आर्डिनेंस जारी कर दिया इसी तरह से सिचाई अभियान चलाया जाय तो जनता में असंतोष नहीं होता। आपके कानून में वैसे कोई ऐसी बात नहीं है। गेहूं की वसूली होनी चाहिये। लोग गेहूं देने में कभी भी पीछे नहीं रहे। क्या गन्ना देने में कभी पीछे रहे, लेकिन सरकार ने जो नीति बनायी, जो आर्डिनेंस जारी किये उनके कारण प्रदेश की जनता में हाहाकार मचा, इसको समझने की कोशिश करें। गेहूं की वसूली के लिये जो कानून बनाया वह दो महीने पहले, डेढ़ महीने पहले बनाते तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होती, लेकिन दो महीने के बाद कानून बनाते हैं। मेरा तो सुझाव है कि सिचाई का संबंध खेती से है और खेती का संबंध सारे सदन, सारी जनता से है। यह कहीं पर छुटा नहीं है। जबतक सिचाई की योजना पूरा नहीं कर पायेंगे तबतक खेती से कोई कल्याण होने वाला नहीं है, न किसान को कुछ लाभ हो सकता है। पिछले सीजन में पाला पड़ा। क्या सरकार ने कुछ किया, उस वक्त वह कहां रही? किसी जगह पर निरीक्षण किया होता कि गन्ना और गेहूं सूख गया तो दिमाग में यह बात नहीं होती। जब किसान के पास सिचाई के साधन नहीं हैं तो गेहूं कहां से लायेगा। छोटे किसनों के पास तो बोने भर का कोटा नहीं है और खाद मिलता नहीं है 105 का मिलता है और गेहूं 105 में खरीदता है। छोटे किसानों को आप बचा रहे हैं और बड़े फारमरों को आप मजबूर करते हैं गेहूं देने के लिए जिन्होंने अपने माध्यम से पानी उपलब्ध किया है, आपके माध्यम से नहीं। आपके माध्यम से कितनी बिजली उनको मिली है, कितनी गन्ने के विषय में आपने उनको बिजली दी है सिचाई के लिये? कितना उनको फर्टिलाइजर दिया है? जरा विचार करके देखें आंकड़े खोल कर। जब पिछली दफा आपने लेवी लगाई और 76 में वसूली हुई आज क्या वजह है कि 105 में नहीं होती? वजह यही है कि उपज गेहूं की कम है। आपने पानी नहीं दिया, बिजली नहीं दिया और फर्टिलाइजर नहीं दिया और आज कहते हैं कि खाद्य की समस्या आर्डिनेंस से सुलझायेंगे या हल कर लेंगे। वह नहीं हो सकता।

आज बड़े किसान के पास जिसने अपने पैसे के जरिये सिचाई के साधन जुटाये हैं, जहां छापा मार कर गेहूं वसूल किया जाता है, वहां गेहूं है। पिछले साल मंत्री जी के साथ कई बार बनारस गया, कई बार कमेटी गयी। उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं आयी। वहां जो ट्यूबवेल्स से सिचाई होती है उसमें पानी तो निकल रहा है लेकिन नाली का पानी खेत में नहीं जाता। वह सारा छन कर चला जाता है। उसमें क्या रिपोर्ट सरकार ने दी? सरकार क्या करती है, मेरी समझ में नहीं आया। वहां से रेत लाये। उसका कोई डाक्टरी मुआयना हुआ या नहीं? इस सरकार के रिश्तेदार ठेकेदर, इस सरकार के रिश्तेदार सब अफसर, फिर समस्या हल कैसे होगी? जबतक खेती पर विशेष ध्यान नहीं दिया जायगा तबतक काम कैसे चलेगा। जब किसान के पास थोड़ी खेती है और सिचाई के साधन नहीं है तो अनाज कसे पैदा होगा। जब उसके खेत में पानी नाली से जायगा और वह निकल जायगा तो खेत में पहुंचेगा नहीं और बिजली लगेगी घंटे के हिसाब से, पैसा दूना लिया जायगा और हाऊस में सफाई दे देते हैं। कोई ऐसी

[श्री मंगरे सिंह]

मुश्किल बात नहीं है, हम सब लोग देहात से जीत कर आये हैं फिर देहात में जाने में आपत्ति क्या है। वहां जा कर देखें कि कितनी जमीन सिंचित है और कितनी असिंचित है। आज मैं मंत्री जी को ध्यान दिलाऊं, अपने जिले में लिफ्ट कैनाल के लिये एक सुझाव रखा था। बरेली से कोई साहब गये। उन्होंने शहर में बैठकर बातचीत की लेकिन पता नहीं क्या कर के लाये। (लाल बत्ती होने पर) क्या हमारा समय समाप्त हो गया ?

श्री अधिष्ठाता—

अभी आपके दो मिनट बाकी है।

श्री मंगरे सिंह—

दो, तीन मिनट और दे दीजिये। पिछले वर्ष मैंने एक सुझाव कुंओं के बारे में दिया था कि हमारे जिले में सरकारी ट्यूबवेल नहीं है। बिजली की लाइनें हैं लेकिन ट्यूबवेल नहीं हैं। सरकार की तरफ से वहां ट्यूबवेल लगाने का आश्वसन दियागया था। मैं मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि उन कुंओं के बनाने का आदेश जल्द से जल्द प्रसारित कर दें ताकि वहां के किसानों की समस्या सुलझ सके। शाहजहांपुर में भी पानी नहीं पहुंचता है। शारदा कैनाल में टेल पर पानी नहीं पहुंचता है। इसलिये उसकी व्यवस्था ठीक से की जाय। इन शब्दो के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का डट कर समर्थन करता हूं।

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी और उनके विभाग की तवज्जह बुनियादी मसलों पर दिलना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपने वाटर रिसोर्सेज का अच्छी तरह से सर्वे करायें।

(इस समय 3 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं जानता हूं कि जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया ने उसका सर्वे किया है। लेकिन प्रदेश के नजरिये से सही सही आज तक सर्वे नहीं हुआ है और हमारे प्रदेश के अन्दर कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो भूमिगत वाटर रिसोर्सेज का पता लगाये या सर्फेस वाटर का सही तरीके से मूल्यांकन करे और फिर उसके अनुसार हमारी प्रदेश की भिन्न-भिन्न योजनायें बनायी जांय।

यदि आंकड़ों को देखा जाय तो हमारे प्रदेश में 48.86 मिलियन एकड़ फुट पानी भूमिगत मिल सकता है। लेकिन इसका करीब 19 मिलियन एकड़ फुट ही इस्तेमाल किया गया है। इससे साफ जाहिर है कि करीब 31 मिलियन एकड़ फुट की और गुंजायश है। सर्फेस वाटर में भी हमारे यहां करीब 200 मिलियन एकड़ फुट पानी मिल सकता है जिसमें से केवल 40 मिलियन एकड़ फुट ही इस्तमाल किया गया है, इसमें भी काफी गुन्जायश है।

बुन्देलखंड में नलकूपों के लिये भी काफी गुन्जायश है। हमारे प्रदेश में एक वाटर रिसोर्सेज बोर्ड जैसा कोई संगठन बनाना चाहिये जो वैज्ञानिक तरीके से इसकी खोज करे कि हमारे यहां कहां-कहां कितना पानी है। Exploratory tube wells लगाने की खोज की जाये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी जो भी योजनायें भारत सरकार की मन्जूरी के लिये भेजी जाती है उनमें बहुत अधिक समय वहां पर लग जाता है। हमारे प्रदेश की तरफ से वहां पर कोई लियाजन आफिसर होना चाहिये जिससे कि जो भी योजना स्वीकृति के लिये वहां जाय वह शीघ्र से शीघ्र स्वीकृत हो सके और उसमें अनावश्यक विलम्ब न हो। जब वह आफिसर वहां होगा तो अच्छी तरह से हमारी योजनाओं को समझा सकेगा और उसमें अधिक विलम्ब नहीं हो पायेगा।

हमारा जो भी प्रोजेक्ट वहां जाता है उसका मूल्यांकन लाभ और हानि के अनुपात में किया जाता है। यह बहुत पुराना दकियानूसी तरीका है। हमारे प्रदेश में बहुत ऐसे इलाके हैं जो बहुत पिछड़े हुये हैं। इसलिये वहां पर यदि कोई प्रोजेक्ट हमको कम मुनाफा देता है तो भी उसे स्वीकार करना चाहिये। उसी दृष्टि से उसे नहीं देखना चाहिये। इसलिये मूल्यांकन के इस आधार को बदलना बहुत आवश्यक है।

तीसरी चीज यह है कि हमारे प्रदेश के जितने भी माने हुये कृषि वैज्ञानिक हैं वे यह मानते हैं कि टिलिंग पीरियड में जब गेहूं बोया जाता है तो उसके एक माह के अन्दर 65 प्रतिशत मुआस्चर भूमि को मिलना चाहिये। 400–600 तक मिलीलीटर पानी गेहूं को चाहिये और गन्ने के लिये 1 हजार मिलीलीटर चाहिये। तो मेरे अर्ज करने का मकसद यह है कि बुआई के समय पानी ठीक दिया जाय। मंत्री जी खोज कराएं कि पानी चाहे नहर से दें या ट्यूबवैल से दें इस कार्यक्रम को क्राप पैटर्न के हिसाब से बनायें कि इस वक्त पानी की ज्यादा जरूरत है। मिसाल के लिये गेहूं को पानी की जरूरत नवम्बर, दिसम्बर में ज्यादा होती है। यह टाइम उनके फुटेर उगने का होता है। अब अगर आप दिसम्बर में नहर में पानी कम दें फिर फरवरी में पानी दें तो चाहे जितनी कोशिश की जायें हाई इल्डिंग वैराइटीज को हम नहीं चला सकेंगे। और अच्छी पैदावार हम नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से गन्ने और धान में भी पानी समय से दिया जाय। मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि हमारी खेती में, सिंचाई विभाग में जो खोजें होती है, जो रिसर्च होती हैं उन पर अमल करने के लिहाज से हम अपने प्लान बनायें, पानी दें और बिजली दें।

एक बात के सिलसिले में मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। आप देखें कि आपके सिंचाई विभाग में, कृषि विभाग में और बिजली विभाग में कोई कोआर्डीनेशन नहीं है। इन तीनों विभागों में कोआर्डीनेशन होना चाहिये जिससे बुआई के पीरीयड में पानी की कमी न हो। पिछली मर्तबा मुख्य मंत्री जी की कृपा से 7 विधायकों ने शक्ति भवन में इस बात पर विचार किया। पता चला कि ट्यूबवैल विभाग, कृषि और सिंचाई विभाग ने अप्रैल के लिये सूचित किया कि, पश्चिमी जिलों में लोड कम हो जायेगा जो कि उल्टा था। तो इससे साफ जाहिर है कि पानी के प्रोग्राम की प्लानिंग फसल की जरूरत के लिहाज से होनी चाहिये। इस बात क लिये चाहे सिंचाई विभाग में हमको अलग से कोई विभाग खोलना पड़े।

इसी बात के सिलसिले में यह भी कहना चाहता हूं कि अपर गंजेज कैनाल के सिलसिले में या और कैनाल के सिलसिले में जो यह खेल चल रहा है कि 40 फीसदी पानी सप्लाई किया जायेगा। तो जो हम हाई ईल्डिंग वैराइटीज को सफल बनाना चाहते हैं जैसे धान, गेहूं, गन्ना आदि वह नहीं हो सकेगा। यह मामला चलने वाला नहीं है।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—

इनका वही 1922 का कैनाल ऐक्ट है। पानी की गारंटी की कोई बात नहीं है।

श्री ईश्वरी सिंह—

मैं इसमें संशोधन की ही बात कहने जा रहा हूं। तो मान्यवर, इसके लिये चाहे जो भी हमें कानून बनाना पड़े या कानून में संशोधन करना पड़े और चाहे जो कदम उठाना पड़े, हमको उठाना चाहिये। अगर हम हाई इल्डिंग वैराइटीज को कामयाब बनाना चाहते हैं तो हमें इस ओर कदम उठाना पड़ेगा।

[श्री ईश्वरी सिंह]

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं वह सिल्टिंग की । हमारे जो पंपिंग सेट्स हैं, नहरें, गूलें उनमें रेती जम जाने की एक समस्या है । इस मसले पर हमारे सिंचाई विभाग को किसी ठोस तरीके से खोज करनी चाहिये और कोई तरीका निकालना चाहिये । और यदि सिल्टिंग की यह रफ्तार रही तो आज नहीं 20-25-30 साल बाद जो हमारे सिंचाई के साधन हैं वह बेकार हो जायेंगे । अतः इसकी तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं ।

इसके साथ ही साथ मैं मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में जो झगड़ा है सिविल बनाम मेकेनिक/इलेक्ट्रिकल । सिविल में सिविल इन्जीनियर काबिल अवश्य होता है लेकिन जहां सिंचाई के प्रसाधन और बढ़ रहे हैं, ट्यबेल बढ़ रहे हैं तथा लिफ्ट इर्रीगेशन बढ़ रही हैं उसमें मेकेनिकल काम सिविल की अपेक्षा अधिक होते हैं । तो यह जो मेकेनिकल इंजीनियर हैं उनको सिंचाई विभाग में लिया जाय । मंत्री महोदय जी इस बात के लिये सक्षम हैं कि अगर यह झगड़ा नहीं तय किया गया तो यह बात ठीक नहीं है । इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेन्ट इंजीनियर इन विभागों में स्थायी कम हैं अस्थायी अधिक । मेरी अर्ज है कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें । इससे विभाग में काम करने की क्षमता पर असर पड़ता है । उनके तमाम मामले अनिर्णित विभागों में पड़े हुए हैं । इसलिये मंत्री महोदय उनको हल करवाने पर गौर फरमाएं । हमारे जैसे-जैसे सिंचाई का विकास होगा आप देखेंगे कि मेकनिकल तथा इलेक्ट्रिकल का जमाना आयेगा । उस समय सिविल के बुकाबले में खेती और सिंचाई में बहुत बड़ा इनका हाथ होगा । इस प्रकार जब ये आगे-आने वाले हैं तो इन पर अभी से आपको ध्यान देना चाहिये ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

प्रथम आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने श्री रामजनम राय द्वारा कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, प्रदेश में सिंचाई के जो साधन हैं मैं समझता हूं और शासन भी इसे मानता है कि भूमिगत जल और जो धरातल से ऊपर जल है--उसी का प्रयोग होता है । हमारे प्रदेश में खेती करने वाली भूमि पठार में 50 प्रतिशत, बुन्देलखण्ड और अन्य पठारी इलाकों का 50 प्रतिशत और शेष उत्तर प्रदेश के हिस्से में केवल 80 और 100 प्रतिशत पर खेती की जाती है, जिस पर सिंचाई की सुविधा आसानी से हो सकती है। इस चीज को देखते हुए यह कहा जा सकता है और जैसा कि मंत्री जी ने अपना लक्ष्य 14 लाख एकड़ खेती की सिंचाई करने का इस वर्ष के अन्त तक करने का रखा है । और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 154 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करने का लक्ष्य निर्धारित किया है । प्रदेश में सिंचाई करने वाले भूमि का रकबा लगभग 297 लाख हेक्टेयर है जिसकी कि सिंचाई की जा सकती है । भूमिगत जल से लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकती है । यह पानी केवल ट्यूबवेल तथा अन्य साधनों से प्रयोग हो रहा है । लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में भूमिगत जल सतह के नीचे तक है और जहां तक एक्सपर्ट लोगों की राय है उसके अनुसार जो बाढ़ आती है इस भूमिगत जल की ऊंचाई होने के कारण ही बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है । इसके साथ ही नदी में जो सील्टिंग होती है उससे तथा अधिक बरसात से यह समस्या उत्पन्न होती है । मैं इन सब चीजों के साथ ही साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश का जो मुख्य पेशा है वह खेती है । तो खेती के लिये जब तक जल साधनों का प्रयोग काफी नहीं होगा तब तक प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं होगी ।

यह भी माना गया है कि प्रदेश में प्रति वर्ष काफी आबादी बढ़ रही है । जब तक आप, सघन खेती का प्रोग्राम नहीं चलाया जायगा तब तक आबादी की बढ़ती हुई गति से नहीं लड़ सकते । इन सब बातों पर विचार करके और इधर से जो और सुझाव दिये गए हैं उन्हें

ध्यान में रख कर मंत्री जी को चलना चाहिये । 1964 में बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बना और एक बृहत योजना बनी । जिस जिले से मैं आता हूं उसका नाम गोरखपुर है और मैं बार-बार, उधर जो मीटिंग हुई थी उसमें भी कह चुका हूं कि यह नदियों से भरा हुआ जिला है । यह बाढ़ की अधिक चपेट में आता है । इस प्रदेश में 9.30 लाख हेक्टेयर पर प्रति वर्ष बाढ़ आती है। इस आकड़े को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जब तक बढ़ नियंत्रण बोर्ड काफी प्रभावकारी ढंग से काम नहीं करेगा तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान अपने जिले की ओर ले जाना चाहता हूं । जब सन् 52 में माननीय कमलापति त्रिपाठी सिंचाई मंत्री थे तो राप्ती गोर्रा दुआब में गये थे । श्री राममूर्ति जी भी वहां और गये करीब 14 मिनिस्टर वहां गये । उस दुआब का करीब 32 किलोमीटर का विस्तार पूरब से पश्चिम में और इतना ही उत्तर-दक्षिण में है । गोरखपुर के 80 गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं । जब माननीय कमलापति जी मुख्य मंत्री थे तो उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था । उन्होंने अपने समधियाने के क्षेत्र का जो मलांव है और जिसमें दो चार गांव आते हैं पक्का बन्धा करवा दिया । लेकिन वह बन्धा प्रधानों के माध्यम से बनवाया गया और वह भी अधूरा रहा ।

अब बहुगुणा सरकार में सिंचाई मंत्री नवाब साहब हैं । एक प्रतिनिधि मण्डल आपसे मिल चुका है । एक लिखित बयान भी एक आदमी को आपसे मिलवाकर पहुंचा दिया गया है । मैं समझता हूं उन समस्याओं के हल के लिये इस प्रार्थना-पत्र को माननीय मंत्री जी ने विभागीय अधिकारी को भी भेजे होंगे । कहने का मतलब है कि उस हिस्से में आज तक कोई विकास का कार्य नहीं हो सका । सन् 47 के बाद केवल एक ऐसे जिलाधिकारी मिले जो उस दुआब में एक बार गये । उसके बाद किसी जिलाधिकारी का वहां प्रवश नहीं हो पाया । इन समस्याओं के विषय में जिलाधीश से भी मिला । उन्होंने भी माना कि ऐसी समस्या का हल प्रदेश की सरकार को अवश्य ढूंढना चाहिये । पंप नहरों का जहां तक सवाल है वे भी अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रही हैं । रामगढ़ एक विशाल तालाब है लेकिन जहां तक इसकी नहर की टेल है वहां तक पानी नहीं जा पाता। जहां तक पम्प नहर का हिस्सा है तो उसका क्षेत्राधिकार होने के कारण वहां ट्यूबवैल भी नहीं बन सकता । इस तरह से वह क्षेत्र असिंचित रह जाता है । गण्डक के बारे में जैसा मेरे भाई हरिकेवल ने कहा, किसानों को अब भी तकलीफ है । मेरे क्षेत्र से बसन्तपुर—रजबहा नहर जाती है, लेकिन आगे चलकर अधूरी रह जाती है । आगे चलकर सरदार नगर के पास एक तालाब सी बन जाती है । उसके बाद यह पानी फरेंद नाले में गिरने के बाद फिर गुर्रा नाले में गिर जाता है । वह क्षेत्र पहले से ही डूबा हुआ क्षेत्र है और इस पानी के कारण वहां एक और पानी का रद्दा पड़ जाता है ।

इसी के साथ-साथ मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मलौनी बांध है । इसके अन्दर कुंई, व्यासी, मोहनापुर, छपरा आदि गांव पड़ते हैं । यहां पर जल की निकासी की व्यवस्था नहीं है । बहुत दिनों तक पानी भरा रहता है और रबी की फसल जब बोई जाती है तो उसके भी एक महीने बाद कभी पानी सूखता है और कभी नहीं सूखता । इसी तरह एक तरकुलानी पुल है । उसमें करीब 2/3 ईंटें ऊंचे जोड़ दिये गये हैं, जिससे जल की निकासी नहीं हो पाती है ।

इसी के साथ, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान एक बहुत विषम परिस्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र के पूरब, जहां देवरिया का हिस्सा पड़ता है, उस सीमा पर वहां के जिलाधिकारी ने टेस्ट वर्क से एक बांध बंधवा दिया गया है और

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद]

जो पानी देवरिया में जाता था, वह अब गोरखपुर के दोआब में प्रवेश करने लगा है। पिछले वर्ष जब गोरखपुर जिले के कुछ ग्रामीण नाव से बांध पर प्राण रक्षार्थ जा रहे थे, तो उनको लाठियों से पीटा गया। वहीं के बार्डर के एक गांव के प्रधान को बुरी तरह से मारा गया। मेरा निवेदन है कि दोआब का जो 5 मील बांध एवं गोर्रा का उत्तरी तट बाकी है, वह बन जाय तो जो पानी इधर बहने लगा है, वह रुक जाता और वहां की जनता को रिलीफ मिल जाती।

माननीय राय साहब ने जो इंजीनियरों की वंशावली दी है मंत्री जी को, उसका भी वह ध्यान रखेंगे। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो बजट की धनराशि रखी गयी है, वह प्रदेश की सिंचाई की समस्या को देखते हुए बहुत कम है। इसी के साथ-साथ में अपने उन साथियों से जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे दोस्तो, अगर इसी एक रुपये के बजट को पास कर दिया जाय, तो क्या इससे प्रदेश का काम चल जायेगा? मान्यवर, हमारे प्रदेश की 54 प्रतिशत आमदनी कृषि पर निर्भर है जिसका खास स्रोत सिंचाई है। मान्यवर, 1947 के बाद से लगभग 20 गुनी क्षमता सिंचाई की, राजकीय साधनों से बढ़ी है। लेकिन जहां तक हमारी क्षमता का प्रश्न है वह हमारी आवश्यकताओं से कम हैं। सिंचाई के लिये नहरें बनाने की कोशिश की गयी और इस पर बहुत तवज्जह दी गयी। 54 परसेन्ट हमारी कृषि से क्षमता पूरी होती है। लिहाजा उसी प्रकार से कृषि का बजट भी होना चाहिये। पानी और खाद हम को मिले तो हमारे सामने कोई दिक्कत न आए। सैलाब जो आ जाते हैं उनका ताल्लुक भी सिंचाई विभाग के इंजीनियरों से है। उनको इस तरफ तवज्जह देनी चाहिये। जैसा मेरे दोस्तों ने कहा छितौनी बांध अक्सर टूट जाता है लेकिन केवल छोटे अफसरों को ही मुअत्तल किया जाता है और बड़ों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। केवल छोटे लोगों को ससपेन्ड अथवा डिसमिस करने से काम चलने वाला नहीं है।

मैं चाहूंगा कि छोटी सिंचाई, ट्यूबवेल्स के संबन्ध में कुछ विचार व्यक्त करूं। हमारे प्रदेश में लगभग 1 हजार ट्यूबवेल हैं उसमें से पूर्वी जिलों में लगभग 5,888 ट्यूबवेल हैं। ये जिले 5 हैं। पश्चिम के 8 जिलों में 6,921 ट्यूबवेल हैं और बीच के 9 जिलों में 1,108 ट्यूबवेल हैं। हमारा जिला प्रतापगढ़ मध्य से आता है यानी 1,108 ट्यूबवेल्स में वहां पर केवल 50 ट्यूबवेल हैं। वन मंत्री तथा अध्यक्ष महोदय उसी जिले के हैं। यह जिला ऊसरों, नदी व नालों का है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां पर एक भी ट्यूबवेल नहीं है। वहां पर ट्यूबवेल की व्यवस्था की जाय। यह जिला 18, 20 लाख की आबादी का है। जो थोड़ी सी नहरें खोदी गयी हैं नहरों के टेल से प्रतापगढ़ जिले की उन नहरों से पानी दिया जाता है। वास्तव में पानी मिलता ही नहीं है। भूले भटके पानी मिल जाय तो और बात है वैसे पूरे सीजन तक पानी कभी नहीं पहुंचता। मैं सिंचाई मंत्री से निवेदन करूंगा कि ट्यूबवेल्स बढ़ाने की तरफ हमारे जिले में तवज्जह की जाय। नवाब साहब पता नहीं क्यों प्रतापगढ़ को भूल गये हैं। उस जिले को उनको खासतौर से देखना चाहिये। राजकीय साधन वहां पर हमारी जरूरत से बहुत कम ह। मंत्री महोदय अपने विभाग पर जरा कड़ी निगाह रखें। गांव में आते हैं तो यह शिकायत सुनने में आती है कि किसानों से सिंचाई दुबारा भी ले ली जाती है।

बहुत से किसान अपने खेतो को नहीं सींचते किन्तु उनसे सिंचाई का दाम वसूल किया जाता है। इसके अलावा पतरौल अगर किसी के घर में रहता है तो उससे सिंचाई का पैसा

लिया हीं नहीं जाता है । क्योंकि उसका पानी तो वह पी लेता है, खेत क्या पानी पियेगा । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसको सख्ती से देखें । जब हम जिले में जाते हैं तो दो-चार केसेज इसके जरूर मिल जाते हैं । अभी एक मीटिंग हुई थी उसमें इंजीनियर साहब ने कहा कि आप हमें कोई पर्टिकुलर केस बतायें । यह तो जनरल चीज देखने की है और यदि वे चाहेंगे तो पर्टिकुलर केस भी बता सकते हैं । इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि आज जहां 54 प्रतिशत प्रदेश की आय कृषि से होती है, उसको देखते हुए इस मद में बजट बहुत कम है । जो आज हमारी समस्यायें हैं, दिक्कतें हैं वे सिंचाई के पूरे साधन उपलब्ध कराने पर काफी मात्रा में रफा हो सकती है । दोस्तों, मैं जोरदार तरीके से अपगी मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसकी तायीद करता हूं और इसके साथ ही साथ मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि वे इस विभाग पर बड़ी सख्ती से निगाह रखें क्योंकि हमारे मंत्री जी बड़े सज्जन आदमी हैं । वे इंजीनियर्स की चाल-चपेट में न आवें और नौकरशाही की चाल में न आकर समाजवादी रास्ते पर प्रदेश को ले जाएं । जयहिन्द ।

श्री अध्यक्ष—

"जयहिन्द" और "दोस्तों" नहीं कहना चाहिये ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष जी, हमेशा से यह तरीका रहा है कि आपके लिये इस तरह से खिताब नहीं किया गया । तो "दोस्तो" और "जयहिन्द" का खिताब करना यहां पर कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो कह दिया । पहली दफा जो लोग बोलते हैं उनको बता दिया जाता है ।

*श्री बादाम सिंह (जिला बरेली)—

अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस विभाग में फैले भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । जिस क्षेत्रफल में आज सिंचाई होती है उसकी जांच ये पतरौल और अमीन नहीं करते हैं । खड़े-खड़े और बैठे हुए उसकी खानापूरी करते हैं । किसानों की जिस रकबे की आबपाशी ये दर्ज करते हैं उसके लिये कोई सूचना किसानों तक नहीं देते हैं जिससे उसकी आबपाशी गलत दर्ज होती है । तो इसके लिये यह व्यवस्था होनी चाहिये कि यदि उसकी आबपाशी गलत दर्ज हुई हो और यदि वह प्रार्थना-पत्र दे तो उसके लिये उचित प्रबन्ध करा दिया जाना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि शारदा कैनाल डिवीजन में जिस रकबे में अधिक से अधिक आबपाशी हुआ करती थी उसमें अब आधे रकबे में भी नहीं हो पा रही है और पानी की मात्रा नहरों में उतनी ही है जितनी कि पहले थी । नहरों में पानी सब तरफ फैला देने से आबपाशी उचित रूप से नहीं हो पा रही है । नहरों की खोदाई और सफाई भी अब नहीं हुआ करती है । पहले सरकार गूलों की खुदाई स्वयं करती थी परन्तु अब वर्षों से इनकी सफाई नहीं हो रही है जिससे आबपाशी होने में बड़ी कठिनाई हो रही है । पहले नहरों में पूरे वर्ष पानी चला करता था केवल सफाई या पुलिया बने के समय में ही पानी बन्द हुआ करता था किन्तु अब नहरों में एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बादाम सिंह]

महीने में एक-आध हफ्ते के लिये ही पानी आता है और किसानों को इन्तजार करना पड़ता है जिससे खेती को बड़ा नुकसान पहुंचता है। आजकल हमारे यहां नये-नये बीजों का अविष्कार किया गया है, जिसके लिये पानी की आवश्यकता होती है, खाद भी कई बार लगाना पड़ना है और सिंचाई की भी कई बार आवश्यकता होती है और उसके बाद टापड्रेसिंग में जो खाद लगाई जाती है, उसके लिए भी हर महीने मे पानी की अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन जब पानी नहीं मिल पाता है तो आबपाशी कैसे हो। गेहूं की फसल या अन्य फसलें किस प्रकार हों? इसी प्रकार गन्ने की आबपाशी है, उसके लिये भी कई पानी की जरूरत होती है, लेकिन वहां एक पानी भी नहीं मिल पाता है, जिससे गन्ने की फसल को बहुत बड़ी हानि पहुंचती है।

दूसरी बात यह है कि आबपाशी कई गुनी बढ़ा दी गई है, जिससे किसानों को देने में बड़ी कठिनाई है। इसके साथ इस समय गन्ने का मूल्य का भगतान कृषकों को नहीं कराया गया है और आबपाशी चार्ज की बराबर मांग की जा रही है। इन कारणों से किसानों को बड़ी कठिनाई है। नहरें जो हैं, वे जगह-जगह काट दी जाती हैं। जिससे आबपाशी नहीं हो पाती है और यह भी होता है कि एक हफ्ते पानी आया और नहर कट गई। जब नहर बन्द की जाती है, तो उसके बाद महीनों पानी ही नहीं आता है। इससे फसलों को बहुत बड़ा नुकसान है। अस्तु मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती श्यामा देवी (जिला बस्ती)—

आदरणीय अध्यक्ष, आपका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे इस सिंचाई की चर्चा पर भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मेरे कई माननीय विधायकों ने प्रवेश को कृषि प्रधान बताते हुए इसकी सिंचाई के बारे में बहुत सी चर्चाएं की हैं। मुझे सिंचाई विभाग की एक पुस्तिका देखने का मौका प्राप्त हुआ। मैंने उसकी डिस्ट्रिक्ट तालिका से अपनी बस्ती जनपद की उपेक्षा देखकर उचित समझा कि इस चर्चा में मैं भी अपने अपेक्षित बस्ती जनपद के बारे में कुछ आंकड़े दूं। उसके अनुसार बस्ती जनपद में कृषि योग्य भूमि 1,591.3 है और जिसकी सिंचित क्षमता 221 दिखाई गई है। उसकी बराबरी में यदि हम मेरठ को देखें तो वहां कृषि योग्य भूमि 1258.6 है और वहां की सिंचित क्षमता 906.1 है, यदि हम अपने पूर्वी जिलों में देखें तो सिर्फ देवरिया में कृषि योग्य भूमि 1196.9 और उसके विपरीत सिंचित क्षमता वहां की 548.3 दिखाई गई है। इससे यह लगता है कि हमारा बस्ती, जो इस प्रदेश का ही नहीं बल्कि देशका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, बहुत अपेक्षित रहा, इधर कभी किसी का ध्यान नहीं गया। मेरठ जिसकी सबसे अधिक सिंचाई क्षमता दिखाई गई है वहां बड़े-बड़े उद्योगधन्धे हैं, बहुत बड़े-बड़े कल कारखाने हैं। बस्ती जनपद में इस तरह का कोई कल कारखाना, कोई उद्योगधन्धा नहीं है। इतने बड़े जिले के लिये इस तरह का कार्यक्रम अभी तक रहा। यह बहुत दुख की बात है। मैं आपके मयध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री से अनुरोध करूंगा कि बस्ती की यह उपेक्षा कम करें और वहां अधिक से अधिक सुविधायें सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिये ट्यूबवैल और लगें। लेकिन जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी समाजवादी लाइन पर देश को ले जा रहे हैं और भूमि का बटवारा करने जा रहे हैं, सीलिंग की भूमि बटेगी, छोटे-छोटे काश्तकारों को दी जायेगी, तो मैं यह सुझाव दूंगी कि ये बड़ी-बड़ी योजनायें जो नहरों और ट्यूबवैल की हैं, ट्यूबवैल तो बस्ती को भी दिये जाएं, नहरों की कोई योजना नहीं है, गण्डक योजना अभी सुनाई गयी है, पता नहीं कब तक पूरी होगी तब बस्ती को सिंचाई का साधन मिलेगा, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे अपने इस बजट में बस्ती जनपद के लिए अधिक रहट, पर्श्यन व्हीहल, सिंचाई कूपों पर अनुदान देने की कृपा करें। बस्ती में बहुत बड़े-बड़े काश्ताकार हैं जो अपने ट्यूबवैल लगा लेते हैं। लेकिन छोटे-छोटे किसानों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये कोई प्राविधान नहीं है। अभी तक जो योजनाएं लघु सिंचाई योजना में थीं उनसे छोटे किसान कोई लाभ नहीं उठा सके। क्योंकि उनके पास इतनी अधिक जमीन नहीं थी कि जो भूमि विकास बैंक से कर्ज ले कर वह अपने लिए कोई सुविधा की योजना चला पाते। इसलिए यदि इस बजट में हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जीपर्यिंन व्हील और छोटे-छोटे कुओं पर धन देंगे तो हमारे प्रदेश के लिए बहुत लाभकर होगा। लेकिन हमारे बस्ती जिले के लिए अत्यन्त लाभकर होगा।

हमारे बस्ती जनपद में बहुत सी छोटी-छोटी नदियां हैं। मैं यह भी अनुरोध करूंगी आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से कि वे उन नदियों में वाटर लिफ्टिंग योजना को चालू करें जिससे सिंचाई का काम वहां तेजी से आगे बढ़े। आजमगढ़ जिले की दोहरीघाट पर नहर है। उसी तरह की नहर बड़हलगंज में बनायी जाय जिससे गोरखपुर और बस्ती के लिये सिंचाई की योजना चालू की जा सके।

हमारे बस्ती जिले में राप्ती एक बहुत बड़ी पहाड़ी नदी है। उस नदी के पानी, का कोई उपयोग नहीं है। वहां भी वाटर लिफ्टिंग योजना से या छोटी नहर योजना से पूरी फसल को सिंचित किया जा सकता है। बस्ती जिले में अभी तक जो ट्यूबवैल दिये गये हैं इस 1974–75 के वर्ष में लगाने के लिये वह सिर्फ 24 हैं, जब कि अन्य जिलों के लिये जो प्राविधान है और पिछले साल था उसको देखने से लगता है कि बस्ती की जानबूझ कर उपेक्षा की गयी है जो बहुत दुख की चर्चा है। और मैं आपके साथ सदन के भाइयों से अनुरोध करूंगी और बस्ती वासी विधायक भाई हैं उनसे कहूंगी कि वह बस्ती के लिये अपनी आवाज तेज करें और मांग को आगे बढ़ाएं। इन शब्दों के साथ मैं सिंचाई अनुदान का समर्थन करती हूं और विरोधी पक्ष ने जो एक रुपये का कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करती हूं। कोई हिसाब समझ में नहीं आता और एक रुपये में कोई भी योजना नहीं चल सकती है। यह उपहास के लिये और विरोध के लिये कटौती का प्रस्ताव रखा गया है। मेरा यह अनुरोध है कि इस अनुदान को स्वीकार किया जाय।

*श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री का ध्यान वाराणसी की तहसील ज्ञानपुर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं।

मान्यवर, 1952--74 तक ज्ञानपुर के साथ सिंचाई की दृष्टि से हमेशा उपेक्षा की गई है। कई बार मैंने मंत्रीजी से कहा तो उन्होंने कहा कि वाराणसी को तो सिंचाई में बड़ी सुविधा मिली है। ज्ञानपुर पहले काशी राज्य में था। स्टेट के उन्मूलन होने पर यह वाराणसी की तहसील बना। जो इर्रीगेशन के पिछले मिनिस्टर रहे उन्होंने केवल वाराणसी और चन्दौली को ही सजाया। कहा जाता है कि 72–73 की ट्यूबवैल की मांग थी। वह ऐसे ही पड़ी रही। चुनाव के दौरान में 5 / 6 ट्यूबवैल लगाये गये और बिना प्रोपोजल के लगे। 14 ट्यूबवैल पेंडिंग में पड़े रह गये। हमारे यहां की चीनी मिल को साढ़े तीन करोड़ से चीनी मिल बनाई गई। सिंचाई के अभाव में गन्ने का उत्पादन नहीं हुआ और डेढ़ करोड़ रुपये का घाटा मिल को हुआ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरजा शंकर पाठक]

मिर्जापुर जिले का जो घाट बना हुआ है उसमें पचौरा पर लिफ्ट बनाने की 1967 से योजना चल रही थी। उसका सर्वे भी हो गया है और सर्वे में 300 पेड़ काट दिये गये। लेकिन इसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। वह इस दृष्टि से बनाई गई थी कि चीनी मिल खुल रही है। लिफ्ट से पानी उठाकर सम्पूर्ण ज्ञानपुर की सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ है। जहां ट्यूबवेल हैं वहां आपरेटर से लेकर एस0ई0 तक की भ्रष्टाचार की दीवार बना दी है। मैंने कई पत्रक सिंचाई मंत्री जी को दिये हैं। उन्होंने कहा कि उचित कार्यवाही होगी। लेकिन शायद 5 साल के बाद होगी। वहां इंजीनियर्स पड़े हुए हैं। उनके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वह लोग रुपया लेकर इधर-उधर कर रहे हैं। अभी भी 88 लाख रुपया तीन फर्मों को दिया गया है। उनके नाम यह है कि दीपक औटो सर्विस, देवरिया, इंडिया औटोमोबाइल, लालबाग, लखनऊ, तथा इन्टरनेशनल पिस्टन रिंग कम्पनी, लालबाग, लखनऊ। मैंने मंत्री जी को लिखा था कि जो फार्म छापे जाते हैं। वह 13 हजार रुपये में वराणसी में छापे गये और फर्जी कोटेशन इंजीनियर ने 50 हजार रुपये का दाखिल कर दिया और 13 हजार रुपये में छपाया गया। आपसे मेरा निवेदन है कि आप उसकी जांच करावें। लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाये। जिलेदार से लेकर इंजीनियर तक जहां सर्वे होने चाहिये नहीं करते। जहां पर अव्वल ईंटा लगाने चाहिये वहां दोम लगाते हैं। नाली की तो बात ही नहीं है। मैंने कई बार इस ओर ध्यान दिलाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक चन्द्रिका प्रसाद हैं जो जौनपुर में रहते हैं और डेढ़ लाख की कीमत का मकान साली के नाम बनवाया है और उसे अब अपनी पत्नी कुन्ता देवी के नाम से दान में ले लिया है। रामनुज पाठक सहायक अभियन्ता हैं। इन्होंने वाराणसी में मकान खरीदा है। इनकी जांच की जाए तो पता चल जायेगा। राजेन्द्र कुमार त्यागी सहायक अभियन्ता है और श्री चन्द्र बाबू स्टोर कीपर है उन्होंने 10 हजार रुपये में जापान की हुड्डा मोटर साइकिल खरीदा है और 20 आपरेटर हैं जो मोटर साइकिल पर चलते हैं जिनकी तनख्वाह 150 रुपये है।

रात दिन चोरी हो रही है। रिग्स मशीन प्राइवेट फर्मों में मरम्मत होती है। वर्कशाप में कुछ नहीं होता है। 30 हजार की चोरी पकड़ी गयी थी वहां पर लेकिन कुछ नहीं हुआ। तमाम अखबार में छपा लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि पचौरा घाट की लिफ्ट योजना इसमें शामिल की जाए। यहां पर एक चीनी मिल है। अगर किसानों को पानी नहीं मिल पायेगा तो गन्ना का उत्पादन नहीं हो पायेगा और यह चीनी मिल बन्द हो जायेगी। इस चीनी मिल को बचाने के लिए और छोटे-छोटे किसानों को राहत देने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि पचौरा लिफ्ट प्रोजेक्ट को इस योजना में रखा जाए और जितने राम सुन्दर तिवारी, चन्द्रिका प्रसाद, रामानुज पाठक, राजेन्द्र कुमार त्यागी, चन्दा बाबू रूपकिशोर, आदि का स्थानान्तरण किया जाए जो इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उसकी जांच की जाए। यह देखा जाय कि आज से 10 वर्ष पहले क्या थे और आज क्या हैं। नलकूप विभाग के राजा राम सिंह मोहन प्रसाद लाल, शिव मूर्ति लाल, श्री श्रीराम ये 10 वर्ष से अड्डा जमाये हुए हैं इसकी इनक्वारी करायी जानी चाहिए। मैं कटौती का यह जो इन्होंने प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)—

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए और जो अनुदान की मांग को माननीय मंत्री जी ने पेश किया उसका समर्थन करने के लिये इस सदन में खड़ा हुआ हूं। जो बजट हमारे सामने आया है उसको आज अगर यह कहा जाय कि यह वास्तव—

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में पूर्णतया एक समाजवादी बजट है तो कोई अनुचित नहीं होगा। साथ ही साथ में अपने कुछ सुझाव इस विषय में देना चाहता हूं। मैं जिस तहसील फतेहाबाद से आता हूं उस फतेहाबाद में, जहां से मैं चुनकर आया हूं। वहां पर 4 पंचवर्षीय योजनाओं में आज तक एक पैसा नहीं लगाया गया, न कोई कार्य ही किया गया। यहां तक कि जो नहरें पुरानी हैं, उसकी जमीन भी इतनी ऊंची हो चुकी है कि पानी जितना पहले आता था उसकी जगह पर आज 25 प्रतिशत पानी आता है जिसके कारण इस साल सिंचाई भी सारे क्षेत्र में बहुत कम से कम हुई है और पैदा-वार भी बहुत कम हुई है। मेरा सुझाव है कि जो नहर फतेहाबाद क्षेत्र को जाती है उस नहरों की खुदाई कराई जाय, सफाई कराई जाय जिससे कि उस क्षेत्र में पानी जा सके।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि आगरा को जब जमुना नदी जाती है उसके बाद उसके जल का कोई भी सदुपयोग नहीं है, सिर्फ जाकर जमुना जल इलाहाबाद में गंगा में मिल जाता है जब कि आगरा से जाने के बाद कई झरने पड़ते हैं जिनके पानी का सदुपयोग हो सकता है और यदि फतेहाबाद में एक डैम बना दिया जाय तो उससे आगरा शहर की पानी की समस्या हल हो सकती है और उस क्षेत्र के लिए नहर भी निकल सकती है। उसी बांध पर एक पुल भी बन सकता है जिससे कि फतेहाबाद और फिरोजाबाद से जो 80 कि0 मीटर पड़ता है वह सिर्फ 14 कि0 मीटर रह जाता है। फतेहाबाद पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वह डकैतों का क्षेत्र है। अगर वहां पर यह डैम और पुल बना दिया जाय तो निश्चित रूप से वहां की ये समस्याएं हल हो जाता है और ये समस्याएं जब हल हो जाती हैं तो बेकारी भी दूर हो जायेगी और उस क्षेत्र में नई-नई इन्डस्ट्रीज भी खुल जायेंगी जिसकी वजह से बेकारी दूर हो जायेगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शायद इस क्षेत्र से 20 साल के बाद कांग्रेस जीत कर आयी है। इससे पहले कांग्रेस बराबर इस क्षेत्र से हारती रही है। इस साल जनता ने अपने मन में यह विश्वास लाया कि कांग्रेस का जो शासन है वह सबसे अच्छा शासन है और उसी के हाथ में शासन सौंपा जाय। वह मजदूर है उसके हाथ में यदि शासन आता है तो पिछड़े हुए क्षेत्र की निश्चित ही रूप में तरक्की होगी। इन शब्दों के साथ में प्रस्तावित बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे फतेहाबाद के बारे में उचित ध्यान देंगे।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

नियम 51 के अन्तर्गत आज 9 सूचनाएं मिली थीं। इनमें एक माननीय त्रिवेणी सहाय, माननीय ओम प्रकाश सिंह और माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी की है। इसे अस्वीकार कर दिया गया है।

दूसरी माननीय दल सिंह यादव की शाहजहांपुर में बिगड़ती अपराध स्थिति के बारे में है। इसमें आप प्रश्न पूछ लें, अल्पसूचित प्रश्न कर लें ?

तीसरी माननीय बाबूलाल शर्मा की है पाठ्य-पुस्तकों के बारे में। इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। इसे भी अस्वीकृत कर दिया गया है।

चौथी माननीय राम रेखा यादव की एक ओवरसियर की धांधली के बारे में सवाल है। उनका कहना है कि उन्होंने 30 हजार की मछली बेचकर पैसे स्वयं रख लिये हैं। यह महत्व-

[श्री अध्यक्ष]

पूर्ण है, इसको आवश्यक कार्यवाही के लिये सरकार को भेज रहा हूं जिससे वे इस ओवरसियर के काम को देखें और जांच करा लें ।

पांचवीं माननीय हरिकेवल प्रसाद आदि की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पी0ए0सी0 के सिपाहियों के मुकदमें विचाराधीन हैं और कहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाय। नियम 51 में स्पष्टीकरण की मांग नहीं की जाती है । इस प्रकार का नियम में कोई प्राविधान नहीं है । फिर आज ही इस प्रश्न पर उत्तर आ चुका है सदन में, इसे आप पढ़ लें । इसलिये इसे अस्वीकार किया है ।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, श्री राम कैलाश भदौरिया जेल में बन्द है । उसकी 85 वर्ष की बुढ़िया मां को उनसे मिलने नहीं दिया गया । उसके भाई जो रोडवेज में थे उन्हें जेल में बन्द कर दिया गया . . . .

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें ?

श्री हरिकेवल--

श्रीमन्, उसकी बुढ़िया मां को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि ये बार-बार अकारण ही क्यों खड़े होते हैं?

आपने जो मुझे लिखकर दिया है, उसके बारे में आज ही सदन में प्रश्न था ।

श्री हरिकेवल--

श्रीमन्, वह मेरा प्रश्न नहीं था ।

श्री अध्यक्ष--

यह जरूरी नहीं है कि आपका ही हो । किसी और का भी हो सकता है । [उस पर सरकार ने अपना दृष्टिकोण बता दिया है। सदन में 425 सदस्य हैं । इनमें से किसी का भी आ सकता है ।

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

जो कुछ माननीय सदस्य बोल रहे हैं, वह कुछ नहीं लिखा जायगा ।

अब एक माननीय ओम प्रकाश का कागज व्यापारियों के सम्बन्ध में है । इस पर भी बहस हो चुकी है ।

सातवीं सूचना माननीय उदल सिंह, मोहम्मद असरार अहमद और विक्रम सिंह की है । यह भी अस्वीकार कर दी गयी है ।

[× × ×] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

एक माननीय काशी नाथ मिश्र की है। इसको भी अस्वीकार कर दिया है।

एक सूचना माननीय गिरिजा शंकर पाठक और राम रति विन्द की है। इसके बारे में आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

अब हम उठते हैं और कल सवेरे 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
4 जुलाई, 1974।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी "क"

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर पीछे पृष्ठ 7/8 पर)

खराब पाये गये आटे का विवरण

क्रम-संख्या	नाम दुकानदार		उपलब्ध आटे का स्टाफ कु० किग्रा० ग्रा०	आटे की मात्रा जिसमें कीड़े पाये गये
1	वहीदुल हसन	..	9—99—000	1 बोरा
2	रामौतार	..	3—94—000	1 बोरा
3	राजाराम गुप्ता	..	8—78—000	3 बोरा
4	लाल बिहारी गुप्ता	..	4—30—000	1 बोरा
5	श्रीमती केतकी देवी	..	5—22—000	1 बोरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 793 पर)

हाइडिल मिनिस्ट्रीयल—एसोसियेशन द्वारा उठाई गई अन्य मांगों पर अलग-अलग की गयी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण

मांगें	स्थिति
1—राज्य विद्युत् परिषद् के पुर्नसंगठन की मांग ।	राज्य विद्युत् परिषद् ने इन मांगों पर विचार किया और जिन मांगों को उपयुक्त पाया गया उन पर उचित कार्यवाही की गई ।
2—राज्य विद्युत् परिषद् में लिपिक एवं लेखा वर्गीय जो कर्मचारी डेपुटेशन पर आये हैं उनको वापस कर परिषद् के कर्मचारियों को प्रोन्नति दी जाए ।	यह सिद्धान्तः मान लिया गया है कि परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर कम से कम कर्मचारियों को लिया जाय । परन्तु उपयुक्त एवं दक्ष कर्मचारियों को बाहर से आवश्यकता पड़ने पर लिया जाए ।
3—केसा और लेसू की तरह सभी कर्मचारियों को मुफ्त बिजली दी जाए ।	परिषद् ने यह मांग अस्वीकार कर दी है किन्तु कुछ श्रेणी क कर्मचारियों को निःशुल्क विद्युत दिये जाने के आदेश जारी कर दिये हैं ।
4—नगर प्रतिकर भत्ता के बकायों को दिया जाय ।	कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ते की अदायगी के आदेश पारित कर दिये गये हैं ।
4क—वर्क-चार्ज कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी कर दिया जाये ।	परिषद् ने लगभग 23 हजार वर्क-चार्ज कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश कर दिये हैं ।
5—परिषद् के कर्मचारियों की भर्ती एवं प्रोन्नति के लिये एक सेवा आयोग का सृजन किया जाए ।	यह विषय परिषद् के विचाराधीन है ।
6—परिषद् के कर्मचारियों की मांगों को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिये एक मशीनरी बनाई जाए ।	कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु परिषद् ने 3 स्तरीय ग्रीवान्स-कम-कन्सलटेटिव मशीनरी का सृजन कर दिया है ।
7—वेज बोर्ड एवार्ड के अनुसार अनुग्रह एक्सग्रेशिया /भुगतान की अदायगी की जाए ।	मांग अस्वीकार कर दी गई ।
8—जब तक आवास की सुविधा नहीं होती उस समय तक सब कर्मचारियों को 10 प्रतिशत के हिसाब से मकान का भत्ता दिया जाय ।	उपलब्ध मांग को उचित नहीं पाया गया ।
9—यदि किसी इकाई के अधिकारी को विशेष वेतन दिया जाता है तो उसक कर्मचारी ने अधीन कर्मचारिवर्ग को भी विशेष वेतन दिया जाए ।	यह मांग स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 790 पर)

जिला देवरिया के थाना लार व सलेमपुर के अन्तर्गत दिनांक 1-7-73 से 30-4-74 तक के बीच हुए अपराधों का विवरण

थाने का नाम तथा अपराध	जिनकी रिपोर्ट की गई	जिनमें जांच की गई	मामले की संख्या जो चालान किए गए	जो लापता रहे (अंतिम रिपोर्ट लगी)	जिसमें जांच अभी जारी है
थाना लार					
1—डकैती	2	2	1	1	..
2—चोरी	50	47	11	30	6
3—हत्या	2	2	2	..	..
4—बलवा	23	22	13	7	2
5—बैल खोलाई	12	12	2	7	3
6—राहजनी	4	4	2	2	..
थाना सलेमपुर					
1—डकैती	3	3	1	..	2
2—चोरी	39	38	6	30	2
3—हत्या	8	8	5	2	1
4—बलवा	3	3	1	1	1
5—बैल खोलाई	4	4	1	3	..
6—राहजनी	3	3	1	2	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिये पीछे पृष्ठ 798 पर)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974

(जैसा उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को उत्तर प्रदेश में लागू होने के सम्बन्ध में संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:— संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) यह दिनांक 1 अप्रैल, 1974 से प्रवृत्त समझा जायगा।

2—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, जिसे आगे उक्त संहिता कहा गया है, की धारा 2 में खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय:— 1974 के अधिनियम संख्या 2 की धारा 2 का संशोधन

"(घ) 'पलिस थाना' से—

(क) कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है, जिसको राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा, पलिस थाना होना साधारणतया या विशेषतया घोषित किया गया हो, और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार या पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है; या

(ख) कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसको राज्य सरकार द्वारा किसी वर्ग के अथवा किन्हीं वर्गों के मामले के निमित्त किसी स्थानीय क्षेत्र के लिये पुलिस थाना होना साधारणतया या विशेषतया घोषित किया गया हो;"

3—उक्त संहिता की धारा 3 में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:— धारा 3 का संशोधन

"(4) जहां कि इस संहिता से भिन्न, किसी विधि के अधीन, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोक्तव्य कोई कृत्य ऐसे विषयों के सम्बन्ध में हो—

(क) जिनमें साक्ष्य का अभिमल्यन या उसकी छानबीन अथवा किसी ऐसे विनिश्चय का किया जाना जो किसी व्यक्ति को किसी दण्ड या शास्ति की या अन्वेषण, जांच या विचारण के लम्बित रहने के दौरान अभिरक्षा में निरोध की आशंका में डाले या जिसका प्रभाव यह हो कि वह किसी न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेज दिया जायेगा, अंतर्वलित हो वहां वे, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोक्तव्य होंगे या

(ख) जो प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकार के हों, जैसे कि अनुज्ञप्ति देना, व्यक्ति या सम्पत्ति की परख, शिनाख्त कार्यवाहियों

का संचालन करना, मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करना, शपथ-पत्र पर शपथ लेने या प्रतिज्ञा न करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाना, कोई अनुज्ञप्ति निलम्बित या रद्द करना, अभियोजन की स्वीकृति देना या अभियोजन प्रत्याहृत करना वे यथा पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोक्तव्य होंगे ।"

धारा 8 का संशोधन

4—उक्त संहिता की धारा 8 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकेगी कि उस तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, राज्य में कोई क्षेत्र जिसमें कोई ऐसा नगर या टाउन समाविष्ट हो जिसकी जनसंख्या पांच लाख से अधिक हो, इस संहिता के प्रयोजनों के लिये मैट्रोपोलिटन क्षेत्र होगा ।"

(ख) उपधारा (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें, अर्थात्:—

"(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी मैट्रोपोलिटन क्षेत्र की सीमा का विस्तार, उसमें कमी या परिवर्तन कर सकेगी किन्तु कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जायगा जिससे कि उस क्षेत्र की जनसंख्या पांच लाख से कम हो जाय ।

(4) जहां कि किसी क्षेत्र को मैट्रोपोलिटन क्षेत्र घोषित किए जाने अथवा घोषित किये जाने समझे जाने के पश्चात् उस क्षेत्र की जनसंख्या पांच लाख से कम हो जाय, वहां ऐसा क्षेत्र उस तारीख से ही जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, मैट्रोपोलिटन क्षेत्र नहीं रह जायगा, किन्तु ऐसी समाप्ति के होते हुए भी ऐसे क्षेत्र में किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी समाप्ति के ठीक पूर्व लम्बित कोई जांच, विचारण या अपील के सम्बन्ध में इस संहिता के अधीन इस प्रकार कार्यवाही की जाती रहेगी मानों ऐसी समाप्ति न हुई हो ।"

धारा 13 का संशोधन

5—उक्त संहिता की धारा 13 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) उच्च न्यायालय, यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार, द्वारा ऐसा करने के लिए अनरोध किया जाय, किसी भी स्थानीय क्षेत्र में जो मैट्रोपोलिटन क्षेत्र न हो, विशिष्ट मामलों के, या मामलों के विशिष्ट वर्गों के या साधारणतः मामलों के बारे में वे सभी शक्तियां या उनमें से कोई जो इस संहिता द्वारा या इसके अधीन प्रथम या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त या प्रदेय है, किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान कर सकेगा जो सरकार के अधीन कोई पद धारण किए हुए है या धारण कर चुका है परन्तु ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति को तब तक प्रदत्त न की जायगी जब तक कि विधिक कार्यकलापों के सम्बन्ध में वह ऐसी अर्हता या ऐसा अनुभव न रखता हो जो उच्च न्यायालय नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।"

6—उक्त संहिता की धारा 18 में, उपधारा (3) निकाल दी जाय। धारा 18 का संशोधन

7—उक्त संहिता की धारा 20 में, उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात:— धारा 20 का संशोधन

"(6) राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन की अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकेगी।"

8—उक्त संहिता की धारा 24 में,— धारा 24 का संशोधन

(क) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(5) कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप म नियुक्त किये जाने के लिये तभी पात्र होगा जब वह कम से कम सात वर्ष या से अधिवक्ता या प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय कर रहा हो।

(6) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग के लिए किसी अधिवक्ता या प्लीडर को, जो कम से कम दस वर्ष से विधि व्यवसाय कर रहा हो, अथवा धारा 25 के अधीन नियुक्त किसी सहायक लोक अभियोजक को विशेष लौक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकेगी।"

(ख) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात:—

"(7) जहां किसी विशिष्ट मामलों के प्रयोजनों के लिये कोई लोक अभियोजक अथवा अपर लोक अभियोजक उपलब्ध न हो, तो जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामश से, किसी एसे अधिवक्ता अथवा लीडर को जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसाय कर रहा हो, उस मामले का प्रभारी लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगा।"

9—उक्त संहिता की धारा 25 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्— धारा 25 का संशोधन

"(4) धारा 24 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई लोक अभियोजक, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए जाने पर, मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में भी अभियोजन संचालित कर सकेगा।"

10—उक्त संहिता की धारा 107 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय:— धारा 107 का संशोधन

"जब किसी कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिले कि यह संभाव्य है कि कोई व्यक्ति प्रशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे अभिसंभाव्यत: प्रशांति भंग हो जायेगी या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो जायेगी और उसकी यह राय हो कि कार्यवाही करने के लिए पयाप्त आधार है, तो वह ऐसे व्यक्ति से एतदपश्चात् उपबन्धित रीति से अपेक्षा कर सकेगा कि

वह हेतुक दर्शित करे कि वह एक वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिए जो मजिस्ट्रेट ठीक समझे, प्रशांति कायम रखने के लिए बन्ध-पत्र, प्रतिभूओं सहित, या रहित, निष्पादित करने के लिए क्यों न आदिष्ट किया जाय ।'

नई धारा 199—क का बढ़ाया जाना

11—उक्त संहिता के अध्याय 14 में, धारा 199 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

धारा 197 तथा 199 के कतिपय उपबन्धों का, लोक सेवकों के सम्बन्ध में, जब वे प्रतिनियुक्ति पर हों, निस्तारण

"199—क—धारा 197 तथा धारा 199 की उपधारा (2) तथा (4) के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार का कोई अधिकारी जो किसी स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, सरकारी कम्पनी अथवा अन्य ऐसे निगम या निकाय में जो पूर्णतः या अंशतः राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हो, प्रतिनियुक्ति पर सेवा कर रहा हो अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी उद्योग या शैक्षिक संस्था के प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में कार्य कर रहा हो, उस समय, जब वह इस रूप में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा हो अथवा उसका कार्य करना तात्पर्यित हो, राज्य के कार्य कलापों के सम्बन्ध में लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियोजित समझा जायगा ।"

धारा 206 का संशोधन

12—उक्त संहिता की धारा 206 में,—

(क) उपधारा (1) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय, अर्थात्—

"परन्तु ऐसे समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम पांच सौ रुपये से अधिक न होगी ।'

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, मामूली अपराध (पेटी आफेन्स) से भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित धाराओं अर्थात् धारा 160, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 185, 187, 188, 202, 279, 291, 294, 309, 323, 334, 336, 337, 352, और 358 में से किसी धारा के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अथवा एक एक हजार रुपये से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय कोई अपराध अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 के अधीन अथवा किसी ऐसी अन्य विधि के अधीन, जिसमें दोष के अभिवाक पर अभियुक्त व्यक्ति को उसकी अनुपस्थिति में दोष सिद्ध करने की व्यवस्था हो इस प्रकार दण्डनीय कोई अपराध नहीं है ।"

धारा 276 का संशोधन

13—उक्त संहिता की धारा 276 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(2) ऐसा साक्ष्य सामान्यतः वृत्तांत रूप में लिखा जायगा, किन्तु पीठासीन न्यायाधीश स्वविवेकानुसार, ऐसे साक्ष्य के किसी भाग को प्रश्नोत्तर के रूप में लिख सकेगा अथवा लिखवा सकेगा ।

14—उक्त संहिता की धारा 432 में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :— धारा 432 का संशोधन

"(4) वह शर्त, जिस पर दण्डादेश का निलम्बन या परिहार इस धारा के अधीन किया जाता है, उस व्यक्ति द्वारा, जिसके पक्ष में दण्डादेश का निलम्बन या परिहार किया जाता है, पूरी की जाने वाली हो सकेगी या ऐसी हो सकेगी जो उसकी इच्छा के अधीन न हो और इसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति द्वारा (ऐसे प्ररूप में जैसा सरकार विहित करे) प्रतिभूओं सहित या रहित किसी बन्ध-पत्र का निष्पादन भी आ सकेगा।"

15—उक्त संहिता की धारा 446 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:— धारा 446 का संशोधन

"(3-क) जहां कि धारा 432 की उपधारा (4) के अधीन निष्पादित बन्ध-पत्र के सम्बन्ध में, ऐसे न्यायालय या अन्य प्राधिकारी का जिसे इस निमित्त बन्ध-पत्र में विनिर्दिष्ट किया जाय, यह समाधान हो जाय कि बन्ध-पत्र को समपहृत किया गया है, तो न्यायालय या प्राधिकारी समाधान के आधारों को अभिलिखित करेगा, और ऐसे बन्ध-पत्र द्वारा आबद्ध किसी व्यक्ति से उसकी शास्ति का संदाय करने की अथवा यह कारण बताने की कि शास्ति का संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए, अपेक्षा कर सकेगा। यदि पर्याप्त कारण न बताया जाय और शास्ति का संदाय न किया जाय तो उक्त न्यायालय या प्राधिकारी वसूल की जाने वाली रकम तथा उस व्यक्ति को जिससे वह वसूल की जायगी, विनिर्दिष्ट करते हुए, कलेक्टर को प्रमाण-पत्र भेजेंगे, और ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर उसे वसूल करने की ऐसे कार्यवाही करेगा मानो वह रकम राजस्व का बकाया हो।"

16—उक्त संहिता की धारा 484 में, उपधारा (2) के खण्ड (क) में, वर्तमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:— धारा 484 का संशोधन

"परन्तु यह और कि इस संहिता के प्रारम्भ होने के समय उन न्यायालयों, जिनमें पुरानी संहिता के अधीन प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेटों के रूप में सशक्त अधिकारी जो इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो गये हैं, पीठासीन अधिकारी थे, में लम्बित मामलों का विचारण और निपटारा, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा पारित किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों द्वारा किया जाता रहेगा जो पुरानी संहिता के उपबन्धों के अनुसार प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का ऐसे प्रयोग करते रहेंगे मानों यह संहिता प्रवृत्त में हुई हो।

उद्देश्य और कारण

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी थाने की सीमा नियत करने की शक्ति राज्य सरकार को है। यह प्रस्थापना है कि यह शक्ति पुलिस महानिरीक्षक को प्रत्यायोजित की जाय जो राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन रहते हुए इसका प्रयोग करेगा। इससे ऐसी प्रस्थापनाओं को अन्तिम रूप देने में बिलम्ब नहीं होगा। इसी प्रकार यह व्यवस्था करने की प्रस्थापना है कि राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को, अपने अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को परगना मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करने की, अपनी शक्ति प्रत्यायोजित कर सके।

नई संहिता में यह व्यवस्था है कि कोई क्षेत्र जिसमें कोई ऐसा नगर या टाउन, जिसकी जन-संख्या दस लाख से अधिक है, समाविष्ट हो, मैट्रोपोलिटन क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। बड़े नगरों में अपराध की समस्या का और प्रभावशाली ढंग से सामना करने के लिए यह समीचीन समझा जाय कि सरकार को ऐसे क्षेत्र को जिसमें 5 लाख से अधिक जन-संख्या वाले नगर समाविष्ट हों, "मैट्रोपोलिटन क्षेत्र" घोषित करने की शक्ति होनी चाहिए।

नई संहिता ऐसे व्यक्तियों की, जो सरकार के अधीन कोई पद धारण किये हुए हों या धारण कर चुके हों, द्वितीय वर्ग के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति का अधिकार देती है। ऐसा विचार है कि शायद अपेक्षित योग्यता तथा अनुभव के व्यक्ति वांछित संख्या में द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने के इच्छुक न हों, तदनुसार, ऐसा समर्थकारी उपबन्ध करने की प्रस्थापना है जिससे कि प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट की शक्तियां विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी प्रदत्त की जा सकें।

संहिता की धारा 24 में यह व्यवस्था है कि लोक अभियोजक कम से कम सात वर्ष की अवस्थिति वाले अधिवक्ता होने चाहिए। यह बढ़ाने की प्रस्थापना है कि प्लीडर के रूप में सात वर्ष का अनुभव लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजकों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पर्याप्त अर्हता होगी। यह भी व्यवस्था करने की प्रस्थापना है कि सेशन न्यायालयों के लिए धारा 24 के अधीन नियुक्त लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक, मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में भी अभियोजन संचालित कर सकेंगे। इसी प्रकार एक समर्थकारी उपबन्ध किया जा रहा है ताकि धारा 25 के अधीन नियुक्त कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशेष मामले में सेशन न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक के रूप में, कार्य कर सके।

नई संहिता में धारा 107 के अधीन किसी व्यक्ति को बन्ध-पत्रित करते समय प्रतिभूति लेने की व्यवस्था नहीं है। प्रस्थापना यह है कि इस कमी को दूर कर दिया जाय।

धारा 197 तथा 199 (2) तथा (4) में स्थानीय प्राधिकारियों तथा अन्य निकायों में प्रतिनियुक्ति पर सेवारत राज्य सरकार के अधिकारियों के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। यह प्रस्थापना है कि इस निमित्त एक नई धारा 190—क बढ़ाकर आवश्यक उपबन्ध किया जाय।

इस संहिता की धारा 206 में व्यवस्था है कि किसी दोषी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने की अपेक्षा किये बिना मामूली अपराधों का शीघ्रतया विचारण किया जा सकता है। यह प्रस्थापना है कि इस लाभप्रद उपबन्ध का विस्तार और अधिक अपराधों पर किया जाय।

यह भी प्रस्थापना है कि ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिनके दण्डादेश का निलम्बन या परिहार सदाचार की शर्त पर किया जाय, धारा 432 की कमी को दूर किया जाय। प्रस्थापित उपबन्ध से ऐसे व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले बन्ध-पत्र को, शर्तों का उल्लंघन किए जाने की दशा में समपहृत किया जा सकेगा।

कतिपय अन्य संशोधन (जो धारा 3 तथा 488 में किये जाने हैं) केवल नई संहिता की भाषा से उत्पन्न होने वाले कतिपय शंकास्पद बातों को स्पष्ट करने के लिये हैं।

तदनुसार, दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पुरः-स्थापित किया जाता है।

हेमवती नन्दन बहुगुणा

मुख्य मन्त्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिये पीछे पृष्ठ 798 पर)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1974

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई०, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 और यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

अध्याय 2

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1951 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, उपधारा (1) में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे आस्थान या उसके भाग के सम्बन्ध में जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हो, इस उपधारा के अधीन कोई विज्ञप्ति ऐसी सरकार के परामर्श के बिना जारी नहीं की जायगी ।"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में—

(1) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(4) 'कलेक्टर' का तात्पर्य यू० पी० लैन्ड रेन्यू ऐक्ट, 1901 के उपबन्धों के अधीन कलेक्टर के रूप में नियुक्त अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत प्रथम श्रेणी का ऐसा असिस्टेन्ट कलेक्टर भी है जिसे राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त कलेक्टर के सभी या किसी कार्य के सम्पादन का अधिकार किया हो,"

(2) उपधारा (27) में, शब्द "कलेक्टर", जहां वह पहली बार आया हो, निकाल दिया जाय ।

धारा 123 का संशोधन

4---मूल अधिनियम की धारा 123 को पुनः संख्यांकित करके उसकी धारा उपधारा (1) कर दी जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्---

"(2) यदि धारा 122-ग की उपधारा (3) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति ने किसी खातेदार द्वारा (जो सरकारी पट्टेदार न हो) धृत किसी भूमि पर गृह निर्माण किया हो, और ऐसा गृह 15 मार्च, 1974 को विद्यमान हो तो ऐसे गृह के स्थल का, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बन्दोबस्त खातेदार द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और खातों पर, जो नियत की जायं, ऐसे गृह के स्वामी के साथ किया गया समझा जायगा ।

स्पष्टीकरण---उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ, किसी खातेदार द्वारा धृत किसी भूमि पर 15 मार्च, 1974 को विद्यमान किसी गृह को, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, उसके अध्यासी द्वारा, और यदि अध्यासी एक ही परिवार के सदस्य हों तो उस परिवार के मुखिया द्वारा निर्मित किया गया मान लिया जायगा ।"

धारा 154 का प्रतिस्थापन

5---मूल अधिनियम की धारा 154 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्---

"154---(1) उपधारा (2) में की गई व्यवस्था के सिवाय किसी भी भूमिधर को जाय के बगान से भिन्न कोई भूमि किसी व्यक्ति को विक्रय या दान द्वारा संक्रमित करने का अधिकार न होगा, यदि संक्रामिती उक्त विक्रय या दान के परिणामस्वरूप प्राप्त तथा अपने परिवार द्वारा धृत भूमि को, यदि कोई हो, मिलाकर उत्तर प्रदेश में 5.04 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक भूमि का हकदार हो जाय ।

(2) भौमिक अधिकारों से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार उपधारा (1) में नियत सीमा से अधिक संक्रमण को प्राधिकृत कर सकती है, यदि उसकी यह राय हो कि ऐसा संक्रमण किसी रजिस्टर्ड सहकारी समिति अथवा दानोत्तर प्रयोजन के लिये स्थापित किसी ऐसी संस्था जिसके पास अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है, के पक्ष में है, अथवा संक्रमण जन-साधारण के हित में है ।

स्पष्टीकरण---इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद "परिवार" का तात्पर्य संक्रमिती, उसकी पत्नी या उसका पति (जैसी भी दशा हो) और उसके अवयस्क बच्चे होंगे, और यदि संक्रमिती अवयस्क हो तो उसके माता-पिता भी होंगे ।"

धारा 156 का संशोधन

6---मूल अधिनियम की धारा 156 में, उपधारा (2) में, उसका स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय ।

धारा 157-क का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 157-क में—

(1) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "अनुसूचित आदिम जातियों" के स्थान पर शब्द "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों" रख दिये जायें;

(2) उपधारा (1) में, जहां कहीं भी शब्द "अनुसूचित आदिम जाति" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति" रख दिये जायं;

(3) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का कोई भूमिधर, सीरदार या आसामी किसी जोत में अपने स्वत्व को (उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 में यथापरिभाषित) कृषि प्रयोजनों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकार से तकावी के रूप में, या किसी सहकारी भूमि विकास बैंक से, या स्टेट बैंक आफ इंडिया से, या किसी अन्य ऐसे बैंक से जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, 1934 की धारा 2 के खण्ड (ई) के अर्थान्तर्गत शेड्यूल्ड बैंक हों, या यू० पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड से, लिए गए ऋण के लिए प्रतिभूत के रूप में कब्जा रहित बन्धक द्वारा बिना ऐसी स्वीकृति के संक्रमित कर सकता है।"

(4) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाय, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—इस अध्याय में, पद 'अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों का क्रमशः तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अधीन उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से है।"

धारा 169 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 169 में, उपधारा (2-क) में, शब्द "अनुसूचित आदिम जाति" के स्थान पर शब्द "अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति" रख दिये जायें।

धारा 198 का प्रतिस्थापन

9—मूल अधिनियम की धारा 198 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

धारा 195 और 197 के अधीन व्यक्तियों को भूमि उठाने में अधिमानक्रम

"198—(1) धारा 195 या धारा 197 के अधीन सीरदार अथवा असामी के रूप में व्यक्तियों को भूमि उठाने में (जिसे आगे या इस धारा में "भूमि का प्रादेशन" कहा गया है) भूमि प्रबन्धक समिति, धारा 178 के अधीन न्यायालय द्वारा दिए गए किसी आदेश के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित अधिमान-क्रम का अनुसरण करेगी:—

(क) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश या किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त तथा कृषि, औद्यानिकी अथवा पशुपालन में शिक्षा देने या इनमें अनुसंधान की व्यवस्था करने वाली कोई शिक्षा संस्था,

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसकी संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए शत्रु की कार्यवाही से मृत्यु हुई हो, मंडल में निवास करने वाली भूमिहीन विधवा, पुत्र, अविवाहित पुत्रियां तथा माता-पिता,

(ग) मण्डल में निवास करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो शत्रु की कार्यवाही से उस समय पूर्णतः विकलांग हो गया हो जब सह संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में था,

(घ) मण्डल में निवास करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो भूमि अर्जन से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन अपनी भूमि अनिवार्यतः अर्जित किये जाने के परिणामस्वरूप निहित दिनांक को या उसके पश्चात् भूमिहीन हो गया हो,

(ङ) खण्ड (ग) में अभिदिष्ट व्यक्ति से भिन्न मण्डल में निवास करने वाला कोई ऐसा भूमिहीन व्यक्ति—

(1) जो खेतिहर मजदूर हो और जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का हो,

(2) जो संघ के सशस्त्र बल में किसी अधिकारी के रूप में सेवा से भिन्न सेवा से निवृत्त, विमुक्त अथवा उन्मुक्त हो,

(3) जो स्वतन्त्रता सेनानी हो और जिसे राजनीतिक पेंशन स्वीकृत न की गयी हो,

(च) मण्डल में निवास करने वाला कोई अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूर,

(छ) मण्डल में निवास करने वाला और जिसके पास 1.26 हेक्टर (3.125 एकड़) से कम भूमि हो, कोई भूमिधर, सीरदार या असामी,

(ज) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का कोई ऐसा अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जो मण्डल में निवास न करता हो किन्तु यू0 पी0 पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा 42 में अभिदिष्ट न्याय चायत सर्किल में निवास करता हो,

(झ) कोई अन्य व्यक्ति ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ—

(1) 'भूमिहीन' का अभिदेश किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास अथवा जिसके पति या जिसकी पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों के पास भूमिधर, सीरदार, या असामी के रूप में कोई भूमि न हो, और खण्ड (घ) के सिवाय, प्रदेशन के दिनांक के ठीक र्व दो वर्ष की अवधि में भी इस रूप में कोई भूमि न रही हो, और

(2) 'खेतिहर मजदूर' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य साधन खेती सम्बन्धी मजदूरी हो ।

(3) 'स्वतन्त्रता सेनानी' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे निवासी से है जिसके सम्बन्ध में कलेक्टर यह प्रमाणित करे कि उसने 1930 से

1947 की अवधि में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया है और उसके इस प्रकार भाग लेने के सम्बन्ध में इसी प्रकार का यह प्रमाण-पत्र है कि—

(क) उसने कम से कम दो माह की अवधि के लिए कारावास का दण्ड भोगा है, या

(ख) वह निवारक निरोध के अन्तर्गत अथवा विचाराधीन व्यक्ति के रूप में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये जेल में रहा है, या

(ग) उसे कोड़ा लगाने के दण्डादेश का निष्पादन करने में बस बेंत लगाये गये हों, या

(घ) उसे फरार अपराधी घोषित किया गया हो, या

(ङ) वह गोली (बुलेट) की चोट से घायल हुआ है,

और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो पेशावर-कांड से सम्बद्ध था अथवा जो इंडियन नेशनल आर्मी या पूर्ववर्ती इंडियन इंडिपेन्डेंस लीग का अभिज्ञात सदस्य था, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे इस प्रकार भाग लेने पर क्षमा याचना अथवा खेद व्यक्त करने के कारण क्षमा कर दिया गया हो ।

(2) यदि उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को प्रदिष्ट करने के लिए उपलब्ध भूमि 2 हेक्टर (4.94210 एकड़) से कम न हो और उक्त खण्ड के एक से अधिक उपखण्ड के अन्तर्गत आने वाले आवेदक उपलब्ध हों तो उक्त खण्ड के उपखण्ड (1), (2) तथा (3) के आवेदकों के लिए अलग-अलग सूची (जिसे आगे क्रमशः सूची एक, सूची दो और सूची तीन कहा गया है) तैयार की जायगी और सूची एक से दो व्यक्ति, सूची दो से एक व्यक्ति और सूची तीन से एक व्यक्ति के पक्ष में प्रदर्शन किया जायगा, और यह प्रक्रिया तब तक की जाती रहेगी जब तक कि उपलब्ध भूमि निःशेष न हो जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि सूची दो या सूची तीन में एक से अधिक व्यक्ति के नाम हों, अथवा सूची एक में दो से अधिक व्यक्तियों के नाम हों तो ऐसे व्यक्ति जिनके पक्ष में प्रत्येक क्रमिक अवसर पर ऐसा प्रदेशन किया जाना हो, पर्ची डाल कर चुने जायेंगे ।

(3) उस भूमि, जो—

(1) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किसी शिक्षा संस्था को प्रदिष्ट की जा सकेगी, का क्षेत्रफल प्रदेशन के ठीक पूर्व संस्था द्वारा धृत क्षेत्रफल को मिलाकर 5.04 हेक्टर (12.50 एकड़) से,

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख), खण्ड (ग) खण्ड (घ), खण्ड (ङ), खण्ड (च), खण्ड (ज) अथवा खण्ड (झ) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदिष्ट की जा सकेगी, का क्षेत्रफल 1.26 हेक्टर (3.125 एकड़) से,

(3) उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदिष्ट की जा सकेगी, का क्षेत्रफल प्रदेशन के ठीक पूर्व ऐसे व्यक्ति द्वारा भूमिधर, सीरदार या असामी के रूप में धृतभूमि को मिलाकर 1.26 हेक्टर (3.125) एकड़) से,

अधिक न होगा ।

(4) कलेक्टर स्व प्रेरणा से और भूमि के प्रदेशन से क्षुब्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे प्रदेशन के सम्बन्ध में नियत रीति से जांच कर सकता है और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि प्रदेशन अनियमित है तो वह—

(1) प्रदेशन तथा पट्टा, यदि कोई हो, निरस्त कर सकता है और तदुपरांत प्रदिष्ट या पट्टे पर दी गई भूमि में प्रदेशन ग्रहीता या पट्टेदार अथवा उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति का अधिकार, आगम तथा स्वत्व समाप्त हो जायगा और ऐसी भूमि गांव सभा को प्रत्यावर्तित हो जायगी, और

(2) निदेश दे सकता है कि ऐसी भूमि पर कब्जा रखने या बनाये रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात वह भूमि तत्काल गांव सभा के कब्जे में दे दी जाय और इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा करा सकता है जो आवश्यक हो।

(5) उपधारा (4) के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश धारा 333 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।'

10—मूल अधिनियम में, धारा 241 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्

धारा 241 का प्रतिस्थापन

"241—किसी खाते पर निर्धारित मालगुजारी ऐसे खाते पर और उस पर खड़े वृक्षों या भवनों अथवा उसके लगान, लाभ या उपज पर भी प्रथम भार होगी।

11—मूल अधिनियम की धारा 243 में—

धारा 243 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, शब्द "गांव' के स्थान पर शब्द 'खाते' रख दिया जाय।

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जाय।

12—मूल अधिनियम की धारा 257 में,—

धारा 257 का संशोधन

(1) उसका प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जाय।

(2) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "और यह भी प्रतिबन्ध है" के स्थान पर शब्द "प्रतिबन्ध यह है" रख दिए जायें।

13—मूल अधिनियम की धारा 258 निकाल दी जाय।

धारा 258 का निकाला जाना

14—मूल अधिनियम की धारा 259 निकाल दी जाय।

धारा 259 का निकाला जाना

15—मूल अधिनियम की धारा 274 निकाल दी जाय।

धारा 274 का निकाला जाना

16—मूल अधिनियम की धारा 286—क में—

धारा 286—क का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द 'मालगुजारी की बकाया' के स्थान पर शब्द 'मालगुजारी की बकाया अथवा मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जाने योग्य कोई अन्य धनराशि' रख दिये जायें और तदन्तर से रखे गये समझे जायें,

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाय, अर्थात्—

"(3—क) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश, बाकीदार को कारण बताने का नोटिस दिये बिना और ऐसी नोटिस के उत्तर में किसी प्रत्यावेदन पर जो कलेक्टर को प्राप्त हो, विचार किये बिना न दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कोई अन्तरिम आदेश ऐसी नोटिस जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय किया जा सकता है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी नोटिस जारी किए जाने के पूर्व कोई अन्तरिम आदेश दिया जाय तो वह आदेश समाप्त हो जायगा यदि उस अन्तरिम आदेश के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर कोई नोटिस जारी न की जाय ।"

नई धारा 287—क का बढ़ाया जाना

17—मूल अधिनियम की धारा 287 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

अभ्यापत्ति के साथ भुगतान और वसूली के लिए वाद

"287—क—(1) जब कभी किसी बकाया मालगुजारी को वसूल करने के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियां की जायं तो वह ऐसी कार्यवाहियां करने वाले अधिकारी को अभ्यर्पित धनराशि का अभ्यापत्ति के साथ भुगतान कर सकता है, और ऐसा भुगतान किए जाने पर कार्यवाहियां स्थगित कर दी जायंगी और ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाहियां की गई हों, इस प्रकार दत्त धनराशि के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध सिविल न्यायालय में वाद ला सकता है, और ऐसे वाद में वादी, धारा 278 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी धनराशि के, यदि कोई हो, जिसे वह देय मानता है, सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है ।

(2) इस धारा के अधीन किसी अभ्यापत्ति से कोई व्यक्ति किसी सिविल न्यायालय में तब तक वाद नहीं ला सकेगा जब तक कि अभ्यापत्ति, जो लिखित रूप में और ऐसे व्यक्ति अथवा उनकी ओर से सम्यक् रूप से प्राधिकृत एजेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित हो, भुगतान करते समय न की जाय ।"

धारा 330 का प्रतिस्थापन

18—मूल अधिनियम की धारा 330 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"330—इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गई व्यवस्था के सिवाय निम्नलिखित के सम्बन्ध में किसी दीवानी न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी—

(क) प्रतिकर निर्धारण तालिका में कोई इन्दराज या लोप, या

(ख) इस अधिनियम के भाग 1 के अधीन दिया गया कोई आदेश, या

(ग) अध्याय 10 के अधीन मालगुजारी का निर्धारण और उसकी वसूली ।"

अध्याय 3

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 का संशोधन

19—उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 की धारा 1 में, उपधारा (3) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे आस्थान या उसके भाग के सम्बन्ध में जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हों, इस उपधारा के अधीन कोई विज्ञप्ति ऐसी सरकार के परामर्श के बिना जारी नहीं की जायगी।"

उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 1957 की धारा 1 का संशोधन

अध्याय 4

कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 का संशोधन

20—कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 की धारा 2 में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे अस्थान या उसके भाग क सम्बन्ध में जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हो, इस उपधारा के अधीन कोई विज्ञप्ति ऐसी सरकार के परामर्श के बिना जारी नहीं की जायगी।"

उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1960 की धारा 2 का संशोधन

अध्याय 5

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी, अधिनियम 1953 का संशोधन

21—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953, जिसे आगे इस अध्याय में मल अधिनियम कहा गया है की धारा 5 की—

(i) उपधारा (i) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(ii) चकबन्दी क्षेत्र में सम्मिलित अपनी जोत अथवा उसक किसी भाग का विक्रय, दान अथवा विनिमय द्वारा अन्तरण नहीं करेगा।"

(2) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—उपधारा (२) के प्रयोजनार्थ, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन कोई कार्यवाही किसी भूमि के अधिकारों या स्वत्व के प्रख्यापन के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं समझी जायगी।"

उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 1954 की धारा 5 का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 11—ख के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय अर्थात—

"11—ग—धारा 9—क के अधीन किसी आपत्ति या धारा 11 के अधीन अपील अथवा धारा 48 के अधीन पुनरीक्षण कार्यवाहियों की सुनवाई के दौरान चकबन्दी अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी, (चकबन्दी) अथवा

धारा 11—ग का बढ़ाया जाना

चकबन्दी निदेशक, जैसी भी दशा हो, यह निदेश दे सकता है कि कोई भूमि जो राज्य सरकार या गांव सभा अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय या प्राधिकारी में निहित हो, उसके नाम से अभिलिखित की जाय, भले ही ऐसी सरकार, गांव सभा, निकाय या प्राधिकारी द्वारा कोई आपत्ति, अपील या पुनरीक्षिण दाखिल न किया गया हो ।"

धारा 27 का संशोधन

23—मूल अधिनियम की धारा 27 में, उपधारा (3) के शब्द तथा अंक "और य० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की धारा 28 और 33 के उपबन्ध, यथास्थिति, ऐसे नक्शे, खसरा तथा अधिकार अभिलेख के रख जाने पर लागू हों" के स्थान पर शब्द तथा अंक "और ऐसा नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख के रखे जाने और उन्हें शुद्ध किए जाने के सम्बन्ध में यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे" रख दिये जायें ।

अध्याय 6

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट सं० 3, 1901 की धारा 182—क का संशोधन

24—यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की धारा 182—क में,—

(क) उपधारा (1) में शब्द "मालगुजारी की बकाया" के स्थान पर शब्द "मालगुजारी की बकाया अथवा मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जाने योग्य कोई अन्य धनराशि" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें,

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाय, अर्थात्—

"(3—क) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश बाकीदार को कारण बताने की नोटिस दिये बिना और ऐसी नोटिस के उत्तर में किसी प्रत्यावेदन पर जो कलेक्टर को प्राप्त हो, विचार किये बिना न दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कोई अन्तरिम आदेश ऐसी नोटिस जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय दिया जा सकता है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी नोटिस जारी किए जान के पूर्व कोई अन्तरिम आदेश दिया जाय तो वह आदेश समाप्त हो जायेगा यदि उस अन्तरिम आदेश के दिनांक के दो सप्ताह के भीतर कोई नोटिस जारी न की जाय ।"

उद्देश्य और कारण

हरिजनों की इस शिकायत को दूर करने के लिए कि उन्हें अन्य व्यक्तियों के नाम अभिलिखित जोतों पर स्वनिर्मित गृहों के सम्बन्ध में स्वामित्वाधिकार का प्रयोग करने की अनज्ञा नहीं है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० में यह व्यवस्था की जा रही है, कि ऐसे मामलों में गृह स्थलों का बन्दोबस्त 15 मार्च, 1974 को विद्यमान गृह स्वामियों के साथ किया जा सके। यह भी देखा गया है कि प्रभावशाली व्यक्ति अनुसूचित जातियों के सदस्यों द्वारा धृत भूमि का संक्रमण अपने नाम में करा लेते हैं जिसके परिणामस्वरूप ऐसे सदस्य पुनः भूमिहीन हो जाते हैं। अनुसूचित जातियों के स्वत्वों की रक्षा करने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्तियों द्वारा संक्रमण पर निर्बन्धन लगाया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को प्रदेशनार्थ उपलब्ध भूमि का कम से कम 50 प्रतिशत मिले, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 संशोधित की जा रही है। अधिनियम की धारा 156 के उपबन्धों को इस उद्देश्य से संशोधित किया जा रहा है जिससे कि भूमि को चोरी छिपे दुबारा किरीये पर दिये जाने से रोका जा सके। सम्बद्ध अधिनियमितताओं में पायी गई त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए मालगुजारी की बकाया की वसूली और रिसीवरों की नियक्ति से सम्बन्धित उपबन्धों को भी संशोधित किया जा रहा है।

2—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 में कतिपय संशोधन करने की प्रस्थापना है, जिससे उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन कार्रवाइयों को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम के अधीन शक्तियों की घोषणा के लिए कार्रवाइयां नहीं समझी जायगा।

3—इस अवसर का लाभ सामान्य प्रकार के कतिपय अन्य शाब्दिक संशोधन करने के लिए भी उठाया जा रहा है।

4—तदनुसार उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 पुरःस्थापित किया जाता है।

स्वामी प्रसाद सिंह,
राजस्व मन्त्री।

पी० एस० यू० पी०—ए०पी० 103 वि० सभा—(1473)—1974—835.